पत्रकारिता के
आचरण के मानक

संस्करण 2010

सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद

PRESS COUNCIL OF INDIA

भारतीय प्रेस परिषद्

पत्रकारिता के आचरण के मानक

सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद

PRESS COUNCIL OF INDIA

संस्करण 2010

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, द्वितीय तल, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दूरभाष : 24366745/46/47/49, फैक्स : 24368723/26
ई–मेल : pcibpp@gmail.com, वेबसाईट : http://presscouncil.nic.in

---

ग्रोवर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित, 9811015523, 9810194345
ई–मेल : groverprintingpress@gmail.com; gpp_1969@rediffmail.com

विषय सूची

प्रस्तावना

भाग क : सिद्धांत और आचार नीति

क्रम सं.	मानक	पृष्ठ संख्या
1.	सटीकता और औचित्य	1
2.	प्रकाशन-पूर्व सत्यापन	2
3.	मानहानिकारक लेखों के प्रति सावधानी	2
4.	सार्वजनिक कर्मचारियों के कृत्यों तथा आचरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रेस के अधिकार के पैरामीटर	7
5.	सार्वजनिक व्यक्तियों की आलोचना/संगीत समीक्षाएँ	8
6.	एकांतता का अधिकार	8
7.	सार्वजनिक व्यक्तियों की एकांतता	10
8.	भेंटवार्ताओं तथा फोन पर बातचीत को रिकार्ड करना	11
9.	अटकलबाज़ी, टीका तथा तथ्य	12
10.	समाचारपत्र संकेतात्मक दोषिता से बचें	12
11.	विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट छापना	12
12.	न्यायिक क्रियाओं की आलोचना में सावधानी	13
13.	भूल सुधार	15

14.	उत्तर का अधिकार	15
15.	संपादक के नाम पत्र	16
16.	संपादक का विवेक	17
17.	अश्लीलता तथा अशिष्टता से बचा जाए	18
18.	सामाजिक कुरीतियों को महिमान्वित/ प्रोत्साहित न किया जाए	20
19.	हिंसा को महिमान्वित न किया जाए	20
20.	सांप्रदायिक विवादों/संघर्षों के समाचार	21
21.	शीर्षक सनसनीखेज/उत्तेजक न हों और उनके नीचे मुद्रित सामग्री के लिए युक्तिसंगत हों	23
22.	जाति, धर्म या समुदाय के संदर्भ	24
23.	सर्वोपरि राष्ट्रीय हित	25
24.	विदेश-संबंध	25
25.	समाचारपत्र राजनयिक उन्मुक्ति के दुरूपयोग का उद्भासन कर सकते हैं	26
26.	खोजी पत्रकारिता, उसके मानक तथा पैरामीटर	26
27.	भरोसे का सम्मान किया जाए	29
28.	समाचारपत्र फूहड़ वाणिज्यीकरण से बचें	29
29.	कपटपूर्ण गतिविधियाँ	30

30.	व्यावसायिक दुराचार	31
31.	व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता	31
32.	साहित्यिक चोरी	31
33.	समाचारों को अनधिकृत रूप से उठाना	31
34.	अवैध नकल	32
35.	अयाचित सामग्री को वापस न करना	32
36.	विज्ञापन	32
37.	आंतरिक विवाद	36
38.	ज्योतिष संबंधी भविष्य वाणी	39
39.	प्राकृतिक आपदाओं पर रिपोर्टिंग	40
40.	एचआईवी/एड्स और मीडिया-कर्त्तव्य और निषेध	41
41.	मीडिया द्वारा परीक्षण	44
42.	फोटो पत्रकारिता के लिए मानक	**47**

भाग ख : विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देश

क)	सांप्रदायिक अशांति होने पर प्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले मानक	50
ख)	सैन्यवादियों/आतंकवादियों के विज्ञप्ति पत्रकों का प्रकाशन-मार्गदर्शी सिद्धांत 1991-1992	56
ग)	एड्स तथा मीडिया	59
घ)	वित्तीय पत्रकारिता	73

ड.)	निर्वाचन संबंधी रिपोर्टे प्रकाशित करना	76
च)	पत्रकारों को मकानों का आवंटन	80
छ)	पत्रकारों पर अनुचित अनुग्रह	93
ज)	एकांतता का अधिकार-सार्वजनिक व्यक्ति और प्रेस	100
झ)	उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत	102
ञ)	अध्ययन रिपोर्ट - श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम बनाम संविदा पर पत्रकारों की नियुक्ति	105
भाग ग :	**प्रेस से संबंधित कानून**	**110**
भाग घ :	**प्रेस परिषद् के अधिकार, कर्म तथा प्रक्रियाएँ**	**116**

प्रस्तावना

'पत्रकारिता' इस अभिव्यक्ति के ठोस रूप में समय के साथ शक्ति में भी विस्तार हुआ है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य यह है कि जनरुचि के विषयों पर न्यायसंगत, यथार्थ, निष्पक्ष, सौम्य तथा शालीन तरीके और भाषा में समाचारों, विचारों, टीकाओं तथा जानकारी को देकर लोगों की सेवा की जाए । आज मीडिया प्रेस के रूप में ही संतुष्ट नहीं रहता, इसने समाज और सत्ता में सर्वोपरि महत्व प्राप्त कर लिया है। मीडिया का प्रभाव इतना है कि यह किसी व्यक्ति, संस्थान, अथवा विचारधारा को बना या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार आज समाज में इसका प्रभाव इतना व्यापक और तीव्र है। इतनी शक्तियों और सामार्थ्य के साथ मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्त्तव्यों और दायित्वों को अनदेखा नहीं कर सकता।

इस संबंध में इन विशेषाधिकारों का लाभ उठाने के लिए मीडिया को अधिदेश है कि वह रिपोर्टिंग में औचित्य और वस्तुपरकता सुनिश्चित करने के लिए तथा सम्बद्ध व्यक्तियों, संस्थानों और समाज पर इसके सोपानी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सयंमित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य भाषा के प्रयोग, समाचार की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सूचना को एकत्रित करने और इसके प्रचार प्रसार में कुछ नीतियों का पालन करें ।

प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण और बचाव न केवल बाहरी हस्तक्षेप से बल्कि बराबर ही भीतरी रूप से भी करना होगा : संपादक के नाम पत्र-आंतरिक लोकपाल, मीडिया काउंसिल ऑफ पीयर्स और मीडिया वाच ग्रुप्स जोकि मीडिया कर्मियों, पत्रकारों अथवा मैनेजमैंट द्वारा की गयी गलतियों पर फोकस करते हैं, जैसी व्यवस्था के माध्यम से मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन हेतु आंतरिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की माँग की गई है ।

भारतीय प्रेस परिषद् के साथ-साथ विश्व के ऐसे निकायों को अधिदेश है कि वे मीडिया हेतु आचार संहिता का निर्माण करके मीडिया के स्तरों का विशिष्ट रूप से संवर्धन करें ।

नीति संहिता के पीछे स्वीकृति नैतिक है; उनकी प्रेरणा का स्त्रोत सम्बद्ध मीडिया कर्मी के विवेक में ही है । परिषद् के निर्णय और निदेश उस विवेक को बढ़ाते हैं और इसके द्वारा जोड़े गये सिद्धांत ऐसे प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं जिनसे नैतिक ईमानदारी के पथ पर पत्रकार का मार्गदर्शन होता है । "पत्रकारिता के आचरण के मानक" शीर्षक के अंतर्गत सार संग्रह में संकलित, वे अलग अलग परिस्थितियों में पत्रकारों के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करते हैं ।

भारतीय प्रेस परिषद् ने व्यावसायिक नीति, औचित्य, सटीकता और संतुलन का संवर्धन करके समाचार मीडिया में लोक विश्वास को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ।

'पत्रकारिता के आचरण का मानक' संस्करण 2010 निर्णयों और अन्य उद्घोषणाओं के आधार पर 1996 से विकसित किये गये मानकों को अपडेट करता है और पत्रकारिता अभ्यास में विवशताओं और संताप के लगभग सभी पहलुओं को काफी हद तक कवर करता है । इस संस्करण में न केवल सुलभ संदर्भ हेतु एक शीर्षक के अंतर्गत समान स्थिति को कवर करते हुए मानकों को विभाजित करने का प्रयास किया गया है बल्कि विशिष्ट मार्गनिर्देशों तक व्यापक पहुँच प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है ।

मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि पाठक पत्रकारिता के आचरण के मानकों के इस संस्करण 2010 को पूर्व संस्करणों की तरह उपयोगी और सूचनाप्रद्र पायेंगे ।

न्यायमूर्ति जी.एन.रॉय

अध्यक्ष

भारतीय प्रेस परिषद्

पत्रकारिता के आचरण के मानक

भाग क : सिद्धांत तथा आचार नीति

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य यह है कि जन रुचि के विषयों पर न्यायसंगत, यथार्थ, निष्पक्ष, सौम्य तथा शालीन विधि से समाचारों, विचारों, टीकाओं तथा जानकारी को देकर लोगों की सेवा की जाए। इस प्रयोजन के लिए प्रेस से आशा की जाती है कि वह विश्व भर में मान्यता प्राप्त व्यावसायिकता के कुछ मानकों के अनुरूप आचरण करे। यदि नीचे लिखे मानकों और उसके बाद संलग्न विशिष्ट दिशा निर्देशों का प्रयोग उचित विवेक के साथ और हर मामले की अपनी परिस्थितियों के अनुकूल किया जाए तो पत्रकार को अपने आचरण के स्वनियंत्रण में मदद मिलेगी।

1. <u>सटीकता और औचित्य</u>

i) प्रेस गलत, निराधार, अशिष्ट, भ्रामक या विकृत सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा। मूल मुद्दे या विषय के सभी पक्षों को प्रस्तुत किया जाए। बेजा अफवाहों तथा अटकलों को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत न किया जाए।

ii) समाचारपत्रों का यह कर्त्तव्य है कि वे पब्लिक इंटरफेस वाले वित्तीय संस्थानों की साख को प्रभावित करने वाली अफवाहों के जवाब में सकारात्मक भूमिका अदा करें।

iii) जहाँ प्रेस का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने नोटिस में आने वाली गलतियों का भंडाफोड़ करे वहीं यह भी आवश्यक है कि ऐसी रिपोर्टों के साथ अखंडनीय तथ्य और साक्ष्य हों।

2. प्रकाशन पूर्व सत्यापन

i) जन हित तथा लाभ की कोई रिपोर्ट अथवा लेख प्राप्त होने पर, जिसमें किसी नागरिक के विरूद्ध आक्षेप अथवा टीका हो, संपादक को चाहिए कि यथेष्ट ध्यान तथा सावधानी के साथ उसकी तथ्यात्मक यथार्थता की जांच, अन्य प्रामाणिक स्रोतों के अतिरिक्त, संबंधित व्यक्ति तथा संगठन से भी कर ले और उसका विवरण, टीका अथवा प्रतिक्रिया प्राप्त करके, जहाँ आवश्यक हो उचित संशोधनों के साथ, रिपोर्ट में उसे भी प्रकाशित कर दे। प्रतिक्रिया के अभाव में इस आशय की पाद टिप्पणी रिपोर्ट के साथ दे दी जाए।

ii) परीक्षाओं के रद्द किए जाने या प्रत्याशियों द्वारा चुनाव से अपना नाम वापस लिए जाने आदि से संबंधित समाचार यथेष्ट सत्यापन और जाँच के बिना प्रकाशित न किए जाएँ ।

iii) जो प्रलेख किसी समाचार रिपोर्ट का आधार हो, उसे कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखा जाए ।

3. मानहानिकारक लेखों के प्रति सावधानी

i) समाचारपत्र को ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति स्पष्ट रूप से मानहानिकारक अथवा अपमानजनक हो जब तक कि उचित सावधानी तथा जाँच के बाद उनके पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार न हो कि वह सच्ची है और उसका प्रकाशन जनता के हित में होगा।

ii) किसी निजी नागरिक के विरूद्ध अपमानजनक, भद्दी तथा मानहानिकारक सामग्री छापने के लिए, यदि कोई जनहित निहित न हो, तो सच्चाई को आधार नहीं बनाया जा सकता।

iii) जन हित में बिरले मामलों को छोड़कर किसी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई ऐसी निजी टिप्पणी प्रकाशित न की जाए जिसे अपमानजनक समझा या माना जा सके क्योंकि मृत व्यक्ति के लिए उस टिप्पणी का खंडन करना या उससे इनकार करना संभव नहीं होगा।

iv) प्रेस का यह कर्त्तव्य, विवेक तथा अधिकार है कि संदिग्ध पूर्व वृत वाले और शंकास्पद चरित्र वाले नागरिकों की ओर पाठकों का ध्यान खींच कर जनहित की सेवा करे किन्तु उत्तरदायी पत्रकारों के रूप में उन्हें उन व्यक्तियों के लिए "धोखेबाज" या "हत्यारे" आदि शब्दों का प्रयोग करते समय यथेष्ठ संयम तथा सावधानी बरतनी चाहिए। मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति के दोष को आरोपित तथ्यों के प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाए न कि अभियुक्त के दुश्चरित्र के प्रमाण द्वारा। उद्घाटित करने के अपने जोश में प्रेस को नैतिक सावधानी तथा निष्पक्ष टीका की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

v) प्रेस किसी व्यक्ति के नए कृत्य के संदर्भ में कटु टिप्पणी करने के लिए उस नागरिक के पहले के आपत्तिजनक व्यवहार को आधार नहीं बनाएगा। यदि जनता के लिए वह संदर्भ अपेक्षित हो तो प्रेस को संबंधित अधिकारियों से प्रकाशन पूर्व पूछताछ कर लेनी चाहिए कि उन आपत्तिजनक कृत्यों के बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई।

vi) यदि आक्षेपित प्रकाशन स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाले हों तो यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर होगा कि वे सच्चे हैं या वह टिप्पणी सदाशयता के साथ तथा जनता की भलाई के लिए की गई है।

vii) समाचारपत्र किसी व्यक्ति या निकाय को बदनाम करने के लिए इस आधार पर अपने बचाव अथवा छूट के लिए विशेषाधिकार या लाइसेंस का दावा नहीं कर सकते कि वह मद व्यंग्य के रूप में "गपशप," "पैरोडी" आदि विशेष स्तंभों के अंतर्गत प्रकाशित की गई है ।

viii) किसी एक समाचारपत्र द्वारा कोई मानहानिकारक समाचार प्रकाशित कर दिए जाने से अन्य समाचारपत्रों को उसी के आधार पर समाचार/सूचना प्रकाशित करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता । अन्य प्रकाशन द्वारा समान रिपोर्ट के प्रकाशन की सच्चाई आरोपों पर सटीकता का नाम प्रदान नहीं करती।

ix) यह आवश्यक है कि प्रेस नागरिक वर्ग के साथ प्रत्यक्षतया संपर्क कर पाने के कारण हासिल की गयी अद्वितीय स्थिति के कारण समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे और अफ़वाहों और सनसनी को विश्वसनीयता प्रदान करने में लगे रहने की अपेक्षा देश की प्रगति और समाज की बेहतरी के लिए अपनी लाभदायक स्थिति का उपयोग करे । यह भी आवश्यक है कि प्रेस विशेष रूप से लघु स्थानीय प्रेस 'लोक हित' और 'लोक रुचि' के मामलों के बीच स्पष्ट अंतर को परखना सीखे । जहाँ गप-शप और सामाजिक लेन देन व्यवहार संबंधी कार्यकलापों में लोगों की रुचि हो सकती है परंतु उनसे किसी सार्वजनिक उद्देश्य अथवा हित की पूर्ति नहीं होती और प्रेस को अतिसावधानी

पूर्वक ऐसे मामलों पर अपने बहुमूल्य स्थान को बर्बाद करने से बचना चाहिए ।

x) ऐसी असम्बद्ध, अनावश्यक और असंगत बातों को शामिल न किया जाए जिनसे किसी व्यक्ति या संगठन के बदनाम होने की संभावना हो ।

xi) यद्यपि एक समाचारपत्र को राजनैतिक विकास की रिपोर्ट करने का अधिकार अथवा कर्त्तव्य होता है, वह रिपोर्टिंग अभद्र नहीं होनी चाहिए । प्रेस की स्वतंत्रता किसी समाचारपत्र को यह लाइसैंस नहीं देती कि वह मनगढंत और मानहानिजनक लेख प्रकाशित करके किसी राजनैतिक नेता को बदनाम करे या उनकी भावी राजनैतिक संभावनाओं को दुष्प्रभावित करे ।

xii) प्रेस को यह स्मरण रहना चाहिए कि लोकतांत्रिक ढांचे में स्थापित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिनका प्रेस द्वारा उपयोग किया जाता है, के कारण उनकी जिम्मेदारी भी होती है । समाचारपत्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे स्वयं साक्ष्य का सृजन करके और बाद में अपनी ही पत्रिका में झूठा प्रचार करने के लिए साक्ष्य का इस्तेमाल करके साधन के रूप में इसका प्रयोग करें ।

xiii) प्रेस की रिपोर्टिंग पर प्रभाव डालने के लिए प्रस्तावित प्रलोभनों पर प्रकाश डालने के लिए प्रेस उपहार प्राप्त करने योग्य है और ऐसा रहस्योद्‌घाटन मानहानि के बराबर नहीं होगा ।

xiv) <u>अधिकारिता</u>

व्यक्तिगत आरोप/आलोचना के मामले में केवल अधिकारिता वाला संबंधित व्यक्ति ही वाद पत्र दाखिल कर सकता है या उत्तर के अधिकार का दावा कर सकता है।

तथापि किसी संगठन या संप्रदाय/वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की प्रतिनिधि सभा की अधिकारिता होगी कि किसी नेता के आचरण की प्रत्यक्ष आलोचना करने वाले प्रकाशन के विरूद्ध शिकायत दाखिल कर सके ।

xv) जनहित और सार्वजनिक निकाय

जनहित के संरक्षक के रूप में प्रेस को सार्वजनिक निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले उजागर करने का अधिकार है किंतु वह सामग्री अकाट्य प्रमाणों पर आधारित हो और जाँच तथा संबंधित स्त्रोत से सत्यापन के बाद और जिस व्यक्ति/प्राधिकारी पर टिप्पणी की जा रही है उसकी बात सुनने के बाद प्रकाशित की जाए । समाचारपत्रों को चाहिए कि चुभने वाली, तीखी तथा कड़वी भाषा का प्रयोग न करें और व्यंग्यपूर्ण/उपहासपूर्ण टिप्पणी न करें । प्रेस का यह प्रयास होना चाहिए कि वे संस्थानों को उनके कार्य में सुधार के लिए जागरूक करें न कि उनका नाश करे अथवा कार्यबल को हतोत्साहित करें उनकी अथवा कार्य-प्रणाली में लोगों के विश्वास को खत्म करें । तदनुसार, उन्हें यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसा करते हुए वे उचित और संतुलित रिपोर्ट करें जोकि बाह्य्य दबावों से प्रभावित न हो । लोकहित के अभिरक्षक और इसके अधिकारों के संरक्षक के रूप में प्रेस से यह भी आशा की जाती है कि वह सही सूचना इसके नोटिस में लाये ताकि उन्हें सही तरह से परख सके जिन्हें इन्होंने देश चलाने का दायित्व सौंपा है ।

xvi) मीडिया और प्राधिकारी हमारे लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और सरकार द्वारा लोकहित में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेस का जिम्मेदार और जागरूक होना अनिवार्य पूर्वापेक्षा है ।

4. <u>सरकारी कर्मचारियों के कृत्यों तथा आचरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रेस के अधिकार के पैरामीटर</u>

i) जहाँ तक सरकार, स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकारी शक्ति का प्रयोग करने वाले अन्य अंगों/ संस्थाओं का संबंध है, वे अपने सरकारी कर्त्तव्यों से संबंधित कार्यों तथा आचरण के लिए क्षति का कोई दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कर्मचारी यह सिद्ध न कर दे कि वह प्रकाशन सच्चाई की घोर अवहेलना कर के किया गया था। तथापि, न्यायपालिका को न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने का अधिकार है और संसद तथा विधायिकाओं के अधिकार क्रमशः अनुच्छेद 105 तथा 194 द्वारा सुरक्षित है; अतः वे इस नियम का अपवाद हैं।

ii) केंद्रीय तथा स्थानीय निकायों को उन लेखों/रिपोर्टों के बारे में मानहानि के लिए दीवानी या फ़ौजदारी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है जिनमें उनके कामकाज की आलोचना की गई हो ।

iii) जाँच कर रहे सरकारी कर्मचारियों के बारे में समाचार या टिप्पणी/जानकारी के प्रकाशन की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपराध करने में मदद मिले या अपराधों का पता लगाने या उन्हें रोकने में अथवा अपराधी पर मुकदमा चलाने

में बाधा पड़े। अन्वेषण एजेंसी पर भी इसी प्रकार का दायित्व आता है कि जानकारी को उद्घाटित न करे और गलत जानकारी प्रचारित न करे।

iv) ऐसा कोई कानून तो नहीं है जो राज्य या उसके अधिकारियों को प्रेस/ मीडिया का निषेध करने के लिए अधिकृत करे, फिर भी शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या ऐसा ही कोई अन्य कानून, अथवा उपबंध जिसे कानून का बल प्राप्त हो, प्रेस या मीडिया पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

v) वे जोकि सार्वजनिक पद पर हैं और उनके अपने ही आचरण द्वारा उनकी आलोचना की जाती है, की ऐसी आलोचना के विरूद्ध शिकायत को नहीं सुना जा सकता ।

5. सार्वजनिक व्यक्तियों की आलोचना/संगीत समीक्षाएँ

सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत होने वाला अभिनेता या गायक अपनी कला को जनता के सामने निर्णय के लिए रखता है, अतः समालोचकों की ऐसी टिप्पणियों को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता जो कलाकारों की निष्पादकता के लगभग अनुरूप हों। तथापि, आलोचकों को ऐसी कोई बात नहीं लिखनी चाहिए जिसे परोक्ष रूप से कलाकार की व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर आक्षेप माना जा सके ।

6. एकांतता का अधिकार

i) प्रेस किसी व्यक्ति की एकांतता में हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा धावा नहीं बोलेगा जब तक कि वास्तविक अतिशय जन-हित के कारण न कि मात्र कामुक अथवा विकृत उत्सुकता के

कारण, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक न हो। तथापि एकबार किसी मामले के सार्वजनिक रिकार्ड का मामला बन जाने पर एकांतता का अधिकार समाप्त हो जाता है और वह अन्य बातों की तरह ही प्रेस तथा मीडिया के लिए चर्चा का वैध विषय बन जाता है। ऐसी रिपोर्टें, जिनमें महिलाओं को कलंकित करने की संभावना हो, में विशेष सावधानी बरतना अत्यावश्यक है

<u>स्पष्टीकरण</u> - किसी व्यक्ति के घर, परिवार, धर्म, स्वास्थ्य, लैंगिकता, निजी जीवन तथा निजी मामलों से संबंधित बातें "एकांतता " की अवधारणा में शमिल हैं, जब तक कि वे जनता या जन-हित का अतिक्रमण न करें।

ii) <u>पहचान के विरूद्ध सावधानीः</u> महिलाओं, स्त्रियों के बलात्कार, भगा ले जाने अथवा अपहरण या बच्चों पर यौन प्रहार से संबंधित अपराध की रिपोर्ट देते समय या महिलाओं की पवित्रता, निजी चरित्र तथा एकांतता के बारे में संदेह तथा शंका प्रकट करते समय पीड़ितों के नाम, फोटो तथा अन्य ऐसे विवरण प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जिनसे उनकी पहचान हो सके।

iii) जो अवयस्क बच्चे तथा शिशु यौन शोषण या "जबरन शादी " अथवा अवैध यौन संभोग के फलस्वरूप पैदा हुए हों, उनकी पहचान या फोटो नहीं दी जाएगी।

iv) व्यक्तिगत शोक के क्षणों में फोटोग्राफी के माध्यम से अनधिकार प्रवेश से बचना चाहिए। हालांकि दुर्घटनाओं अथवा प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के फोटोग्राफ व्यापक लोकहित में होगे।

7. सार्वजनिक व्यक्तियों की एकांतता

i) एकांतता का अधिकार एक अनुलंघनीय मानव अधिकार है । तथापि अलग अलग व्यक्तियों के लिए और अलग अलग परिस्थितियों में एकांतता की मात्रा भिन्न होती है । जनता के दूत/प्रतिनिधि के रूप में जनता की नज़रों के नीचे काम करने वाला सार्वजनिक व्यक्ति वैसी एकांतता की आशा नहीं कर सकता जो किसी निजी व्यक्ति को मिलती है । उसके जो कृत्य और आचरण जनहित के हों ("जनहित" का आशय "जनता के हित" से भिन्न और अलग है), चाहे वे अकेले में किए गए हों, प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता की जानकारी में लाए जा सकते हैं । किंतु प्रेस पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी आता है कि उस सार्वजनिक व्यक्ति के जनहित के उन कृत्यों तथा आचरण के बारे में जानकारी न्यायोचित तरीकों से प्राप्त की गई हो, उसका विधिवत सत्यापन किया गया हो और फिर सही सही रिपोर्ट की जाए । जनता की नज़रों से बाहर रह कर किए गए कृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेस से टोही साधनों का प्रयोग करने की आशा नहीं की जाती । निजी वार्ताओं और चर्चाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेस से यह आशा नहीं की जाती कि वह सार्वजनिक व्यक्तियों को परेशान करे, किंतु सार्वजनिक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वे अपनी कार्यशैली में अधिक खुलापन लाएँ और प्रेस के साथ सहयोग करें ताकि वह अपने प्रतिनिधियों के कृत्यों के बारे में जनता को सूचित करने के अपने कर्त्तव्य को निभा सके ।

ii) सार्वजनिक व्यक्तियों से संबंधित उन भेंटवार्ताओं/लेखों या तर्कों को, जो उन घटनाओं के बारे में हों जिन्हें जनता

जानती हो, यदि ठीक तरह से रिपोर्ट की जाएँ तो, निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक तथा निजी जीवन के बीच एक बहुत सूक्ष्म रेखा है और सार्वजनिक व्यक्तियों को आलोचना के प्रति बहुत असहिष्णु नहीं होना चाहिए ।

iii) समाचारपत्रों को सत्ताधारी व्यक्तियों की आलोचना करने की छूट है क्योंकि उनका आचरण जनहित को प्रकट करता है बशर्ते कि उनकी आलोचना उस सार्वजनिक व्यक्ति के किसी विरोधी/प्रतिद्वंद्वी की निजी ईर्ष्या की तुष्टि के उद्देश्य से न की गई हो ।

iv) सार्वजनिक हस्तियों का परिवार वैध पत्रकारिता संबंधी विषय नहीं है, और भी अधिक यदि इसकी रिपोर्टिंग अल्पवयस्कों को कवर करती है । यदि 'लोकहित' नाबालिग के निजता के अधिकार को पार करता है, तब माता-पिता की पूर्व सहमति लेना उचित होगा ।

v) जब सम्बद्ध व्यक्ति स्वयं बड़ी सभा के सामने निजी जीवन के बारे में तथ्यों को दर्शाता है तब यह समझा जाएगा कि व्यक्ति द्वारा निजता का आवरण हटा लिया गया है ।

8. भेंटवार्ताओं तथा फोन पर बातचीत को रिकार्ड करना

i) प्रेस किसी भी व्यक्ति के वार्तालाप को उसकी जानकारी या सहमति के बिना टेप पर रिकार्ड नहीं करेगा जब तक कि पत्रकार को किसी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए या अन्य अनिवार्य उचित कारण से रिकार्डिंग आवश्यक न हो।

ii) ऐसे वार्तालाप के दौरान प्रयुक्त आपत्तिजनक विशेषकों को प्रेस द्वारा प्रकाशन से पूर्व निकाल दिया जाएगा ।

9. अटकलबाजी, टीका तथा तथ्य

i) समाचारपत्रों को चाहिए कि अटकलबाजी, कल्पना या टीका को तथ्य-विवरण के रूप में प्रस्तुत अथवा प्रचारित न करें। इन सभी कोटियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

ii) उत्तम हास्य को व्यक्त करने वाले कार्टून तथा व्यंग्य चित्र समाचारों की एक विशेष कोटि में रखे जाते हैं जिनके प्रति अधिक उदार रवैया अपनाया जाता है ।

10. समाचारपत्र संकेतात्मक दोषिता से बचें

i) समाचारपत्रों को साहचर्य से संकेतात्मक दोषिता से बचना चाहिए। उन्हें किसी अपराध में दंडित या अभियुक्त के परिवार या संबंधियों या साथियों का नाम अथवा पहचान नहीं देनी चाहिए जब कि वे पूर्णतः निर्दोष हों और रिपोर्ट किए गए मामले में उनका उल्लेख संगत न हो।

ii) किसी विवाद/झगड़े के मामले में समाचारपत्र का किसी एक पक्ष के साथ मिल जाना और उसके मामले को प्रस्तुत करना पत्रकारिता के मानकों के प्रतिकूल है।

11. विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट छापना

समाचारपत्रों का कर्त्तव्य है कि संसद के दोनों सदनों, विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्ट ईमानदारी से छापें और इस बारे में समाचारपत्रों पर किसी अदालत में दीवानी या फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि रिपोर्ट दुर्भावना के साथ छापी गई है । तथापि, समाचारपत्रों

को संसद के किसी सदन या विधानसभा या, यथास्थिति, विधानमंडल के किसी सदन की ऐसी बैठक की कार्यवाही पर आधारित रिपोर्ट नहीं छापनी चाहिए जो मीडिया के लिए खुली न हो ।

12.क) <u>न्यायिक क्रियाओं की आलोचना में सावधानी</u>

i) सिवाय उन मामलों के जहाँ अदालत बंद कमरे में बैठे या अन्यथा निर्देश दे, समाचारपत्र को लंबित न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष, यथार्थ तथा न्यायसंगत विधि से रिपोर्ट करने की छूट है। किन्तु वह कोई ऐसी बात प्रकाशित नहीं करेगाः

- जिसके प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक प्रभाव से न्याय के विधिवत् प्रशासन में गंभीर बाधा, रुकावट अथवा पूर्वाग्रह पैदा होने का काफी खतरा हो; या
- जो चालू विवरण या वाद विवाद के रूप में हो अथवा न्यायालय के विचाराधीन मुद्दों पर समाचारपत्र के अपने निष्कर्षों अटकलों, विचारों या टीका को व्यक्त करती हो जिससे ऐसा लगे कि समाचारपत्र ने न्यायालय के काम को अपने हाथ में ले लिया है; या
- जिस अभियुक्त पर कोई अपराध करने के आरोप में मुकदमा चल रहा हो, उसके निजी चरित्र के बारे में।

ii) अभियुक्त के गिरफ्तार हो जाने तथा उस पर आरोप लग जाने के बाद जब मामला, अदालत में चला जाए तो, सावधानी के तौर पर, खोजी पत्रकारिता के परिणामस्वरूप संग्रहीत साक्ष्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए; और उस पर

टीका नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें अभियुक्त द्वारा कथित इकबाल को प्रकट करना चाहिए, उस पर टीका करनी चाहिए अथवा मूल्यांकन करना चाहिए।

iii) समाचारपत्र, जनहित में किसी न्यायिक क्रिया या किसी अदालत के निर्णय की सार्वजनिक भलाई के लिए न्यायोचित आलोचना तो कर सकते हैं किन्तु वे न्यायाधीश पर कोई अभद्र आक्षेप नहीं करेंगे और न ही अनुचित अभिप्रेरणा अथवा निजी पक्षपात का आरोप लगाएँगे। वे अदालत को या समग्र न्यायपालिका को कलंकित नहीं करेंगे और न ही किसी न्यायाधीश के विरूद्ध योग्यता की अथवा सत्यनिष्ठा की कमी के निजी आरोप लगाएंगे।

iv) सावधानी के तौर पर समाचारपत्र कोई ऐसी अनुचित या अकारण आलोचना नहीं करेंगे जिसके निहित अर्थ से किसी न्यायाधीश पर उसके न्यायिक कार्यों के सामान्य व्यवहार में की गई किसी क्रिया के लिए विषयेतर बातों को ध्यान में रखने का आरोप लगता हो, चाहे वह आलोचना वास्तव में न्यायालय का आपराधिक अवमान न बनती हो।

ख) <u>अदालत की कार्यवाही से संबंधित समाचार छापना</u>

अदालत की कार्यवाही के बारे में समाचार प्रकाशित करने से पहले संवाद्दाता और संपादक के लिए उचित होगा कि रिकार्डों से उसकी वास्तविकता, सत्यता तथा प्रामाणिकता सुनिश्चित कर लें ताकि अदालत की कार्यवाही के बारे में मिथ्या तथ्य तथा गलत जानकारी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को दोषी तथा जवाबदेह ठहराया जा सके ।

13. भूल सुधार

यदि किसी तथ्यात्मक भूल या गलती का पता चले अथवा उसकी पुष्टि हो जाए तो समाचारपत्र को तत्परतापूर्वक उसका सुधार यथोचित प्रमुखता के साथ प्रकाशित करना चाहिए और यदि गंभीर चूक हुई हो तो क्षमा याचना या खेद की अभिव्यक्ति भी करनी चाहिए।

14. उत्तर का अधिकार

i) यदि आक्षेपित प्रकाशन द्वारा प्रभावित या दुःखी/चिंतित महसूस करने वाले व्यक्ति की ओर से पत्र या टिप्पणी के रूप में संपादक को खंडन/उत्तर/स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर बँधा जाए तो समाचारपत्र उसे पूरा या उचित संपादन के बाद, तत्परतापूर्वक यथोचित प्रमुखता के साथ, निःशुल्क प्रकाशित करे। यदि संपादक को खंडन/उत्तर/स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर की सच्चाई या तथ्यात्मक यथार्थता पर शंका हो तो वह अंत में अलग से उसकी यथातथ्यता पर शंका के बारे में संक्षिप्त संपादकीय टिप्पणी दे सकता/सकती है किंतु तभी जब वह शंका उसके पास उपलब्ध असंदिग्ध प्रलेखीय अथवा अन्य प्रामाणिक सामग्री पर आधारित हो। इस रियायत का उपयोग यदाकदा, उचित विवेक तथा सावधानी के साथ, उपयुक्त मामलों में ही किया जाए।

ii) किंतु यदि उत्तर/खंडन या प्रत्युत्तर प्रेस परिषद के निर्देशों के अनुपालन में प्रकाशित किया जा रहा हो, तो इस आशय की संक्षिप्त संपादकीय टिप्पणी देने की अनुमति है।

iii) प्रत्युत्तर के अधिकार का दावा पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से नहीं किया जा सकता क्योंकि सम्मेलन के समाचार का प्रकाशन संपादक के विवेक पर निर्भर करता है।

iv) प्रेस की स्वतंत्रता में पाठकों का जन-रुचि के किसी भी मुद्दे के सभी पहलुओं को जानने का अधिकार शामिल है। अतः संपादक को केवल इस आधार पर उत्तर या प्रत्युत्तर प्रकाशित करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि उसकी राय में समाचार में प्रकाशित कथा सच्ची है। इस बात का निर्णय पाठकों पर छोड़ देना चाहिए। किसी पाठक की अवहेलना करना भी संपादक को शोभा नहीं देता।

v) प्रेस को यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी छानबीन में यह अभियोजक नहीं है और व्यक्ति की निरपराधता के परम सिद्धांत द्वारा इसका मार्गदर्शन होना चाहिए जब तक कि कथित अपराध स्वतंत्र विश्वस्त साक्ष्य द्वारा निस्संदेह सिद्ध न हो जाये और, स्थान की कमी होने पर भी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रत्युत्तर में स्थान दिया जाना चाहिए ताकि जनता का किसी मामले के अंतिम निर्णायक के रूप में अपनी राय बनाने में संपूर्ण और सही तथ्यों द्वारा मार्गदर्शन हो सके । लोक महत्व के किसी मुद्दे के सभी पक्षों को जानने का पाठक का अधिकार लोकतंत्र में प्रेस द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता का स्वाभाविक निष्कर्ष है ।

15. <u>संपादक के नाम पत्रः</u>

i) यदि कोई संपादक किसी विवादास्पद विषय पर अपने स्तंभ खोलने का निर्णय लेता है तो उस विषय के बारे में प्राप्त सभी

पत्रों को प्रकाशित करना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। उसे उनमें से चुन कर कुछ पत्रों को पूरा या उनका सार छापने का अधिकार है। तथापि, इस विवेक का उपयोग करते समय उसे यह सुनिश्चित करने का सच्चा प्रयास करना चाहिए कि जो प्रकाशित किया जाए वह एकपक्षीय न हो बल्कि विवाद के मुख्य मुद्दे के संबंध में पक्ष विपक्ष के विचारों का सही संतुलन प्रस्तुत करे।

ii) यदि किसी विवादास्पद विषय पर दो पक्षकारों द्वारा प्रत्युत्तर पर प्रत्युत्तर भेजे जा रहे हों तो संपादक को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उस चालू स्तंभ को किस समय बंद किया जाए।

16. <u>संपादक का विवेक</u>

i) संपादकीय लिखने के मामले में संपादक को काफ़ी छूट दी गई है और वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है । विषय का चुनाव वही करता है और ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो वह उचित समझे, बशर्ते कि संपादकीय लिखते समय वह कानून की सीमा से बाहर न जाए और पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन न करे। समाचारपत्र में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी सौम्य एवं शिष्ट भाषा में होनी चाहिए ।

ii) रिपोर्टों/लेखों/पत्रों के रूप में प्रकाशन के लिए सामग्री का चुनाव संपादक के विवेकाधिकार में है, अतः यह देखना उसका कर्त्तव्य है कि जन हित के किसी विवादास्पद मुद्दे पर सभी विचारों को बराबर प्रमुखता दी जाए ताकि जनता उस मामले में अपनी स्वतंत्र राय बना सके ।

iii) संपादक को चाहिए कि वह समाचार रिपोर्ट/लेख प्रकाशित न करे जिसकी सच्चाई के बारे में उसे शंका हो। यदि समाचार रिपोर्ट/लेख के किसी अंश की सच्चाई संदेहास्पद हो तो वह अंश निकाल कर शेष प्रकाशित कर दिया जाए बशर्ते कि संपादक संतुष्ट हो कि शेष अंश काफ़ी सही है और उसके प्रकाशन से जनता को लाभ होगा।

17. अश्लीलता तथा अशिष्टता से बचा जाए:

i) समाचारपत्र/पत्रकार ऐसी कोई बात प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील, अशिष्ट अथवा जनता की सुरुचि के प्रतिकूल हो।

ii) समाचारपत्र ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील हों या जिनमें नग्न अथवा कामुक मुद्रा में प्रदर्शित किसी महिला की ओर पुरूषों की ललचाई दृष्टि आकर्षित होती हो जैसे कि वह स्वयं ही बिक्री के लिए कोई वाणिज्यिक वस्तु हो।

iii) कोई चित्र अश्लील है या नहीं, इसका निर्णय तीन परीक्षाओं के आधार पर किया जाए, अर्थात् :

क) क्या यह अशिष्ट तथा अभद्र है ?

ख) क्या यह मात्र अश्लीलता की कृति है ?

ग) क्या इसका उद्देश्य केवल पैसा कमाने के लिए किशोरों की यौन भावनाओं को गुदगुदाना है जिनके बीच वह संचारित होगी? अर्थात् क्या यह वाणिज्यिक लाभ के लिए एक दूषित स्वार्थसाधन है ?

अन्य संगत बात यह है कि क्या वह चित्र पत्रिका की विषय वस्तु से संबंधित है। अर्थात् क्या उसके प्रकाशन से कला,

चित्रकारी, चिकित्सा शोध या यौन सुधार के संदर्भ में किसी महान् सामाजिक अथवा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति होती है?

iv) एक फोटोग्राफ अथवा पेन्टिग कला संबंधी कार्य है और कलाकार इसके चित्रांकन में कलात्मक छूट का उपभोग करता है तथापि, यह समझना होगा कि कला संबंधी कार्य का उपभोग, परख और सराहना पारखियों द्वारा की जाती है । एक समाचारपत्र के पृष्ठ ऐसी पेन्टिग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान नहीं हो सकते ।

v) भूमंडलीकरण और उदारीकरण से मीडिया को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का दुरूपयोग करे तथा समाज के मूल्यों को कम करे । मीडिया सार्वजनिक उद्देश्य की एक विशिष्ट भूमिका निभाता है जिसके लिए उसे उन वाणिज्यिक धारणाओं से ऊपर उठाना चाहिए जो अन्य उद्योगों तथा व्यापार द्वारा अपनाई जाती हैं । जहाँ तक उस भूमिका का संबंध है, मीडिया का एक कर्त्तव्य यह है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करे और उन्हें आगे बढ़ाए ।

vi) समाचारपत्र में पाठकों के निजी प्रश्नों का उत्तर देने वाले 'नितांत व्यक्तिगत' जैसे स्तंभ जनता की शालीनता का उल्लंघन करने वाली या जनता की मानसिकता को भ्रष्ट करने वाली घोर अरुचिकर प्रस्तुतियाँ न बन जाएँ ।

vii) प्रेस का प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि कवरेज व्यापक रूप से समाज के मानकों के अनुरूप हो न कि मात्र कुछ एक के अनुरूप हो । प्रेस, स्तरों और संस्कृति के पतन को रोकना हमारा कर्त्तव्य भी है क्योंकि इसकी पहुँच और

प्रभाव में समाज की विचारधारा और मानस पटल को मोड़ने की अद्‌भुत क्षमता होती है ।

viii) भारतीय पाठक काफी परिपक्व है और सही पत्रकारिता की सराहना करने में समर्थ है तथा लंबे समय में 'तथाकथित लोकप्रिय स्वीकृति को बढ़ावा देकर पश्चिम की नकल के प्रयास परिचालन बढ़ाने के समाचारपत्र के उद्देश्य को विफल कर सकते हैं ।

ix) समाचारपत्र अपने लेखों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों में अनैतिक कार्यकलापों से संबंधित घटनाओं का भंडाफोड़ कर सकते हैं । परंतु यह फोटोग्राफिक साक्ष्य अथवा समाचार के संयमित प्रस्तुतीकरण की समुचित सावधानी बरतते हुए किया जाना चाहिए ।

18. सामाजिक कुरीतियों को महिमान्वित / प्रोत्साहित न किया जाए

समाचारपत्र अपने स्तंभों का दुरूपयोग ऐसे लेखों के लिए नहीं होने देंगे जिनमें सती प्रथा अथवा आडंबरपूर्ण आयोजनों जैसी सामाजिक कुरीतियों को प्रोत्साहित या महिमान्वित करने की प्रवृत्ति हो ।

19. हिंसा को महिमान्वित न किया जाए

i) आतंकवादी हमलों, सांप्रदायिक झगड़ों तथा दुर्घटनाओं के चित्र छापना

आतंकवादी हमलों या सांप्रदायिक दंगों के बारे में समाचार देते समय मीडिया को चाहिए कि क्षत-विक्षत लाशों के चित्र या

अन्य ऐसे चित्र प्रकाशित/प्रसारित न करे जिनसे आतंक अथवा घृणा फैले या लोगों में सांप्रदायिक भावना भड़के ।

ii) समाचारपत्र/पत्रकार हिंसा, सशस्त्र डकैतियों, आतंकवादी गतिविधियों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं करेंगे जिससे अपराधकर्मियों के कृत्य, घोषणाएँ तथा मृत्यु जनता की नज़रों में महिमान्वित हो। समाचारपत्र असामाजिक तत्वों के साथ ऐसी भेंटवार्ताओं को प्रकाशित न करें जिनमें अपराधियों और उनकी गतिविधियों को महिमान्वित किया गया हो ।

20. सांप्रदायिक विवादों/संघर्षों के समाचारः

i) सांप्रदायिक या धार्मिक विवादों/संघर्षों से संबंधित समाचारों, विचारों अथवा टीकाओं का प्रकाशन तथ्यों के यथोचित सत्यापन के बाद किया जाएगा और उचित सावधानी तथा संयम के साथ उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा कि सांप्रदायिक सामंजस्य, मैत्री तथा शांति के अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिले। सनसनीखेज, भड़काने वाले तथा भयप्रद शीर्षक न दिए जाएँ। सांप्रदायिक हिंसा तथा बर्बरता की घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा कि राज्य के कानून तथा व्यवस्था तंत्र में लोगों का भरोसा कम न हो। सांप्रदायिक दंगो में पीड़ितों के समुदाय वार आंकड़े नहीं दिए जाएंगे और न ही घटना के बारे में इस प्रकार लिखा जाएगा जिससे भावनाओं के भड़कने, तनाव के बढ़ने या संबंधित सांप्रदायिक/धार्मिक समूहों के बीच मनोमालिन्य बढ़ने की संभावना हो अथवा जिससे परेशानी बढ़ सकती हो।

ii) पत्रकारों तथा स्तंभकारों का अपने देश के प्रति एक अति विशिष्ट उत्तरदायित्व है कि सांप्रदायिक शांति और सद्‌भाव को प्रोत्साहित करें। उनके लेख केवल उनके अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होते, बल्कि सामान्य समाज के चिंतन तथा भावनाओं को निरूपित करने में भी बहुत मदद करते हैं। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अपनी लेखनी का प्रयोग सतर्कता और संयम के साथ करें।

iii) ऐसी स्थितियों (गुजरात हत्याकांड/संकट) में मीडिया की भूमिका शांति स्थापित करने की होनी चाहिए न कि भड़काने की, परेशानी दूर करने की न कि फैलाने की। गुजरात के वर्तमान संकट में मीडिया को लोगों के बीच शांति और सामंजस्य स्थापित करने की अपनी उदात्त भूमिका निभाने दें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे वाधित करने का कोई भी प्रयास राष्ट्र-विरोधी कार्य होगा। मीडिया पर राष्ट्रीय एकता का निर्माण और सभी स्तरों पर सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करने का भारी नैतिक उत्तरदायित्व है। इस संबंध में स्वतंत्रता से पूर्व निभाई गई उनकी भव्य भूमिका स्मरणीय है।

iv) कल के इतिहास के इतिवृत्त के रूप में, मीडिया का भविष्य के प्रति यह सुस्पष्ट कर्त्तव्य है कि घटनाओं को सरल और वास्तविक तथ्यों के रूप में दर्ज करे। घटनाओं का विश्लेषण और उन पर राय बिल्कुल भिन्न बातें हैं। अतः इन दोनों के साथ व्यवहार भी भिन्न होगा। संकट के समय, यथोचित सावधानी और संयम के साथ तथ्यों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने पर, सामान्यतः, लोकतंत्र में कोई आपत्ति नहीं की जा

सकती परंतु, मत-लेख लिखने वालों पर भारी उत्तरदायित्व आता है । लेखक को सुनिश्चित करना होता है कि उसके विश्लेषण न केवल निजी मान्यताओं, पूर्वग्रहों या धारणाओं से मुक्त हों, बल्कि वे सत्यापित, सही और प्रभावित तथ्यों पर भी आधारित हों और जातियों, समुदायों या पंथों के बीच कोई वैमनस्य या शत्रुता पैदा नहीं करेंगे ।

v) जहाँ सांप्रदायिक बंधनों को तोड़ने में और सौहार्द तथा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में मीडिया के दायित्व एवं भूमिका को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए वहीं नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देना भी अत्यावश्यक है । भारतीय प्रेस को अनिवार्य रूप से दोनों को परखना और उनमें संतुलन करना चाहिए ।

21. शीर्षक सनसनीखेज़/उत्तेजक न हों और उनके नीचे मुद्रित सामग्री के लिए युक्ति संगत होः

सामान्यतः और विशेष रूप से सांप्रदायिक विवादों अथवा संघर्षों के मामले में -

क. उत्तेजक तथा सनसनीखेज़ शीर्षक न दिए जाएँ,

ख. शीर्षक उनके नीचे मुद्रित सामग्री को प्रतिबिंबित करें और उसके लिए युक्तिसंगत हों,

ग. यदि शीर्षक में किसी के द्वारा अपने वक्तव्य में लगाए गए आरोप शामिल हों तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति या स्रोत का उल्लेख किया जाए या कम-से-कम उद्धरण-चिह्न लगा दिए जाएँ।

22. जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेखः

i) सामान्यतः किसी व्यक्ति की या वर्ग विशेष की जाति पहचान न की जाए, खास तौर पर यदि उस संदर्भ में उससे उस जाति के प्रति अनादरपूर्ण भाव का बोध हो या अनादरपूर्ण आचरण अथवा व्यवहार का आरोपण होता हो।

ii) समाचार पत्रों को सलाह दी जाती है कि वे 'अनुसूचित जाति' अथवा "हरिजन" शब्द का प्रयोग न करें क्योंकि इस पर कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति की है।

iii) यदि किसी अभियुक्त या पीड़ित की जाति या समुदाय का अपराध अथवा दोष के साथ कोई संबंध न हो और किसी अभियुक्त की पहचान में या किसी कार्यवाही में उसकी कोई भूमिका न हो तो उस अभियुक्त या पीड़ित का वर्णन उसकी जाति या समुदाय से नहीं किया जाएगा।

iv) समाचारपत्र ऐसा कोई कथा साहित्य प्रकाशित न करे जिसमें उन धार्मिक चरित्रों को विकृत कर के प्रतिकूल भावना के साथ चित्रित किया गया हो और समाज के बड़े हिस्से की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई हो, जो उन चरित्रों को सद्‌गुणों से सम्पन्न तथा महान मानते है और उनका बहुत आदर करते हैं।

v) पैगंबरों ऋषियों अथवा देवताओं के नाम का प्रयोग व्यापारिक उद्देश्य से करना पत्रकारिता की आचार नीति अथवा सुरुचि के विपरीत है।

vi) यह सुनिश्चित करना समाचारपत्र का कर्त्तव्य है कि लेख के सुर, भावना तथा भाषा का स्वरूप आपत्तिजनक, उत्तेजक,

देश की एकता एवं अखंडता तथा संविधान की भावना के विरूद्ध, राजद्रोहात्मक और भड़काने वाला न हो या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा न करे । उसमें देश के विभाजन को प्रोत्साहित करने का प्रयास न किया गया हो ।

vii) पत्रकारों का एक काम यह भी है कि जनता को समाज के कमज़ोर वर्गों की नियति से अवगत कराएँ । वे समाज की ओर से उसके कमज़ोर वर्गों के रक्षक हैं ।

23. सर्वोपरि राष्ट्रीय हितः

i) समाचारपत्र आत्म नियंत्रण के रूप में, कोई भी ऐसा समाचार, टीका या जानकारी प्रस्तुत करने में यथेष्ट संयम तथा सावधानी बरतेंगे जिनसे राज्य तथा समाज के सर्वोपरि हितों या व्यक्तियों के अधिकारों को जोखिम, खतरा या क्षति होने की संभावना हो जिनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड (2) के अंतर्गत वक्तृता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून द्वारा न्यायोचित पाबंदियाँ लगा दी जाएं।

ii) गलत/ अशुद्ध नक्शे का प्रकाशन बहुत गंभीर अपराध है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, क्योंकि इससे देश की प्रादेशिक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः उसे खेदपूर्वक तत्काल तथा प्रमुख रूप से वापस लिया जाए।

24. विदेश संबंध

जनमत तैयार करने और देशों के बीच बेहतर सद्भाव विकसित करने में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग अपेक्षित है जिससे मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए कोई खतरा पैदा न हो ।

25. समाचारपत्र राजनयिक उन्मुक्ति के दुरुपयोग का उद्भासन कर सकते हैं:

मीडिया भारत तथा विदेशी राज्यों के बीच सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा बेहतर समझ बूझ के सेतुओं का निर्माण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही, समाचारपत्र का यह भी कर्त्तव्य है कि राजनयिक उन्मुक्ति के किसी दुरुपयोग अथवा अनुचित लाभ को उद्भासित करे।

26. खोजी पत्रकारिता, उसके मानक तथा पैरामीटर:

खोजी रिपोर्टिंग के तीन आधारभूत तत्व हैं:

(क) यह रिपोर्टर का काम है न कि उन व्यक्तियों का जिनकी रिपोर्ट वह कर रहा है;

(ख) उसका विषय पाठक के जानने के लिए सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए;

(ग) सच्चाई को लोगों से छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

पहला मानक निम्नलिखित से एक उपसिद्धांत के रूप में बनता है

(क) कि रिपोर्टर को अपनी कथा सामान्यतः उन तथ्यों पर आधारित करनी चाहिए जिनका स्वयं उसने अन्वेषण किया हो, पता लगाया हो और सत्यापन किया हो और सुनी सुनाई बातों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहीत प्रमाण के निष्कर्ष पर नहीं जिनकी जांच स्वयं रिपोर्टर ने प्रत्यक्ष, प्रामाणिक स्रोतों से न कर ली हो।

(ख) जो तत्व खुलेपन की अपेक्षा करते हैं और जो गोपनीयता को अनिवार्य बनाते हैं, उनके बीच संघर्ष होता है अतः खोजी

पत्रकार को एक ओर खुलेपन तथा दूसरी ओर गोपनीयता के बीच एक उचित संतुलन स्थापित कर के उसे बनाए रखना चाहिए, और सार्वजनिक भलाई को सब से अधिक महत्व देना चाहिए।

(ग) खोजी पत्रकार को अधपके अपूर्ण, शंकास्पद तथ्यों से, जिनकी स्वयं रिपोर्टर द्वारा प्रामाणिक स्रोतों से पूरी तरह जांच तथा सत्यापन न कर लिया गया हो, बनाई गई तुरन्त रिपोर्ट अथवा तात्कालिक लाभों के प्रलोभन से बचना चाहिए।

(घ) काल्पनिक तथ्यों से या अस्तित्वहीन बातों को खोज निकालने अथवा अटकलबाजियां लगाने से चेष्टापूर्वक बचा जाए। तथ्य, तथ्य और सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं और समाचारपत्र के प्रेस में जाने के क्षण तक उनकी यथासंभव जांच तथा पड़ताल की जाए।

(ङ.) समाचारपत्र तथ्यों की निष्पक्षता तथा यथार्थता के कड़े मानक अपनाए। निष्कर्षों को बिना अतिशयोक्ति या विकृति के निष्पक्ष विधि से प्रस्तुत किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कानूनी अदालत में सिद्ध किया जा सके।

(च) रिपोर्टर को विचाराधीन मामले या मुद्दे पर इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जैसे वह अभियोक्ता या अभियोजन का वकील हो। रिपोर्टर का दृष्टिकोण निष्पक्ष, सही तथा संतुलित होना चाहिए। सभी तथ्यों की मूल मुद्दों के पक्ष तथा विपक्ष, दोनों दृष्टियों से, उचित जांच कर के उन्हें स्पष्ट तथा अलग अलग व्यक्त किया जाए और कोई एक पक्षीय निष्कर्ष न निकालें जाएं, न ही पक्षपातपूर्ण टीका की जाए। रिपोर्ट का सुर तथा

भाव और उसकी भाषा सौम्य, शालीन तथा भद्र हो और अनावश्यक रूप से आपत्तिजनक, चुभने वाली, उपहासपूर्ण तथा व्यंग्यात्मक न हो, विशेषतः उस व्यक्ति के कथन पर टीका करते समय जिसकी कथित गतिविधि या दुराचार का अन्वेषण किया जा रहा है। खोजी रिपोर्टर को अपनी कार्यवाही का संचालन, और जिस व्यक्ति के कथित आपराधिक कृत्यों तथा आचरण का अन्वेषण किया जा रहा है उसके दोषी या निर्दोष होने के अपने निर्णय की घोषणा इस प्रकार नहीं करनी चाहिए जैसे वह अभियुक्त पर मुकदमा चलाने वाली अदालत हो।

(छ) समस्त कार्यवाही में, अन्वेषण, प्रस्तुति तथा रिपोर्ट के प्रकाशन सहित, खोजी पत्रकार/समाचारपत्र को आपराधिक विधिशास्त्र के इस सर्वोपरि सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक किसी व्यक्ति के विरूद्ध लगाया गया इलजाम स्वतंत्र, विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा असंदिग्ध रूप से प्रमाणित न हो जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा।

(ज) किसी सार्वजनिक व्यक्ति का भी निजी जीवन, उसका अपना होता है। उसकी व्यक्तिगत एकांतता या निजी जीवन को उद्भासित करने या उसका अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है जब तक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण न हो कि उसके विचाराधीन कुकृत्यों का उसकी सार्वजनिक स्थिति या शक्ति के साथ काफी संबंध है और जनहित पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(झ) दंड प्रक्रिया के कानूनी उपबंध उस रूप में तो किसी पत्रकार की अन्वेषक कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते, फिर भी उनमें

निहित मूलभूत सिद्धांतों को न्याय, आचार नीति तथा सद्भाव के आधार पर दिशानिर्देश के रूप में अपनाया जा सकता है।

(ञ) यह कहना कि प्रेस को कोई सूचना तब तक प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जब तक कि सरकारी रूप से जारी न की जाये, खोजी पत्रकारिता की भावना यहाँ तक कि पत्रकारिता के उद्देश्य तक की पूर्ति नहीं करेगा ।

27. <u>भरोसे का सम्मान किया जाएः</u>

यदि जानकारी किसी गोपनीय स्रोत से प्राप्त हो तो भरोसे का सम्मान किया जाए। प्रेस परिषद् द्वारा उस पत्रकार को वह स्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; किन्तु यदि पत्रकार अपने विरूद्ध आरोप का खंडन करने के लिए आवश्यक समझे और परिषद् के सामने कार्यवाही में स्रोत के बारे में स्वेच्छा से बता दे तो इसे पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। गुप्त रूप से बताई गई बातों को समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित न करने का यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होताः

(क) जब बाद में स्रोत की सहमति ले ली जाए; या

(ख) जब संपादक उपयुक्त पाद टिप्पणी द्वारा यह स्पष्ट कर दे कि कुछ बातों का प्रकाशन जनहित में था अतः संदर्भाधीन जानकारी प्रकाशित की जा रही है यद्यपि यह "गुप्त रूप से" दी गई थी।

28. <u>समाचारपत्र फूहड़ वाणिज्यीकरण से बचें</u>

i) समाचारपत्रों को सभी वैध उपायों से अपनी वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने, सुधारने अथवा मजबूत करने का अधिकार है; किन्तु प्रेस फुहड़ वाणिज्यीकरण या अपने विरोधियों के साथ इस प्रकार से अभद्र घातक वाणिज्यिक प्रतियोगिता नहीं

करेगा जो उच्च व्यावसायिक मानकों अथवा सुरुचि के प्रतिकूल हो।

ii) यदि मुद्रण में समाचारपत्रों के बीच ऐसी घातक दाम लड़ाइयां/ व्यापारिक प्रतियोगिताएं शुरू की जाएं तथा चलाई जाएं जिनमें एक दूसरे की वस्तु की निन्दा करने का सुर मिला हुआ हो, तो वह अनुचित व्यापार व्यवहार का रूप ले लेती हैं जो पत्रकारिता की आचार नीति के प्रतिकूल है। वह कब अनैतिक रूप धारण करता है, यह बात हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

iii) पत्रकारों की नियुक्ति के समय संपादक द्वारा उनसे जमानत जमा लिया जाना अनैतिक है ।

iv) मीडिया घराने को मीडिया घराने के रूप में कार्य करते हुए अपनी निष्पक्षता बनाये रखनी चाहिए और रिपोर्टिंग को अन्य कारोबार संबंधी हित जोकि मीडिया घराने के स्वामी का हो सकता है, में सहायक होने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब ऐसे निजी हित का ऐसे व्यापक महत्व के लोक कर्त्तव्य के साथ विरोध हो तब दोनों को अलग-अलग करना न केवल न्यायोचित है बल्कि अत्यावश्यक है ।

29. **कपटपूर्ण गतिविधियाँ**

ग्राहकों से चंदा लेने के बाद प्रकाशन को बंद कर के जनता को धोखा देना पत्र/पत्रिका के प्रबंधन की ओर से अनैतिक व्यवहार है । यदि बंद करना अपरिहार्य हो तो चंदे की शेष राशि ग्राहकों को लौटा दी जाए ।

30. <u>व्यावसायिक दुराचार</u>

(i) लोगों को समाचारपत्र के स्तंभों के माध्यम से बदनाम करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करना या उनसे धन ऐंठना पत्रकारिता के मानकों का घोर उल्लंघन है ।

31. <u>व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता</u>

विरोधी समाचारपत्रों द्वारा समाचारपत्र के स्तंभों का दुरूपयोग व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के फलस्वरूप एक दूसरे के प्रति निजी द्वेष निकालने के लिए न किया जाए।

32. <u>साहित्यिक चोरी</u>

i) किसी अन्य की रचनाओं अथवा विचारों को, स्रोत का उल्लेख किए बिना, अपनी कह कर इस्तेमाल करना अथवा चलाना पत्रकारिता की आचार नीति के प्रति अपराध है ।

ii) कॉपीराइट का उल्लंघन भी पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन है ।

33. <u>समाचारों को अनधिकृत रूप से उठाना :</u>

i) अन्य समाचारपत्रों से समाचार उठाने और फिर उन्हें अपना मान कर प्रकाशित कर देने की रीति पत्रकारिता के उच्च मानकों के साथ मेल नहीं खाती। इसकी अनैतिकता को दूर करने के लिए उठाने वाले समाचारपत्र को रिपोर्ट के स्रोत का विधिवत् आभार प्रकट करना चाहिए।

ii) रूपलेखों की स्थिति "समाचारों" से भिन्न है रूपलेख अनुमति/उचित आभार प्रदर्शन के बिना नहीं उठाए जाएंगे।

34. **<u>अवैध नकल</u>**

प्रेस किसी जब्त की गई पुस्तक से आपत्तिजनक अंश अथवा उद्धरण किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं करेगा।

35. **<u>अयाचित सामग्री को वापस न करनाः</u>**

i) प्रकाशन के लिए विचारार्थ बँधी गई अयाचित सामग्री को लौटाने के लिए समाचार पत्र बाध्य नहीं है। तथापि, यदि उसके साथ टिकट लगा लिफाफा हो तो समाचारपत्र को उसे लौटाने का हर प्रयास करना चाहिए।

ii) जब कभी लेखकों के लेख बिना पारिश्रमिक के छापे जाएँ तब जरूरी है कि भुगतान न करने के लिए पारस्परिक सहमति हो और समाचारपत्र को सदा इस व्यवहार का पालन करना चाहिए ।

36. **<u>विज्ञापनः</u>**

i) वाणिज्यिक विज्ञापन वैसी ही जानकारी होते हैं जैसी सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक जानकारी। इतना ही नही, विज्ञापन जीवन की रीति तथा प्रवृत्ति को कम से कम वैसे ही निरूपित करते हैं जैसे अन्य प्रकार की जानकारी तथा टीका। पत्रकारिता की मर्यादा की यह मांग है कि विज्ञापन समाचारपत्र में प्रकाशित अन्य सामग्री से स्पष्ट अलग दिखाई दें।

ii) ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों, शराब, मदिरा, अलकोहल तथा अन्य मादक द्रव्यों के उत्पादन, बिक्री या सेवन को प्रोत्साहित करे ।

iii) समाचारपत्र ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा जिसमें समाज के किसी वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अथवा समग्र रूप से अहित करने की प्रवृत्ति हो।

iv) जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के उपबंधों का उल्लंघन करते हों, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाए।

v) समाचारपत्र ऐसी किसी बात वाले विज्ञापन को प्रकाशित न करें जो अवैध या गैरकानूनी हो या सुरुचि अथवा पत्रकारिता की आचारनीति अथवा औचित्य के विरुद्ध हो।

vi) पत्रकारिता की मर्यादा की यह माँग है कि विज्ञापन समाचारपत्र में प्रकाशित संपादकीय सामग्री से स्पष्ट अलग दिखाई दें। विज्ञापन प्रकाशित करते समय समाचार पत्र उनके लिए वसूल की गई राशि निर्धारित करेंगे। इसके पीछे तर्क यह है कि विज्ञापनों के लिए राशि उसी दर से ली जाए जिससे सामान्यतः समाचार पत्र द्वारा ली जाती है क्योंकि सामान्य दर से अधिक भुगतान समाचारपत्र को सहायता माना जाएगा।

vii) डम्मी तथा उठाए गए विज्ञापनों का प्रकाशन जिनके लिए न तो भुगतान किया गया हो और न ही विज्ञापकों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन है, विशेषतः जब समाचारपत्र उन विज्ञापनों के लिए बिल भेजे।

viii) किसी विज्ञापन को जान बूझकर समाचार पत्र की सभी प्रतियों में प्रकाशित न करना पत्रकारिता की आचार नीति के मानकों के प्रति अपराध है और घोर व्यावसायिक कदाचार है।

ix) प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी विज्ञापन के कानूनी औचित्य अथवा अनौचित्य पर विचार करने के मामले में समाचार पत्र के विज्ञापन विभाग तथा संपादन विभाग के बीच पूर्ण समन्वय तथा संचार होना चाहिए ।

x) संपादकों को चाहिए कि विज्ञापनों को स्वीकार या अस्वीकार करने में अंतिम निर्णय के अपने अधिकार पर आग्रह करें, विशेषतः उनको जो शालीनता तथा अश्लीलता के बीच वाली सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रहे हों।

xi) समाचारपत्र वैवाहिक विज्ञापनों के साथ निम्नलिखित शब्दों में सावधानता सूचना प्रकाशित करें *

"पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर क्रिया करने से पहले पूरी तरह उपयुक्त जाँच पड़ताल कर लें । यह समाचारपत्र वर/वधु की स्थिति, आयु, आय के विवरण के बारे में विज्ञापक द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता।"

xii) समाचार पत्र में प्रकाशित सभी बातों के लिए, विज्ञापनों सहित, संपादक उत्तरदायी होगा। यदि उत्तरदायित्व न लेना हो तो इसका पहले से स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए।

* **पाद टिप्पणी :** दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने श्रीमती हरजीत कौर बनाम श्री सुरिंदर पाल सिंह के एफ़एओ सं0 65/1998 के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् को निर्देश दिए हैं कि समाचारपत्रों को वर्गीकृत/वैवाहिक विज्ञापन के साथ उक्त सावधानता सूचना प्रकाशित करने के लिए कहा जाए ।

xiii) 'मनोरंजक' बातचीत और सांकेतिक (अश्लील) दूर वार्ता (टेलीटॉक) हेतु दिए गए नंबर डायल करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करते हुए संपूर्ण देश में समाचार पत्रों द्वारा दिए गए टेली-फ्रैंडशिप (दूरमैत्रता) विज्ञापन किशोरों के विचारों को प्रदूषित करके अनैतिक सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रेस को ऐसे विज्ञापन अस्वीकार कर देने चाहिए ।

xiv) गुप्त प्रलोभन के संकेतक, अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक स्वस्थता सेवाओं के वर्गीकृत विज्ञापन विधि के साथ-साथ नीति का उल्लंघन करते हैं। समाचार पत्र को ही सुनिश्चित करने के लिए कि प्रलोभनकारी विज्ञापन न दिये जाएँ, ऐसे विज्ञापन के परीक्षण के लिए समुचित साधन अपनाने चाहिए ।

xv) हमारे सामाजिक परिवेश और स्वीकृत परंपरागत मूल्यों, जो कि हमारे देश में प्रिय हैं, में गर्भ निरोधक विज्ञापन तथा विज्ञापन के साथ ब्रांड आइटम को संलग्न करना नैतिक नहीं है। एक समाचारपत्र का परम धर्म है कि वह एड्स से बचने के लिए एहतियाती कार्रवाई के बारे में लोगों को शिक्षित करे और विज्ञापन, चाहे वे सामाजिक कल्याण संगठन द्वारा जारी किए गए हों, को स्वीकार करने में अपेक्षाकृत अधिक दूरदर्शिता दिखाएँ ।

xvi) रोज़गार समाचार जिसपर सरकारी नौकरियों के प्रामाणिक समाचार के व्यवस्थापक के रूप में विश्वास किया जाता है, को केवल वास्तविक प्राइवेट निकायों के विज्ञापन स्वीकार करने में अधिक सावधान रहना चाहिए ।

xvii) शैक्षणिक संस्थानों के विज्ञापन स्वीकार करते हुए समाचारपत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों में यह अनिवार्य विवरण दिया जाये कि सम्बद्ध संस्थानों को कानून के संगत अधिनियमनों के तहत मान्यता दी गई है ।

xviii) आज के समाज के संबंध में तथा मूल्यों के निर्धारण में विज्ञापन अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और चूँकि अधिकाधिक उदारवादी दृष्टिकोण रखा जा रहा है जोकि सिद्धांत नहीं है, 'लोकानुभूति' में ऐसे मामलों की स्वीकार्यता में तेज़ी आ सकती है परंतु किस कीमत पर यह विचारणीय महत्वपूर्ण बिंदु है । यह ध्यान रखना चाहिए कि सम्बद्ध विश्व दौड़ में हमें उन मूल्यों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए जिनके कारण ही भारत को नैतिकता के आधार पर संपूर्ण विश्व में अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है ।

37. <u>आंतरिक विवाद</u>

(क) प्रबंधन-संपादक संबंध

i) एक ओर संपादक तथा पत्रकार और दूसरी ओर प्रबंधक, कार्यपालक अथवा प्रशासक के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है चाहे किसी समाचारपत्र विशेष में उन्हें कुछ भी नाम दिया जाए । संपादक तथा प्रबंधन के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं और पत्र को निकालने के लिए प्रतिष्ठान के कुशल प्रबंध हेतु जो भी समन्वय अपेक्षित हो, दोनों के काम भिन्न भिन्न हैं और ऐसे ही रहने चाहिएँ ।

एक बार मालिक सामान्य मार्गदर्शन के लिए नीति तय कर दे तो उसके बाद संपादक और उसके अधीन काम करने वाले पत्रकारों के दैनंदिन कामकाज में न वह हस्तक्षेप कर सकता है न ही उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति ।

यह सर्वमान्य है कि प्रेस की स्वतंत्रता मूलतः लोगों की सभी विषयों, समस्याओं तथा घटनाओं के बारे में सही तथा पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। संपादकीय कार्यों के नि-पादन में संपादक सर्वोच्च है, मालिक से भी ऊपर ।

समाचारपत्र की स्वतंत्रता मूलतः संपादक की सभी आंतरिक और बाह्य प्रतिबंधों से स्वतंत्रता है। जब तक संपादक को यह स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वह जनता के प्रति अपना प्राथमिक कर्त्तव्य नहीं निभा पाएगा और इस स्वतंत्रता के बिना उसे समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाली हर बात के लिए कानून के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

समाचारपत्र को चलाने में समाचारपत्र के प्रबंध, प्रशासन या व्यवसाय पक्ष को उसके संपादकीय पक्ष से स्वतंत्र रखा जाए और उसे संपादन विभाग में हस्तक्षेप करने या दखल देने की अनुमति न दी जाए । यदि मालिक और संपादक एक ही हो, तब भी यह एहतियात बरतनी होगी । मालिक को चाहिए कि अपने व्यावसायिक हितों या धारणाओं को जनता के प्रति समाचारपत्र के दायित्व पर हावी होने या हस्तक्षेप करने की अनुमति न दे ।

इसीलिए प्रबंधन पर भी यह दायित्व आता है कि संपादक के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो सक्षम, ईमानदार और स्वतंत्र विचारों वाला हो ।

अंतिम विश्लेषण में किसी भी व्यवस्था का सफल संचालन प्रबंधन, संपादक, संपादकीय पत्रकारों और समाचारपत्र के प्रकाशन में निष्ठापूर्वक काम करने वाले सभी व्यक्तियों की पारस्परिक समझ बूझ, सहयोग और सद्भाव पर निर्भर करता है ।

यदि विभिन्न विभागों के बीच, संपादन सहित, समन्वय स्थापित करने में प्रबंधन द्वारा संपादक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए कि किन समाचारों या विचारों को शामिल करना अथवा निकालना है, उनकी लंबाई तथा ब्यौरा और भाषा तथा स्थान जहाँ उन्हें छापा जाना है और उन्हें कितनी प्रमुखता दी जानी है तो इस प्रकार की शिकायत आने की कम संभावना है कि उस समन्वय ने संपादक की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है । किंतु यदि सामग्री के चयन के बारे में संपादक के विवेक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाए तो वह निश्चय ही उक्त स्वतंत्रता का अनावश्यक उल्लंघन होगा ।

ii) मालिक द्वारा संपादक को कभी भी उसके निजी हितों के लिए काम करने को नहीं कहा जा सकता । संपादक से मालिक के निजी हितों के लिए काम करने की अपेक्षा करना न केवल संपादक के पद के महत्व को कम करना है, बल्कि समाचारपत्र की विषयवस्तु के बारे में समाज के ट्रस्टी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा का अधिक्रमण भी है। प्रेस की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का दम भरने वाले किसी भी देश में किसी भी समाचारपत्र के

मालिक द्वारा अपने संपादक का प्रयोग अपने निजी हितों को साधने के लिए अपने व्यक्तिगत एजेंट के रूप में करना और उसे उसी उद्देश्य से लिखने तथा काम करने के लिए मजबूर करना आपत्तिजनक भी है और भर्त्सना योग्य भी । कोई भी संपादक या वस्तुतः कोई भी पत्रकार जो ऐसे काम करता है या करने के लिए राज़ी हो जाता है वह न केवल अपनी बल्कि पत्रकारिता के व्यवसाय की भी प्रतिष्ठा कम करता है और वह इस व्यवसाय में रहने के योग्य नहीं है। वह उस विश्वास को झुठलाता है जो निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं सर्वांगीण समाचार व विचार उपलब्ध कराने के लिए समाज उसमें रखता है।

(ख) प्रबंधन बनाम पत्रकार : कार्यात्मक संबंध

समाचार प्रबंधन का रिपोर्टर को अपने पत्रकारिता संबंधी दायित्व को निभाने के अतिरिक्त दायित्व के प्रशासनिक/वाणिज्यिक पक्ष को निभाने का निदेश देना अनैतिक अभ्यास है और कार्यात्मक संबंध को नष्ट करते हुए पत्रकारों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है ।

38. <u>ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणी</u>

ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने से पाठकों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इसी कारण अवांछनीय है । सामान्य हित दैनिकों और आवधिकों के संपादक जोकि वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने और अंधविश्वास तथा भाग्यवादिता का मुकाबला करने में विश्वास रखते हैं को ज्योतिष संबंधी भविष्यवाणियों के प्रकाशन से बचना चाहिए । वे पाठक, जिनकी ज्योतिष में रुचि है, इस विषय पर विशिष्ट प्रकाशनों को देख सकते हैं ।

39. प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्ट

i) महामारियों के फैलने या प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रामाणिक स्रोतों से जाँच करने के बाद यथेष्ट संयम के साथ उन्हें इस प्रकार प्रकाशित किया जाए कि उसमें सनसनी, उत्तेजना, कल्पनाएं तथा अपुष्ट तथ्य न हों ।

ii) समाज के कृताकृत के माध्यम से प्राकृतिक अथवा मानक निर्मित जोखिम विनाशकारी हो जाते हैं। अतः मीडिया सहित सभी दावेदारों द्वारा रोकथाम संबंधी कार्रवाई करके विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता है ।

iii) मीडिया को आपदा में कमी के संभाव्य लाभों और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए का व्यापक प्रचार करना चाहिए ताकि समाज आपदाओं के दौरान और उनके होने के पश्चात् पहले से ही उनका पालन करे। मानक दिशानिर्देशों पर लोगों को विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे जोकि आपदा के दौरान और इसके पश्चात् सर्वाधिक दुर्बल वर्ग हैं, को मीडिया द्वारा सावधानीपूर्वक उठाना चाहिए ।

iv) यह आवश्यक है कि मीडिया और सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के बीच पूर्ण सहयोग हो । उनके बीच सहयोग और समन्वय की सीमा आपदाओं से निपटने अथवा उन्हें रोकने की तैयारी की प्रकृति, डिग्री और पैमाना निर्धारित करती है ।

40. एचआईवी/एड्स और मीडिया-कर्त्तव्य और निषेघ

कर्त्तव्य

- मीडिया को चाहिए कि लोगों को सूचित और शिक्षित करे, न कि भयभीत या आतंकित ।
- वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और संवेदी बनिए ।
- तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की बदलती हुई वास्तविकताओं से अवगत रहिए ।
- उपयुक्त भाषा तथा शब्दावली का प्रयोग करिए जो कलंक लगाने वाली न हो ।
- सुनिश्चित करिए कि शीर्षपंक्ति सही और संतुलित हो ।
- उत्तरदायी बनिए; एचआईवी/एड्स के साथ जी रहे लोगों (पीएलएच आईवी) की आवाज़ का प्रयोग करके तस्वीर के सभी पहलू प्रस्तुत करिए ।
- निवारण और संचरण के बारे में भ्रांतियों को दूर करिए ।
- चमत्कारी इलाज और संक्रमण से बचने के अवैज्ञानिक दावों के बारे में काल्पनिक मान्यताओं का असली रूप दिखाइए ।
- मुद्दे की गंभीरता को कम न करते हुए सकारात्मक कथाओं को उजागर करें ।
- संक्रमित लोगों, उनके परिवारों और साथियों की गोपनीयता बनाए रखिए।
- सुनिश्चित करें कि चित्रों से उनकी गोपनीयता प्रकट न हों ।

- सुनिश्चित करें कि चित्रों के शीर्षक यथार्थ हों ।
- लिंग संवेदी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें और घिसी-पीटी बातों से बचें ।
- डाटा प्राधिकृत स्त्रोतों से लें क्योंकि गलत रिपोर्टों का मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कलंक बढ़ता है ।
- पत्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि जिनसे भेंटवार्ता की जा रही है वे प्रकट होने / पहचान के प्रभावों को समझते हैं ।
- सुविदित सहमति सुनिश्चित करें, जहां संभव हो, लिखित रूप में।
- एचआईवी-संबंधित आत्महत्या या भेद-भाव की घटनाओं जैसी नकारात्मक कथाओं की कवरेज को संतुलित करने के लिए हेल्पलाइनों/परामर्श केंद्रों के संपर्कों का शामिल कर लें।
- आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक और विकास के मुद्दों पर संक्रमण के प्रभाव की जाँच के लिए रिपोर्ट को व्यापक बनाएं।
- जब कभी शंका हो, स्पष्टीकरण के लिए पॉजिटिव लोगों के स्थानीय नेटवर्क या राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी या वर्तमान शब्दावली दिशानिर्देशों से संपर्क करें ।
- सुनिश्चित करें कि प्रश्न बहुत निजी या अभियोगात्मक न हों।
- एचआईवी के साथ जी रहे लागों को सकारात्मक रूप में दर्शाएँ, उन्हें 'पीड़ितों' के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में चित्रित करें ।

<u>निषेध</u>

- किस्से को सनसनीखेज़ न बनाएँ ।
- ऐसे निर्णय न लें जिन से पीएलएच आईवी पर दोष लगता हो।
- संक्रमण का वर्णन करने के लिए 'अनर्थ' जैसे शब्दों का प्रयोग मत करें और न ही पीएलएचआईवी का वर्णन एड्स वाहक, वेश्या, व्यसनी, एड्स का रोगी/शिकार/पीड़ित के रूप में करें।
- इस बात पर अनावश्यक जोर न दें कि एचआईवी वाले व्यक्ति को संक्रमण कैसे हुआ।
- एचआईवी और एड्स से संक्रमित तथा प्रभावित बच्चों की पहचान नाम या फोटो से न करें, सहमति से भी नहीं।
- छिपे हुए कैमरों का प्रयोग न करें।
- बीमार तथा मरणासन्न की भयानक रिपोर्टों और छवियों से बचें जिनसे विषाद, बेबसी तथा अलगाव की भावना व्यक्त होती हो।
- ग्राफिक्स के रूप में खोपड़ियों, आडीं हड्डियों, साँपों या ऐसे दृश्यों का प्रयोग न करें।
- जाति लिंग या यौन स्थिति के संदर्भों से बचें।
- यौन अल्पसंख्यकों के बारे में, समलिंगी, उभयलिंगी या ट्रान्सजैंडर (एलजीबीटी) सहित, घिसी-पीटी बातों को न दोहराएँ ।
- संक्रमित व्यक्तियों का चित्रण पीड़ितों, दोषियों या दया के पात्रों के रूप में न करें ।

- एचआईवी,एसटीआई, चर्म रोगों, तपेदिक तथा अन्य सांयोगिक संक्रमणों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को प्रोत्साहित न करें।
- स्वेच्छिक परीक्षण के इच्छुक व्यक्तियों की गोपनीयता भंग न करें।

41. (क) <u>मीडिया द्वारा परीक्षण</u>

परिचय

मीडिया और न्यायपालिका लोकतंत्र के दो महत्त्वपूर्ण स्तंभ और प्राकृतिक साथी हैं, सफल लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर एक दूसरे का पूरक है । कानून की विधिवत् प्रक्रिया के लिए ज़रूरी उपायों को वक्तृता की स्वतंत्रता पर प्राथमिकता मिलानी चाहिए । निष्पक्ष परीक्षण और वक्तृता की स्वतंत्रता के बीच संघर्ष की स्थिति में निष्पक्ष परीक्षण को अधिक महत्त्व देना जरूरी है क्योंकि किसी अभियुक्त के लिए निष्पक्ष परीक्षण पर समझौता बहुत हानि पहुँचाएगा और न्याय करने का तंत्र विफल हो जाएगा । अतः, मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए और अदालतों के काम-काज तथा कानून की प्रक्रियाओं के बारे में आधारभूत जानकारी दी जाए ।

i) अभियुक्त को तब तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है जब तक अदालत द्वारा अपराध का निर्णय न सुना दिया जाएगा ।

ii) मीडिया की रिपोर्टों में सामान्य जनता को अभियुक्त व्यक्ति की सह-अपराधिता में विश्वास करने के लिए प्रेरित न किया जाए क्योंकि इससे पुलिस द्वारा निष्पक्ष अन्वेषण पर अनुचित दबाव पड़ता है ।

iii) किये गये अपराध पर सरकारी एजेंसियों द्वारा छानबीन की दिशा के बारे में गप-शप पर आधारित सूचना प्रकाशित करना घटना का ऐसा प्रचार करता है जिससे अपराध करने वाले व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर जाने में सहायता मिल सकती है ।

iv) यह सदा उचित नहीं होता कि अपराध से संबंधित मुद्दों पर दिन-प्रति-दिन के आधार पर जोरदार रिपोर्टिंग की जाए या तथ्यों का पता लगाए बिना अपराध के कल्पित साक्ष्य पर टिप्पणी की जाए ।

v) किसी अपराधिक मामले में अन्वेषण के स्तर पर मीडिया की रिपोर्टिंग द्रुत और निष्पक्ष अन्वेषण सुनिश्चित कर सकती है, परंतु गोपनीय जानकारी प्रकट करने से अन्वेषण में बाधा आ सकती है या पूर्वग्रह बन सकता है । अतः अन्वेषण के पूरे ब्योरे तक निर्बाध पहुँच नहीं हो सकती ।

vi) पीड़ितों, गवाहों, संदिग्ध व्यक्तियों और अभियुक्तों का अत्यधिक प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके निजता अधिकारों पर हमलों के समान है ।

vii) समाचारपत्रों/मीडिया द्वारा गवाहों की पहचान किये जाने से उन्हें अभियुक्तों अथवा उनके साथियों के साथ-साथ जाँच एजेंसियों से खतरा हो जाता है । अतः मीडिया को गवाहों की पहचान नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वे दबाव के कारण प्रतिकूल हो सकते हैं ।

viii) संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर नहीं दर्शायी जानी चाहिए क्योंकि इसके कारण अभियुक्त की पहचान के लिए दंड प्रक्रिया

संहिता के अंतर्गत की गयी ‘पहचान परेडों’ के दौरान समस्या खड़ी हो सकती है ।

ix) मीडिया से यह आशा नहीं की जाती कि अपना समांतर परीक्षण करे या निर्णय की भविष्यवाणी करके न्यायाधीश, ज्यूरी अथवा साक्षियों पर अनुचित प्रभाव डाले या कार्यवाही के किसी पक्षकार में पूर्वग्रह पैदा करें ।

x) परीक्षण/सुनवाई के बाद की रिपोर्टिंग में प्रायः दिए गए निर्णय की रिपोर्टिंग होती है । परंतु जब कार्यवाही की समाप्ति और निर्णय के बीच अंतराल हो तो समाप्त हुई कार्यवाही पर, आने वाले निर्णय को प्रभावित करने के लिए उद्दिष्ट साक्ष्य और/या तर्कों पर चर्चा सहित, टिप्पणी से बचा जाए ।

xi) आरंभिक परीक्षण पर रिपोर्ट देने के बाद मीडिया का कर्त्तव्य है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय के प्रकाशन के साथ मामले का अनुवर्तन करे ।

(ख) <u>स्टिंग ऑपरेशनों पर दिशानिर्देश</u>

i) किसी स्टिंग ऑपरेशन पर रिपोर्ट करने का इच्छुक समाचारपत्र उसे रिकार्ड या प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से इस आशय का प्रमाणपत्र लेगा कि ऑपरेशन वास्तविक और सदाशयी है।

ii) स्टिंग ऑपरेशन के विभिन्न चरणों का एक लिखित समवर्ती रिकार्ड अवश्य हो।

iii) स्टिंग ऑपरेशन को रिपोर्ट करने का निर्णय संपादक द्वारा अपनी तसल्ली करने के बाद लिया जाएगा कि मामला

जनहित का है और रिपोर्ट सभी कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

iv) प्रिंट मीडिया में प्रकाशित स्टिंग ऑपरेशन भावी पाठक के बोध को ध्यान में रख कर बनाया जाए। पाठक को आघात या ठेस से बचाने के लिए पूरी सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए ।

42. <u>फोटो पत्रकारिता के लिए मानक</u>

केवल शब्दों की अपेक्षा किसी समाचार की तस्वीर या दृश्य प्रस्तुति पाठकों तथा दर्शकों पर अधिक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव डालती है।अतः, निम्नलिखित कर्त्तव्यों तथा निषेधों का पालन उन्हें अपने आचार के आत्मनियंत्रण और व्यावसायिक निष्ठा तथा उच्च मानक बनाए रखने में मदद करेगा ।

<u>कर्त्तव्य</u>

1. चित्र यथार्थ और बोधगम्य हों और व्यक्तियों को सही संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए।

2. सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा का व्यवहार किया जाए। नाज़ुक व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और अपराध अथवा उन्माद के पीड़ितों के साथ अनुकंपा का व्यवहार किया जाए। निजी दुःख को तभी शामिल किया जाए जब जनता की उसे बाँटने या देखने की प्रबल और न्यायोचित रुचि हो ।

3. किसी दृश्य सामग्री का संपादन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि चित्रों की विषय-वस्तु और संदर्भ की निष्ठा को बनाए रखा गया है। चित्रों में हेरफेर न किया जाए और न ही ध्वनि में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए जिससे दर्शकों को भ्रांति हो या व्यक्तियों का ग़लत निरूपण हो ।

4. व्यक्तियों से व्यवहार करते समय विनम्र रहने का प्रयास करें।

5. फोटोग्राफिक क्षण की निष्ठा का सम्मान किया जाए।

6. चित्र कोई ऐसी बात निरूपित न करें जो अश्लील, अभद्र या जनता की सुरुचि को ठेस पहुँचाने वाली हो ।

7. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि जनता का कामकाज जनता में किया जाए। सभी पत्रकारों के लिए पहुँच के अधिकारों की रक्षा करें ।

8. व्यक्तियों तक पूर्ण और निर्बाध पहुँच के लिए प्रयास करें और छिछले या हड़बड़ी वाले अवसरों के लिए विकल्प सुझाएँ ।

9. विविध दृष्टिकोण लें और अप्रिय या अलक्षित दृष्टिकोणों को दिखाने के लिए काम करें ।

10. इस संहिता में अभिव्यक्त भाव और उच्च मानकों को उदाहरण तथा प्रभाव द्वारा बनाए रखने की कोशिश करें। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसमें उचित कार्रवाई स्पष्ट न हो, तब उनसे परामर्श लें जो इस व्यवसाय में उच्चतम मानक दर्शाते हैं ।

निषेध

1. व्यक्तियों की फोटो लेते समय जानबूझ कर घटनाओं को बदलने, या बदलने की कोशिश करने या प्रभावित करने का प्रयास न करें ।

2. किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप या आक्रमण न किया जाए जब तक कि वह वास्तविक भारी जनहित के आधार पर, न कि किसी कामुक अथवा विकृत कुतूहल के आधार पर, अनिवार्य न हो ।

3. आतंकवादी हमलों, सांप्रदायिक दंगों या हिंसा की अन्य घटनाओं को कवर करते समय क्षत-विक्षत शवों या ऐसी अन्य छवियों को न दिखाएँ जो घृणा अथवा आतंक पैदा करें या सांप्रदायिक अथवा धार्मिक भावनाएँ भड़काएँ ।

4. मंचित फोटो अवसरों से प्रभावित न हों ।

5. उनसे उपहार, अनुग्रह या मुआवज़ा स्वीकार न करें जो कवरेज को प्रभावित करने की माँग कर सकते हों ।

6. ऐसे राजनीतिक, सिविक या व्यापार के धंधों अथवा नौकरी से बचें जो उनकी व्यावसायिक स्वतंत्रता से समझौता कर सकती हो या समझौता करती हुई प्रतीत हो ।

7. सूचना या भागीदारी के लिए स्त्रोत अथवा व्यक्ति को कोई भुगतान न करें और न ही कोई तात्विक प्रतिफल दें ।

8. काम में किसी प्रकार का पक्षपात निरूपित नहीं होना चाहिए।

9. अन्य पत्रकारों के प्रयासों को जानबूझ कर ध्वस्त न करें ।

भाग ख : विशिष्ट मुद्दों पर दिशानिर्देश

क) <u>सांप्रदायिक उपद्रवों के बारे में प्रेस द्वारा अनुपालन हेतु दिशानिर्देश 1969</u>

प्रेस को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत के राजनीतिक जीवन को रूप देने वाले विभिन्न सांप्रदायिक तथा धार्मिक समूहों के बीच मैत्रीपूर्ण तथा सद्भावपूर्ण संबंधों की आवश्यकता के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा जनता की राय बनाने में और राष्ट्रीय अखंडता प्राप्त करने के लिए देश के सर्वोत्तम पुरुषों के विवेक को प्रतिबिंबित करने में उसे महान तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस बात को महसूस करते हुए भारतीय प्रेस परिषद् ने यह सोचा कि यदि सांप्रदायिक संबंधों को प्रभावित करने वाले मामलों की रिपोर्ट करने में प्रेस उचित मानकों तथा आदर्शों का कड़ाई से पालन नहीं करेगी तो यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा, सांप्रदायिक शांति तथा सद्भाव की स्थापना नहीं हो पाएगी और राष्ट्रीय एकता भंग हो जाएगी। सब बातों को शामिल करने का प्रयास किए बिना परिषद् की राय में निम्नलिखित बातें पत्रकारिता की मर्यादा तथा आचार नीति के प्रति अपराध हैं :

1. सांप्रदायिक मामलों से संबंधित तथ्यों अथवा घटनाओं को विकृत करना या बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपुष्ट अफवाहों संदेहों अथवा निष्कर्षों को तथ्यों के रूप में प्रचारित करना और उन्हीं पर अपनी टीका को आधारित करना।

2. समाचारों तथा विचारों की प्रस्तुति में उग्र या असंयमित भाषा का प्रयोग चाहे वह साहित्यिक सौष्ठव के रूप में या अलंकार अथवा जोर देने के उद्देश्य से ही क्यों न हो।

3. अपनी शिकायतों को दूर कराने के एक साधन के रूप में, चाहे वे सच्ची हों या न हों, हिंसा को प्रोत्साहित या क्षमा करना, भड़काए जाने पर भी।

4. किसी भी समुदाय की सच्ची तथा वैध शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना तो प्रेस की विधि सम्मत कार्य है ताकि शांतिपूर्ण, कानूनी तथा वैध तरीकों से उनका निवारण हो सके किन्तु शिकायतें गढ़ना या वास्तविक शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर लिखना अनुचित तथा पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन है क्योंकि इससे सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा होती है और वैमनस्य को बढ़ावा मिलता है।

5. समुदायों अथवा व्यक्तियों पर फूहड़ तथा झूठे प्रहार, विशेषतः जब उनके साथ यह आरोप हो कि उनका कदाचार उस समुदाय विशेष या जाति विशेष का सदस्य होने के कारण है।

6. ऐसी घटनाओं को झूठमूठ सांप्रदायिक रंगत देना जिनके घटित होने में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हों।

7. ऐसी बातों पर जोर देना जिनसे सांप्रदायिक घृणा या दुर्भावना पैदा हो सकती हो अथवा समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पनप सकती हो।

8. भयोत्पादक समाचार छापना जो तत्वतः झूठे हों या उन समाचारों पर उत्तेजक टीका लिखना वैसे भी विभिन्न समुदायों अथवा प्रादेशिक या भाषायी समूहों के बीच कटु संबंध पैदा करने के उद्देश्य से लिखना।

9. सनसनी फैलाने के उद्देश्य से वास्तविक घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसे समाचारों का मोटे शीर्षकों के साथ अथवा विशिष्ट टाइप में प्रकाशन जिनसे सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

10. विभिन्न धर्मों, मतों अथवा उनके प्रवर्तकों के बारे में अपमानजनक, अशिष्ट अथवा अनादरपूर्ण टिप्पणी लिखना अथवा उल्लेख करना।

<u>सांप्रदायिक उपद्रवों के संबंध में राज्य सरकारों तथा मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए जारी दिशा निर्देश 1991</u>

i. राज्य सरकार को ऐसे सांप्रदायिक लेखों पर कड़ी नजर रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए जिन से तनाव, विनाश तथा मृत्यु को बढ़ावा मिल सकता है और उनकी सूचना परिषद् को देनी चाहिए।

ii. सरकार को गलती करने वाले समाचारपत्रों या संपादकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अवसर मिल सकता है। किन्तु ऐसा कानून की सीमाओं के भीतर ही किया जाए। यदि पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए या तलाशी तथा जब्ती की कार्यवाही आवश्यक हो जाए तो यह स्वस्थ परंपरा होगी कि इन घटनाओं की सूचना प्रेस परिषद् को 24 से 48 घंटे के भीतर दे दी जाए और फिर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाए;

iii. प्राधिकारी किसी भी स्थिति में बदले की भावना से काम न करें यथा विज्ञापनों में कटौती, मान्यता को रद्द करना, न्यूज प्रिंट कोटा तथा अन्य सुविधाओं में कटौती;

iv. प्रेस को भड़काने वाले तथा सनसनीखेज शीर्षकों से बचना चाहिए;

v. शीर्षक अपने नीचे मुद्रित सामग्री को प्रतिबिंब करने वाले और युक्ति संगत हो;

vi. यदि हताहतों की संख्या की यथार्थता के बारे में शंका हो और यदि विभिन्न स्रोतों द्वारा बताई गई संख्या में बहुत अंतर हो तो शीर्षकों में कम वाले आंकड़े देने चाहिए;

vii. यदि शीर्षकों में किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया आरोप शामिल हो तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति/निकाय का नाम लिखा जाए या, कम से कम उद्धरण चिन्ह लगाए जाएं;

viii. समाचार रिपोर्टो में टीका तथा मूल्यांकन नहीं होना चाहिए;

ix. समाचारों की प्रस्तुति एक पक्षीय भावनाओं से अभिप्रेरित या निर्देशित न हो और न ही ऐसी प्रतीत हो;

x. समाचारों को लिखने में प्रयुक्त भाषा संयमित तथा ऐसी हो जो समुदायों तथा समूहों के बीच सद्भावना तथा सौहार्य पैदा करे;

xi. सुधारों को तत्परतापूर्वक यथेष्ट प्रमुखता के साथ छापा जाए और गंभीर मामलों में खेद भी व्यक्त किया जाए; और

xii. यदि इन सब सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए पत्रकारों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए तो बहुत मदद मिलेगी।

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के परिणाम स्वरूप 21 22 जनवरी, 1993 को प्रेस परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देश

पत्रकारिता की निम्नलिखित अनुचित तथा अनैतिक बातें करने से बचने के लिए दिशा निर्देशः

1. सांप्रदायिक मामलों से संबंधित तथ्यों अथवा घटनाओं को विकृत करना या बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपुष्ट अफवाहों, संदेहों अथवा निष्कर्षो को तथ्यों के रूप में प्रचारित करना और उन्हीं पर अपनी टीका को आधारित करना।

2. समाचारों तथा विचारों की प्रस्तुति में उग्र या असंयमित भा-ाा का प्रयोग, चाहे वह साहित्यिक सौष्ठव के रूप में या अलंकार अथवा जोर देने के उद्देश्य से ही क्यों न हो।

3. अपनी शिकायतों को दूर कराने के एक साधन के रूप में, चाहे वे सच्ची हो या न हों, हिंसा को प्रोत्साहित या क्षमा करना, भड़काए जाने पर भी।

4. किसी भी समुदाय की सच्ची तथा वैध शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना तों प्रेस का विधि सम्मत कार्य है ताकि शांतिपूर्ण, कानूनी तथा वैध तरीकों से उनका निवारण हो सके किन्तु शिकायतें गढ़ना या वास्तविक शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर लिखना अनुचित तथा पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन है क्योंकि इससे सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा होती है और वैमनस्य को बढ़ावा मिलता है।

5. समुदायों तथा व्यक्तियों पर फुहड़ तथा झूठे प्रहार, विशेषतः जब उनके साथ यह आरोप हो कि उनका

कदाचार उस समुदाय विशेष या जाति विशेष का सदस्य होने के कारण है।

6. ऐसी घटनाओं को झूठमूठ सांप्रदायिक रंगत देना जिनके घटित होने में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हों।

7. ऐसी बातों पर जोर देना जिनसे सांप्रदायिक घृणा या दुर्भावना पैदा हो सकती हो अथवा समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पनप सकती हो।

8. भयोत्पादक समाचार छापना जो तत्वतः झूठे हों या उन समाचारों पर उत्तेजक टीका लिखना या वैसे भी विभिन्न समुदायों अथवा प्रादेशिक या भाषायी समूहों के बीच कटु संबंध पैदा करने के उद्देश्य से लिखना।

9. सनसनी फैलाने के उद्देश्य से वास्तविक घटनाओं का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन तथा ऐसे समाचारों का मोटे शीर्षकों के साथ अथवा विशिष्ट टाइप में प्रकाशन जिनसे सांप्रदायिक सद्‌भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

10. विभिन्न धर्मों, मतों अथवा उनके प्रवर्तकों के बारे में अपमानजनक अशिष्ट अथवा अनादरपूर्ण टिप्पणी लिखना अथवा उल्लेख करना।

ख) सैन्य वादियों/आतंकवादियों के विज्ञप्ति पत्रकों का प्रकाशन दिशानिर्देशक सिद्धांत 1991-1992

असम के एक समाचारपत्र द्वारा उलफा के कुछ विज्ञप्ति पत्रकों/धमकी भरी पर्चियों के प्रकाशन के विरूद्ध शिकायत के फलस्वरूप प्रेस परिषद् ने प्रेस के दिशानिर्देश के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए हैं। पंजाब तथा जम्मू ओर कश्मीर पर भारतीय प्रेस परिषद् की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुरूप हैं जिन्हें प्रेस परिषद् ने जनवरी 1991 में स्वीकार किया था।

यह दिशानिर्देशक सिद्धांत, जिन पर परिषद् ने सितंबर 1992 में विचार किया था, निम्नलिखित हैः

हिंसा में लिप्त तत्वों से आने वाले आदेशों या "प्रेस ज्ञापनों" को दबाव अथवा घोर परिणामों की धमकियों के अंतर्गत समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के लिए कहना "प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीरतम प्रहार है जो लोकतांत्रिक तथा बहु सामुदायिक समाज का एक सब से अधिक विश्वसनीय आधार है।" सामान्यतः वे आदेश या ज्ञापन अपने में ही समाचार योग्य नहीं होते हैं। उनके प्रकाशन से जनता का मनोबल गिरता है और जनता, पुलिस तथा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके प्रकाशन से केवल संबंधित समाचारपत्र की स्वतंत्रता तथा आजादी ही दुष्प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह पत्रकारिता की आचारनीति के मानकों तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व के प्रति भी अपराध है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि किसी भी स्त्रोत से आने वाले "प्रेस ज्ञापन" में कुछ समाचार योग्य हो तो उसे बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया जाए क्योकि "स्वतः आरोपित सैन्सर व्यवस्था भी" छली होने के

लिए कम खतरनाक नहीं होती"। जरूरी बात यह है कि ऐसे प्रेस ज्ञापनों के प्रकाशन पर विचार करते समय संपादक उचित सावधानी तथा सतर्कता बरतें। यदि सारा ज्ञापन हानिकर न हो तो उसका संपादन किया जाए, आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएं, भाषा सौम्य बना दी जाए ताकि जो कुछ समाचार योग्य हो, संतुलित रूप में प्रकाशित हो जाए। किन्तु यदि "समाचार" तथा आपत्तिजनक अंश बिल्कुल घुले मिले हुए हों और "प्रेस ज्ञापन" का सारा ताना भाना ही दूषित हो तो उसके प्रकाशन को बिल्कुल रोक लेने में ही समझदारी होगी।

पंजाब में आतंकवाद के मीडिया के अनुभव से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यह कोई आसान काम नहीं है। आतंकवादी हमलों में 50 से अधिक मीडिया कर्मचारी अपनी जान गवां चुके है और किसी सैन्यवादी के प्रेस ज्ञापन की उपेक्षा से बेकसूर तथा निःसहाय मीडिया व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है और कई बार हो चुकी है। संपादकीय रक्षा तथा साहस के किसी भी प्रदर्शन को समाचारपत्र के निःसहाय कर्मचारी यह समझ सकते हैं कि उन्हें अनावश्यक खतरे में डाला जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में संपादकों तथा मालिकों के लिए अपनी बात रखने की कोई गुजांइश नहीं होती।

इस बारे में पंजाब में एक व्यावहारिक उपाय सफल रहा है कि सरकार समाचारपत्रों के साथ निकट संपर्क में रहे और हिंसा में ग्रस्त समूहों से आने वाले आपत्तिजनक तथा राष्ट्र विरोधी प्रेस ज्ञापनों को छपने से पहले समाचार पत्रों से निकाल दिया जाए। यद्यपि इसे एक प्रकार की पूर्व सेन्सरशिप माना जाएगा, फिर भी इस व्यवस्था ने अनेक जानें बचाई हैं और समाचारपत्रों की कठिन नाजुक स्थितियों से रक्षा की है।

किन्तु इसमें एक खतरा यह है कि निरंकुश प्रशासन इस व्यवस्था का प्रयोग प्रेस का मुंह बंद करने के लिए कर सकता है और कानून के अंतर्गत अपने अधिकार का दुरुपयोग "आपत्तिजनक सामग्री" को अपनी इच्छानुसार परिभाषित करने के लिए कर सकता है। अतः कड़ी प्रक्रियाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस बारे में किसी भी कानून के अंतर्गत तथा कथित "आपत्तिजनक सामग्री" के प्रकाशन के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के लिए किसी प्रकार की अपीलीय समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मनमानी कार्यवाही की प्रवृत्ति को रोका जा सके। मुख्य कानून तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की भी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार आवधिक समीक्षा की जाए। इन सुरक्षोपायों को ऐसे सभी प्रेस कानूनों में शामिल कर लिया जाए।

ग) <u>एचआईवी/एड्स और मीडिया</u>

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख) के अधिदेश के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया के काम-काज को सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देशों का एक सैट तैयार किया है । इनमें से एचआईवी/एड्स से संबंधित मामलों की कवरेज के लिए दिशानिर्देश 1993 में बनाए गए थे ।

'पॉजिटिव लोगों का राष्ट्रीय नेटवर्क' द्वारा माननीय किशोर न्यायालय, तिरूवनंतपुरम में एक रिट याचिका संख्या सीएमपी 52/2008 दाखिल की गई थी । उसमें मीडिया द्वारा दो बच्चों बेन्सी तथा बेन्सन का विजुअल स्क्रीन करने और बाद में एक बच्चे बेन्सी की एचआईवी/एड्स से मृत्यु हो जाने की झूठी रिपोर्ट से संबंधित घटना पर आपत्ति की गई थी । माननीय न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद् एचआईवी/एड्स की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को उपयुक्त निदेश जारी करें । तदनुसार, परिषद् ने एचआईवी/एड्स की रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देशों को अद्यतन करने के लिए अन-एड्स के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों से संपर्क किया क्योंकि 1993 से मामले में बहुत परिवर्तन आ गया है । बनाए गए दिशानिर्देशों पर चर्चा तथा वाद विवाद के लिए कोर समूह ने 18 सितंबर 2008 और 10 अक्तूबर 2008 को दो कार्यशालाएँ आयोजित कीं और सुझाव दिया कि विभिन्न स्तरों पर पत्रकारों के लाभ के लिए यथासंभव अधिकतम भा-ााओं में इनका अनुवाद किया जाए । ये दिशानिर्देश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं ।

<u>वस्तुनिष्ठ, तथ्यात्मक और संवेदी बनें</u>

पत्रकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कथा वस्तुनिष्ठ, तथ्यात्मक और संवेदी हो, विशेषतः एचआईवी तथा एड्स पर रिपोर्टिंग

करते समय । वे सच्चाई का पता लगाएँ और उसे संतुलित ढंग से रिपोर्ट करें । पत्रकार सभी निर्णयकर्ताओं को उत्तरदायी ठहराएँ, सरकार से लेकर भेषज उधोग तथा समर्थक समूहों तक । वे किसी भी हित समूह से बात करें किंतु उसके दास न बन जाएँ ।

इसका अर्थ है कि जहाँ उपयुक्त हो, पॉजिटिव कथाओं को उजागर किया जाए, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि एचआईवी और एड्स एक गंभीर मुद्दा है । किसी मूल जानकारी को इसलिए छोड़ देना कि वह कथा में ठीक नहीं बैठ रही, अनुचित है । कथा में चित्र के दोनों पहलू देना जरूरी है । पूरी कथा देने का अर्थ यह भी है कि उसे मानव रूप दिया जा रहा है । एचआईवी और एड्स वाले लोगों की आवाज अधिक दृढता से सुनी जाए और उनमें नाजुक तथा सीमांत लोगों को अवश्य शामिल किया जाए ।

ध्यान तथ्यों पर केंद्रित किया जाए । कथा को कामुक और इस प्रकार अधिक विक्रेय बनाने के लिए तथ्यों को किसी भी प्रकार विकृत करना स्वीकार्य नहीं है । प्रासंगिक जानकारी को सेंसर करना भी अनैतिक है।

यथार्थता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अनेक निजी और नीति निर्णयों पर मीडिया रिपोर्टों का प्रभाव पड़ सकता है । एचआईवी तथा एड्स के संदर्भ में इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक तथा चिकित्सा ब्योरे और आँकड़ों के बारे में पत्रकारों को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐन्टीरिट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) उपलब्ध हो जाने से, एचआईवी से संक्रमित लोग बीमारी के कोई लक्षण दिखाने से पहले कई वर्ष तक जी सकते है । एआरटी औषधियों का ऐसा संयोजन है जो प्रतिकृति को बाधित करके शरीर में एचआईवी की मात्रा (वाइरललोड) को कम करता है । एआरटी वाइरस को पूरी तरह नष्ट नहीं करती और न ही रोग को ठीक करती है । शरीर में वाइरस कम होने से, प्रतिरक्षा तंत्र

अधिक मज़बूत हो जाता है और संक्रमण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है, जिससे रोगी की अस्वस्थता कम हो जाती है। एचआईवी तथा एड्स के साथ जी रहे वयस्कों तथा बच्चों दोनों को एआरटी से लाभ होता है।

एचआईवी और एड्स की रिपोर्टिंग जटिल होती है और महामारी के डाटा को छाँटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चाहे डाटा का प्रयोग कथा के समर्थन में किया जा रहा हो या स्वयं डाटा पर रिपोर्टिंग के लिए, चुना गया विशिष्ट डाटा और उसे प्रयोग कर विधि यह तय करने में मुख्य भूमिका निभाएगी कि किस प्रकार की कथा कही गई है। इसके अतिरिक्त, डाटा प्रायः इतना जटिल होता है कि उसे गलत समझने का धोखा हो सकता है। उदाहरणतः, कुछ रिपोर्टर 'विस्तार' और 'व्यापकता' का प्रयोग समानार्थी के रूप में कर लेते हैं, जबकि वे महामारी को मापने की दो भिन्न विधियाँ हैं। विशेषज्ञों/महामारी विज्ञानियों से परामर्श करना चाहिए।

<u>सही भाषा और शब्दावली सुनिश्चित करें</u>

एचआईवी और एड्स पर रिपोर्टिंग करते समय भाषा अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। पत्रकारों को वैज्ञानिक और सांख्यिकीय जानकारी सही प्राप्त करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें सही शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणतः, एचआईवी और एड्स के बीच अंतर जानना और उसे स्पष्ट करना अनिवार्य है। लक्षण या लक्षणों का संग्रह होते हुए एड्स अपने से संचरण नहीं कर सकता, कोई एड्स वाइरस नहीं है और न ही कोई एड्स वाहक है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को एड्स या तो हो सकती है या नहीं हो सकती। एड्स का कोई माप नहीं है, अतः 'पूर्ण - विकसित एड्स' अभिव्यक्ति निरर्थक है।

अब प्रभावी उपचार उपलब्ध हो जाने से, एचआईवी संक्रमण से एड्स होना ज़रूरी नहीं रहा। रिपोर्ट में इसे निरूपित कर देना महत्त्पूर्ण है। क्योंकि एचआईवी और एड्स पर्यायवाची नहीं है, अतः पद 'एचआईवी/एड्स' को अब सही नहीं माना जाता।

क्योंकि एड्स कोई अकेला रोग नहीं है, बल्कि अनेक रोगों तथा अर्बुदों से बना एक सिन्ड्रोम है, अतः कोई व्यक्ति 'एड्स से नहीं मरता'। यह लिखना अधिक उचित होगा कि उसकी मृत्यु एच आई वी-संबंधित बीमारी से हुई।

प्रयुक्त शब्दावली उपयुक्त हो और कलंकित करने वाली न हो। मीडिया को शब्दावली और भाषा में परिवर्तनों की जाँच करते रहना चाहिए। संक्रमण को व्यक्त करने के लिए 'अनर्थ' जैसे शब्दों को निकाल दिया गया है। एड्स वाहक, वेश्या, व्यसनी, एड्स का रोगी/शिकार/पीड़ित जैसे अन्य शब्दों का प्रयोग भी न किया जाए क्योंकि वे कलंक लगाते हैं।

चमत्कारी इलाज और एच आई वी के निवारण से संबंधित काल्पनिक मान्यताओं का असली रूप दिखाइए

प्रेस को एचआईवी के निवारण तथा संचरण से संबंधित काल्पनिक मान्यताओं या संक्रमण से बचाव का दावा करने वाले विज्ञापनों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसे उन पारंपरिक उपचारों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए जिनकी कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है। इलाज़ के दावों की रिपोर्ट देकर झूठी आशाएँ जगाई जाती हैं। अनुसंधानकर्ता शताब्दियों से कठोर परिश्रम कर रहे हैं परंतु अभी तक एचआईवी या एड्स का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, यद्यपि संक्रमण का उपचार जीवन की गुणता पर सकारात्मक प्रभाव के साथ किया जा

सकता है। मीडिया को एचआईवी तथा एड्स हेल्पलाइनों/परामर्श सेवाओं के टेलीफ़ोन नंबर देने चाहिएँ ।

एचआईवी, एसटीआई, चर्म रोगों, तपेदिक तथा अन्य सांयोगिक संक्रमणों से संबंधित विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं, अतः उनकी ध्यानपूर्वक जाँच की जाए ।

<u>फोटोग्राफ, चित्र तथा कार्टून सकारात्मक बनाएँ</u>

विज़ुअल का दर्शकों पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है और वे कथाओं को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु एचआईवी तथा एड्स कथाओं में फोटोग्राफ का प्रयोग अनेक नैतिक प्रश्न खड़े करता है। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि फोटोग्राफ संक्रमित लोगों तथा उनके परिवारों की गोपनीयता को भंग न करें ।

ऐसे फोटो से बचिए जो एचआईवी तथा एड्स से संबंधित घिसी-पिटी बातों को आगे बढ़ाते हैं और जो संक्रमित लोगों को दोषी बताते हैं। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि फोटोग्राफ के शीर्षक तथ्यतः सही हों और कलंक को न बढ़ाएँ ।

चित्रों तथा कार्टूनों में भी किसी नकारात्मक प्रभाव से बचा जाए ।

<u>विज़ुअल मीडिया के लिए</u>

विज़ुअल मीडिया को एचआईवी तथा एड्स वाले लोगों और उनके परिवारों तथा साथियों की पहचान के साथ भी संवेदनशीलता और नैतिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए। भेंटवार्ता, अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान, फोटो खींचते समय और उनकी कथाएँ लिखते समय सावधानी बरती जाए ताकि उनकी पहचान गोपनीय रहे ।

कुछ संकेत :

- कैमरे को सीधा उस व्यक्ति/केस स्टडी के मुख पर केंद्रित न करें। बल्कि हाथों, पैरों या सिर के पिछले भाग की फोटो खींचें।
- कैमरे को व्यक्ति के पीछे रख कर छाया चित्र खींचें ।
- क्योंकि ध्वनि भी पहचान का एक कारक हो सकती है, अतः प्रश्न को कोमलता से पूछें ताकि उत्तर भी कोमल हो । अधिकांश मामलों में उप-शीर्षकों के अध्यारोपण का प्रयोग किया जाए ताकि ऑडियो को बहुत अधिक ऊपर न करना पड़े ।
- परिवार की तस्वीरें न दिखाएँ । उनसे भी व्यक्ति की पहचान हो सकती है ।
- शूटिंग के स्थान को अस्पष्ट रखने की कोशिश करें । उदाहरणार्थ, गाँव का नाम न लें ।
- जहाँ कहीं संभव हो, संबंधित व्यक्ति की यात्रा किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज़ के माध्यम से स्थापित करें ।
- भेंट वार्ता एक के साथ एक की बातचीत होनी चाहिए जो व्यक्ति को बोलने दे। सुनिश्चित करें कि प्रश्न गहरे निजी या अभियोगात्मक न हों, जिन से व्यक्ति को अपने बचाव की सोचनी पड़े ।
- प्रच्छन्न कैमरों का प्रयोग कभी न किया जाए ।
- एचआईवी के साथ जी रहे लोगों को सकारात्मक रूप में दर्शाने की कोशिश करें, उन्हें 'पीड़ितों' के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में चित्रित करें ।
- जहाँ कहीं संभव हो, लिखित सहमति लें ।

अनुमति के बाद भी संक्रमित व्यक्ति की पहचान को प्रकट न करना उचित रहता है। विशेष रूप से टी. वी. पर दिखाए जाने की प्रतिक्रिया और दबाव भयंकर हो सकते हैं, खास तौर पर परिवार के लिए कलंक बढ़ जाता है। कई बार, विजुअल मीडिया की शक्ति को समझे बिना खुले में शूटिंग की अनुमति दे दी जाती है।

कोई व्यक्ति, अपने समुदाय से दूर, दिल्ली में टी.वी. पर प्रकट होते हुए स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकता है, किंतु हो सकता है किसी दूरस्थ गाँव/शहर में उसका परिवार कथा को देख रहा हो।

समाचार डेस्क के लिए, उप-संपादकों और समाचार कक्ष के स्टाफ़ सहित

समाचार डेस्क और समाचार कक्ष के स्टाफ़ द्वारा यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए कि आकर्षक शीर्ष पंक्तियों में विषय को सही निरूपित किया गया है और कथा संतुलित है और हानिकारक घिसी-पिटी बातों से मुक्त है।

गोपनीयता बनाए रखें और सुविदित सहमति लें

पत्रकार एच आई वी से संक्रमित व्यक्ति की पहचान तभी प्रकट करें जब उनके पास ऐसा करने की अनुमति हो। जब कभी संभव हो, वे लिखित सहमति लें।

यदि लिखित सहमति संभव न हो,तो सुविदित सहमति अवश्य ले ली जाए। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि एच.आई.वी. तथा एड्स के साथ जी रहे लोग (पी.एल.एच.आई.वी.) अपनी पहचान के प्रभावों से अवगत हैं।

कथा का नैतिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व पत्रकार का होगा। अतः, पत्रकार को सावधनी बरतनी चाहिए और पी.एल.एच.आई.वी. को चित्रित करने में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हानिकारक प्रतिक्रियाओं को न्यूनतम रखने के लिए यह उत्तम होगा कि पहचान से बचा जाए, लिखित सहमति ले लेने के बाद भी। कथा में नाम और स्थान बदल कर ऐसा किया जा सकता है।

भेद-भाव से बचें

एच.आई.वी. तथा एड्स की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को जाति, लिंग या यौन स्थिति के संदर्भों से बचना चाहिए। ऐसे संदर्भ यौन अल्पसंख्यकों, कुछ समुदायों या पहले से लक्षित समूहों के प्रति वर्तमान पूर्वग्रहों को सुदृढ़ करते हैं, चाहे वे आदमियों के साथ यौन संबंध रखने वाले आदमी (एम.एस.एम.) हों, इन्जेक्शन से नशीली दवाएँ लेने वाले (आई.डी.यू.) हों, यौन व्यवसायी हों या प्रवासी हों।

यौन अल्पसंख्यकों में वे लोग शामिल हैं जो समलिंगी, उभयलिंगी तथा ट्रान्सजेंडर हैं (एल.जी.बी.टी.) और इसमें आदमी, औरतें तथा वे सभी शामिल हैं जिनकी पहचान न आदमियों के रूप में और न ही औरतों के रूप में (अर्थात् ट्रान्सजेंडर)। ट्रान्सजेंडर में हीजड़े आते हैं। हीजड़े जैविक दृष्टि से पुरूष के रूप में जन्म लेते हैं किंतु अपनी पहचान महिलाओं के रूप में करते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि एम.एस.एम. कभी अपनी पहचान समलिंगी के रूप में नहीं करते। अतः एम.एस.एम. शब्द का प्रयोग केबल व्यवहार जताने के लिए किया जाता है। सो, यह कहना उपयुक्त होगा कि ऑस्कर वाइल्ड एक 'गे' पुरूष था, न कि ऑस्कर 'गे' था।

यौन अल्पसंख्यकों को कई बार उपहासात्मक तौर पर ऐसे शब्दों से संबोधित कर दिया जाता है जो समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाओं

को पुष्ट करते हैं। उसकी बजाय यौन अल्पसंख्यक, गे पुरूष या समलिंगी जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा। उन्हें उस नाम से पुकारना भी ज़रूरी नहीं है जब तक कोई उन पर कलंक न लगाए।

संचरण की विधियों के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है, अतः रिपोर्टों को मान का आकलन करने की बजाय ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि संक्रमण लोगों, उनके काम, उनके परिवार को किस प्रकार दुष्प्रभावित करता है और एच.आई.वी. कार्यक्रमों की नीति तथा क्रियान्वयन में क्या अंतराल हैं। अनावश्यक रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने से कि कोई व्यक्ति कैसे संक्रमित हुआ, उस प्रवृत्ति को बल मिलता है जो संक्रमित होने के लिए एच.आई.वी. या एड्स वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी धर्म-विशे-ा की भाषा, सांस्कृतिक मानकों और पारंपरिक रीतियों को समझा और सही ढंग से रिपोर्ट किया जाए।

लिंग संवेदी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें

मीडिया को लिंग की रूढ़िबद्ध धारणाओं के प्रति रक्षा करनी चाहिए। उसे एच.आई.वी. पॉज़िटिव महिलाओं पर कलंक नहीं लगाना चाहिए। उदाहरणतः, यौन कर्मियों और मधुशाला की लड़कियों को संक्रमण फैलाने के लिए उत्तरदायी होने के रूप में चित्रित करना आम बात है। इसके बजाय कथाओं को यह अन्वेषण करना चाहिए कि संक्रमण महिलाओं को विभिन्न प्रकार के शोषणों के लिए विशेष रूप से असुरक्षित क्यों बना देता है। कथाओं को इन बातों पर केंद्रित होना चाहिए : एच.आई.वी. के साथ उत्पादक और यथेष्ट सामान्य जीवन जीना कैसे संभव है, अंतर्विहित शक्ति के बारे में जो महिलाओं को चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाती है और यौन कर्मियों के नैतिक एवं कानूनी अधिकारों के बारे में।

कथाओं को माता से बच्चे को संक्रमण के बचाव के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा पर और इस तथ्य पर भी केंद्रित होना चाहिए कि संक्रमित माताएँ ऐसे बच्चों को जन्म दे सकती हैं जो संक्रमण से मुक्त हों ।

लिंग संवेदी रिपोर्टिंग का एक उदाहरण यह है कि पी.एम.टी.सी.टी. (माता से बच्चे को संचरण का निवारण) की जगह पी.पी.टी.सी.टी. (माता/पिता से बच्चे को संचरण का निवारण) का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार रिपोर्ट बच्चे के संक्रमण के लिए अकेली माता को उत्तरदायी नहीं ठहराती ।

<u>बच्चों से संबंधित रिपोर्टों पर संवेदनशीलता सुनिश्चित करें</u>

एच.आई.वी. से संक्रमित दुष्प्रभावित बच्चों की पहचान कभी प्रकट न की जाए । न ही उनके चित्र दिखाए जाएँ । इसमें अनाथ बच्चे और अनाथालयों, बाल गृहों आदि में रहने वाले बच्चे शामिल हैं ।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून ऐसी किसी भी जानकारी अथवा चित्र के प्रकाशन का निषेध करते हैं जिससे उन बच्चों की पहचान हो सके और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो ।

भारत में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000 में प्रावधान है कि किसी समाचारपत्र, पत्रिका या विज़ुअल मीडिया में देखभाल तथा सुरक्षा की ज़रूरत वाले किसी किशोर से संबंधित रिपोर्ट में नाम, पता, स्कूल या कोई अन्य विवरण नहीं दिया जाएगा जिससे उसकी पहचान हो सके । यह बच्चे से संबंधित किसी चित्र के प्रकाशन का भी निषेध करता है ।

पत्रकारों को इस तथ्य के बारे में भी संवेदी होना चाहिए कि बच्चा अपनी एच.आई.वी. स्थिति से अवगत हो भी सकता है और नहीं भी।

पत्रकार को पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस तथ्य का पता लगा लेना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ प्रश्नों को अंतर्वेधी या असंवेदी समझा जा सकता है जो बच्चे पर चिरस्थायी प्रभाव डाल सकते हैं ।

इसे ध्यान में रखते हुए भी बच्चों के लिए उन मामलों में भाग लेना ज़रूरी है जो उनसे संबंधित हों । तथापि, उनके विचारों/किस्सों को बाँटते समय उनकी पहचान की सुरक्षा अवश्य की जाए ।

इस तथ्य का व्यापक प्रसार किया जाए कि बच्चों के लिए अब ए.आर.टी. चिकित्सा उपलब्ध है ।

<u>संतुलित और उत्तरदायित्वपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें</u>

समाचार संगठनों को 'नेगेटिव' कथा, यथा एच.आई.वी. से संबंधित बीमारी के कारण आत्महत्या, के प्रभाव को कम करने के लिए पहल करनी चाहिए । इसके लिए उन्हें ऐसे पॉज़िटिव लोगों के कथन छापने चाहिएँ जिन्होंने चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है हेल्पलाइन नंबर देने चाहिएँ ।

ध्यान रहे कि संक्रमित लोगों पर कथाओं को सनसनीखेज़ न बनाया जाए। संक्रमित व्यक्तियों को 'पीड़ित' या 'दोषी' के रूप में चित्रित करने से बचा जाए।

विशिष्ट व्यावसायिक समूहों यथा वर्दीधारी सेवाओं, स्वास्थ्य व्यवसायियों आदि पर रिपोर्टिंग करते समय जानकारी प्राधिकृत स्रोतों से ही ली जाए। ग़लत रिपोर्टों का उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कलंक भी बढ़ेगा। ऐसी रिपोर्टों से गोपनीयता के अभाव की धारणा भी बनेगी और स्वैच्छिक परीक्षण में बाधा आएगी ।

<u>मीडिया के लिए एच.आई.वी. और एड्स पर नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करें</u>

पत्रकार तेज़ी से बढ़ते हुए इस संक्रमण की बदलती हुई वास्तविकताओं से अवगत रहें। देश भर के समाचार संगठन इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं और मॉड्यूलों को सक्रियता से प्रोत्साहित करें। पत्रकारों को इस मुद्दे से संबंधित न्यायालय के निर्णयों की भी अद्यतन जानकारी रखनी चाहिए ।

अब एच.आई.वी. मात्र एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रहा केवल स्वास्थ्य रिपोर्टों पर संकेंद्रित होने की बजाय, समाचार संगठन के सभी स्तरों पर लोगों को विभिन्न विधाओं पर प्रशिक्षित और संवेदित किया जाए, विशेषतः एच.आई.वी. तथा एड्स की शब्दावली। इस संक्रमण का देश के विकास, अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि प्रशिक्षण और संवेदीकरण से, एच.आई.वी. तथा एड्स पर मीडिया की रिपोर्टिंग अपेक्षाकृत अधिक संतुलित और यथार्थ हो गई है, विशेषतः अधिक व्याप्ति वाले राज्यों में।

<u>एच.आई.वी. तथा एड्स रिपोर्टिंग पर वर्तमान स्टाइलबुक या दिशानिर्देश अपनाएँ</u>

समाचार संगठनों को चाहिए कि एच.आई.वी. तथा एड्स की रिपोर्टिंग पर वर्तमान मानकीकृत दिशानिर्देशों तथा शब्दावली को अपनाएँ और उसका व्यापक प्रसार करें। इससे इस विषय पर उत्तरदायित्वपूर्ण कवरेज को प्रोत्साहन मिलेगा ।

परिशिष्ट 1

अन-एड्स शब्दावली दिशानिर्देश

www.unaids.org

परिशिष्ट 2

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद्

(ए.एस.सी.आई.) द्वारा विज्ञापन में आत्म-नियंत्रण के लिए संहिता

www.asci.co.in

परिशिष्ट 3

एच.आई.वी./एड्स और कानून - मानव अधिकार कानून नेटवर्क (एच.आर.एल.एन.) द्वारा एक न्यायिक कोलोक्विअम

www.hrln.org

सहमति प्रपत्र

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री .... और .... आयु .... वर्ष का पिता/माता/कानूनी अभिभावक/एक उत्तरदायी वयस्क हूँ और सहमति देता हूँ कि आपको .... (भेंटकर्ता/फोटोग्राफर का नाम) और आपके फोटोग्राफर/कैमरामैन को प्रिंट/ऑडियो विज़ुअल मीडिया के लिए एच.आई.वी. तथा एड्स से संबंधित मुद्दों पर मेरा वक्तव्य/भेंटवार्ता दर्ज करने की और मेरा फोटो लेने की मेरी अनुमति है ।

मैं समझता हूँ मेरे वक्तव्य/भेंटवार्ता को किसी भी प्रकार से विकृत या उसका दुरूपयोग नहीं किया जाएगा, चाहे जहाँ भी उसका प्रयोग किया जाए । फोटोग्राफर भी सुनिश्चित करेगा कि फोटोग्राफ मेरी या मेरे परिवार की गोपनीयता को भंग न करें ।

आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि .... (साक्षात्कार देने वाले का नाम) का वक्तव्य/साक्षात्कार, जो अवयस्क है, किसी भी प्रकार उसकी पहचान को प्रकट न करे ।

मुझे मेरी भाषा (............................) में यह भी समझा दिया गया है कि मेरे वक्तव्य का एक भावी परिणाम हो सकता है जिसमें मेरे, मेरे परिवार के सदस्यों, संबंधियों तथा मित्रों के प्रति निर्दिष्ट कलंक और भेदभाव भी शामिल हो सकता है ।

पता : ....

....

फोन : ....

तिथि : ....

हस्ताक्षर : ....

घ) वित्तीय पत्रकारिता - 1996

भारतीय प्रेस परिषद् ने रिपोर्टरों/ वित्तीय पत्रकारों/ समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया है कि वे नकद या जिन्स में ऐसा कोई उपहार/ अनुदान/ रियायत/ सुविधा आदि स्वीकार न करें जिससे वित्तीय मामलों पर उनकी स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. परिषद् ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आजकल पाठकों के मन पर वित्तीय पत्रकारों का बहुत प्रभाव पड़ता है अतः पाठकों के प्रति उनका दायित्व है कि कंपनी के वित्तीय व्यवहार, स्थिति तथा भविष्य के बारे में संतुलित तथा यथार्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। इसने देखा है कि समाचारपत्रों/ पत्रिकाओं में कुछ कंपनियों के बारे में अधिक समाचार प्रकाशित किए जाते है क्योंकि वे उस प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देती हैं। कई बार उन कंपनियों के बारे में प्रतिकूल रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं जो उन समाचार पत्रों या पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं देती हैं। और फिर, जब कोई मीडिया या किसी भी कारण से कंपनी / प्रबंधकों से खुश न हो तो उस कंपनी के नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जाता है जब कि इससे विपरीत स्थिति में नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख नहीं किया जाता। यह भी पता चला है कि कुछ कंपनियां अपने बारे में अनुकूल तथा सकारात्मक रिपोर्टे लेने के लिए कुछ वित्तीय पत्रकारों को उपहार ऋण, छूट, अधिमानी शेयर आदि देती हैं। साथ ही इन आपत्तिजनक रीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए या निवेशकों की शिक्षा के लिए कोई तंत्र नहीं है।

3. नियमित क्षेत्र में उस कुरीति पर चिन्ता महसूस करते हुए और वित्तीय संस्थाओं तथा पत्रकारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा तथा विचार विमर्श के बाद परिषद् ने वित्तीय पत्रकारों द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की हैः

1) वित्तीय पत्रकार को ऐसे कोई उपहार, ऋण, ट्रिप, छूट, अधिमानी शेयर या अन्य अनुग्रह स्वीकार नहीं करने चाहिए। जिनसे उनकी स्थिति प्रभावित होती हो या हो सकती हो।

2) किसी कंपनी की रिपोर्ट के बारे में यह प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाए कि रिपोर्ट कंपनी द्वारा या कंपनी के वित्तीय समर्थकों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है।

3) जब किसी कंपनी द्वारा प्रतिष्ठानों को देखने के लिए ट्रिप आयोजित किए जाएं तो ट्रिप का लाभ उठाने वाला अपनी रिपोर्ट में निरपवाद रूप से उल्लेख करे कि यात्रा की व्यवस्था संबंधित कंपनी द्वारा की गई थी और, यथास्थिति उसने आतिथ्य का प्रबंध किया था।

4) कंपनी से संबंधित कोई भी बात कंपनी से तथ्यों का सत्यापन किए बिना प्रकाशित न की जाए और उस रिपोर्ट के स्त्रोत का भी उल्लेख कर दिया जाए।

5) जो रिपोर्टर किसी घोटाले का भंडाफोड़ करे या कोई बढ़िया परियोजना चलाए जाने के बारे में रिपोर्ट लाए, उसे प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत किया जाए।

6) जिस पत्रकार का किसी कंपनी में वित्तीय हित हो यथा शेयर धारिता, स्टॉक धारिता आदि उसे उस कंपनी के बारे में रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए।

7) पत्रकार को प्रकाशन के लिए जो सूचना पहले से प्राप्त हो जाए उसका प्रयोग उसे अपने लाभ के लिए या अपने संबंधियों तथा मित्रों के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए।

8) किसी भी समाचारपत्र के मालिक, संपादक अथवा समाचारपत्र से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को समाचारपत्र के साथ अपने संबंधों का प्रयोग अपने अन्य व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए।

9) जब कभी किसी विज्ञापन एजेंसी या विज्ञापक को भारतीय विज्ञापन परिषद् द्वारा अभ्यारोपित किया जाए तो जिस समाचारपत्र में वह विज्ञापन छपा हो, वह अभ्यारोपण के समाचार को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करें।

ड़) चुनाव रिपोर्टिंग - 1996

i) आमचुनाव हमारे लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और यह जरूरी है कि मीडिया द्वारा चुनाव लड़ रहे विभिन्न दलों के चुनाव अभियान की सही तथा निष्पक्ष रिपोर्टें प्रेषित की जाएं। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत हद तक स्वयं प्रेस के उत्तर दायित्व की भावना के साथ व्यवहार करने पर निर्भर करती है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है की मीडिया चुनाव अभियान की सही तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के इस सिद्धांत का पालन करे ।

अतः प्रेस परिषद् ने चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए हैः

1. प्रेस का यह कर्त्तव्य होगा कि चुनावों तथा प्रत्याशियों के बारे में निष्पक्ष रिपोर्ट दे। समाचारपत्रों से अस्वस्थ चुनाव अभियानों में शामिल होने की आशा नहीं का जाती। चुनावों के दौरान किसी प्रत्याशी, दल या घटना के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्टें न दी जाएं। वस्तुतः कड़े मुकाबले वाले दो या तीन प्रत्याशी ही मीडिया का सारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक अभियान की रिपोर्ट देते समय समाचारपत्र को किसी प्रत्याशी द्वारा उठाए गए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए और न ही उसके विरोधी पर कोई प्रहार करना चाहिए।

2. निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत सांप्रदायिक अथवा जातीय आधार पर चुनाव अभियान की अनुमति नहीं है। अतः प्रेस की ऐसी रिपोर्टों से दूर रहना चाहिये जिनसे धर्म, जाति, मत, संप्रदाय अथवा भाषा के आधार पर

लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाएं पैदा हो सकती हों।

3. प्रेस को किसी प्रत्याशी के चरित्र या आचरण के बारे में या उसकी प्रत्याशिता के संबंध में अथवा किसी प्रत्याशी का नाम अथवा उसकी प्रत्याशिता वापस लिए जाने के बारे में ऐसे झूठे या आलोचनात्मक वक्तव्य छापने से बचना चाहिए जिससे चुनाव में उस प्रत्याशी की संभावनाएं दुष्प्रभावित होती हों। प्रेस किसी भी प्रत्याशी/दल के विरूद्ध अपुष्ट आरोप प्रकाशित नहीं करेगा।

4. प्रेस किसी प्रत्याशी/दल की छवि प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन वित्तीय या अन्य स्वीकार नहीं करेगा। वह किसी भी प्रत्याशी/ दल द्वारा उन्हें पेश किया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएं स्वीकार नहीं करेगा।

5. प्रेस से किसी प्रत्याशी/दल विशेष के प्रचार में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। यदि वह करता है तो वह अन्य प्रत्याशी/ दल को उत्तर का अधिकार देगा।

6. प्रेस किसी दल/सत्तासीन सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खर्चे पर कोई विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगा।

7. प्रेस निर्वाचन आयोग/निर्वाचन अधिकारियों अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी सभी निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा।

ii) **"मतदान पूर्व " तथा "मतदान उपरांत " सर्वेक्षण पर दिशा निर्देश - 1996**

भारतीय प्रेस परिषद् ने मतदान पूर्व सर्वेक्षणों के प्रकाशन की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के प्रश्न पर और उनसे प्राप्त होने वाले उद्देश्य पर विचार कर के यह राय बनाई है कि समाचारपत्रों को अपने मंच का प्रयोग चुनावों की विकृति तथा तोड़ मरोड़ के लिए नहीं होने देना चाहिए और अपना प्रयोग संबंधित दलों के हित साधन के लिए नहीं होने देना चाहिए।

अतः प्रेस परिषद् की यह सलाह है कि हमारे जैसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए समाचारपत्रों को सतर्क रहना चाहिए कि उनके बहुमूल्य मंच का प्रयोग चुनावों की विकृति तथा तोड़ मरोड़ के लिए न किया जाए। आज इस बात पर जोर देना जरूरी हो गया है क्योंकि संबंधित व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा कोशिश की जाने लगी है कि जातीय, धार्मिक तथा राष्ट्रीय आधार पर सूक्ष्म तथा अनतिसूक्ष्म प्रचार द्वारा और तथाकथित निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षणों जैसे परिष्कृत साधनों के प्रयोग द्वारा भोले मतदाताओं को भ्रांत तथा दिग्भ्रमित करने के लिए प्रिंट मीडिया से अधिकाधिक लाभ उठाया जाए। अनेक मामलों में सांप्रदायिक तथा राजद्रोहात्मक प्रचार का पता लगाने में तो कठिनाई नहीं होती किन्तु कई बार चेष्टापूर्वक रोपित किए गए, मतदान पूर्व सर्वेक्षण के अपने हित के लिए प्रयोग का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। अतः प्रेस परिषद् का सुझाव है कि समाचारपत्र जब कभी मतदान पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करें, वे

उनके साथ निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से देने की सावधानी बरतें सर्वेक्षण किन संस्थाओं ने किए है; सर्वेक्षण किन व्यक्तियों तथा संगठनों ने कराए है; चुने गए नमूने का आकार तथा स्वरूप; निष्कर्षो के लिए नमूना चुनने की विधि; और निष्कर्षों में भूल की संभावित गुंजाइश।

2. फिर, मतदान एक से अधिक तिथियों को होने की स्थिति में देखा गया है कि जो मतदान हो चुके हों, मीडिया उनके मतदान उपरांत सर्वेक्षण प्रकाशित कर देते हैं। इससे उन मतदाताओं के प्रभावित हो जाने की संभावना है जहाँ अभी मतदान होना है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि निर्वाचन प्रक्रिया को निर्मल रखा जाए और मतदाताओं के मन पर किसी बाहरी तत्व का प्रभाव न पड़े, यह आवश्यक है कि मीडिया तब तक मतदान उपरांत सर्वेक्षणों को प्रकाशित न करे जब तक अंतिम मतदान पूरा न हो जाए।

3. अतः प्रेस से प्रेस परिषद् का अनुरोध है कि मतदान उपरांत सर्वेक्षणों के बारे में निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन किया जाएः

दिशानिर्देशः

कोई समाचारपत्र तब तक मतदान उपरांत सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं करेगा, चाहे वे कितने भी प्रामाणिक हों, जब तक अंतिम मतदान पूरा न हो जाएं।

च) पत्रकारों के लिए आवास का आवंटन - 1996

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19–7–98 के आदेश के जरिये भारतीय प्रेस परिषद् से किये गये अनुरोध के अनुसार, प्रेस परिषद् के कार्यालय ने–(i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरो (पी.आई.बी.) और शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के पदाधिकारियों, (ii) पत्रकारों समाचार कैमरामैनों के संयुक्त कार्य दल के प्रतिनिधियों से, जोकि कुछ वर्तमान पत्रकार–आवंटियों द्वारा प्रेस पूल आवास स्थान के प्रतिधारण से उत्तेजित थे, और (iii) पत्रकार जिन्होंने कब्जा किया हुआ है–से कई दिन अलग–अलग बैठकें कीं। परिषद् को पत्रकार जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, सहित पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से अभिवेदन और सुझाव प्राप्त हुए। वे पत्रकार जिन्होंने कब्जा किया हुआ है और जिन्होंने कब्जा नहीं किया है–व्यक्तिगत रूप से परिषद् के अध्यक्ष महोदय से भी मिले और पत्रकारों की ओर से अभिवेदन किये और सुझाव भी दिये।

इस पर गौर किया गया कि पत्रकारों को 1957 से कुछ मार्गनिर्देशों के अनुसार आवास स्थान दिया गया था। समय–समय पर उन मार्गनिर्देशों में संशोधन किया गया और नवीनतम मार्गनिर्देश दिसंबर 1991 के हैं। परिषद् को प्रेस सूचना ब्यूरो और शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सुझाये गये मार्गनिर्देशों के अन्य संशोधनों के प्रारूप का भी लाभ हुआ।

इस पर गौर किया गया कि मूल रूप से पत्रकारों को अस्थायी रूप से अपार्टमेंटों की नियत संख्या देने की प्रणाली उस समय आरंभ हुई

जब सरदार पटेल, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उन दिनों भारतीय पत्रकारों की आय इतनी थी कि उनमें से अधिकतर बड़ी मुश्किल से नई दिल्ली में रह सकते थे। जहाँ कई नये पत्रकारों को प्राइवेट फ्लैटों के लिए ऊँचा किराया देना पड़ता है, वहीं पुराने पत्रकारों द्वारा नये पत्रकारों जिनकी आय कम है—के पक्ष में इन आवास स्थानों को खाली करने की आवश्यकता है।

आगे इस पर गौर किया गया कि पत्रकारों को अस्थायी आवास स्थान देने का उद्देश्य ऐसे पत्रकारों को कुछ समय के लिए स्थान देना था जोकि दिल्ली के बाहर से आये थे ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो और वे दिल्ली में घटनाओं के स्थान के निकट रह सकें। इस उद्देश्य से, सरकारी आवास स्थान तीन वर्षों के सीमित समय के लिए पत्रकारों को उपलब्ध कराया जा रहा था और इस समय के दौरान उनसे अपने लिए आवास स्थान पाने और सरकारी आवास स्थान खाली करने की आशा की गयी थी। इसी उद्देश्य से पुनः कब्जे की इस अवधि के दौरान, इनसे, सरकारी कर्मचारियों की तरह बहुत ही मामूली किराया लिया गया।

इस पर भी गौर किया गया कि सरकार और कब्जा किये हुए पत्रकारों के बीच किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना सरकार की मंशा नहीं थी। यथानिर्दिष्ट समय में पत्रकार द्वारा अपने लिए समुचित स्थान पाने तक अस्थायी आवास स्थान के जरिये आवास स्थान सुविधा के रूप में दिया जाना था।

दूसरे प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय (v) के पैरा 22 में भी सिफारिश की थी कि "प्रेस को न केवल बाहरी दबावों बल्कि प्रलोभनों, जोकि इसकी आंतरिक स्वतंत्रता को कम कर देगी, का भी मुकाबला करने के काबिल होना चाहिए। पत्रकारों को ऐसी भेटों, चाहे वे सरकारी प्राधिकरणों, नियोजकों, विज्ञापनदाताओं से हों अथवा अन्य से–के प्रलोभन से सजग रहना चाहिए। आगे अध्याय (viii) पैरा 49 में इन्होंने सिफारिश की, कि दूसरे प्रेस आयोग की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार की "एक्शन टेकन रिपोर्ट", ने संसद रिकार्ड में निवेदन किया कि "सरकार यह सिफारिश स्वीकार करती है कि पत्रकारों को आगे कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए और विद्यमान आबंटनों के संबंध में, किराया आर्थिक सहायता रहित दरों पर लिया जाना चाहिए।" यह लगभग एक दशक पूर्व की बात थी। फिर भी, आवंटन जारी रहे।

<u>उपरोक्त सभी तथ्यों और ऐसी घटनाओं पर विचार करते हुएः</u>

कि बहुत से पत्रकारों ने आवास स्थान पर कब्जा बनाये रखा हुआ है जैसाकि यह उन्हें स्थायी रूप से दे दिया गया हो क्योंकि उनके आवंटन आदेशों में, कब्जे की अवधि के बारे में कोई स्पष्ट अनुबंध नहीं था;

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस समय उपरोक्त सुविधा के अंतर्गत पत्रकारों के लिए आवंटन हेतु केवल 120 इकाईयाँ उपलब्ध हैं और यह कि प्रतीक्षा सूची में जरूरतमंद पत्रकारों की बड़ी संख्या है,

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि परिसर की कीमतें और किराये इस समय उच्च स्तर पर हैं,

पत्रकारों की आय के वर्तमान स्तर पर विचार करते हुए,

और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि इसका कोई कारण नहीं है कि मीडिया प्रतिष्ठान जोकि लाभ कमा रहे हैं, अपने पत्रकारों/समाचार कैमरामैनों के लिए आवासीय सुविधाएं अथवा इसके बदले में मकान के लिए पर्याप्त किराये का भुगतान क्यों न करें,

मान्यता प्राप्त संवाद्दाताओं और समाचार कैमरामैनों के लिए आवास स्थान के आवंटन हेतु निम्नलिखित मार्गनिर्देश सुझाये गये हैं:

पात्रता की कसौटी

1. प्रेस पूल से सरकार द्वारा केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों और समाचार कैमरामैनों को ही आवास स्थान दिया जायेगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों/समाचार कैमरामैनों का अर्थ होगा–केन्द्रीय प्रेस मान्यता समिति द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार/समाचार कैमरामैन/इनमें : (i) वे मान्यता प्राप्त पत्रकार/समाचार कैमरामैन जिनकी कुल परिलब्धियाँ वाहन भत्ते को छोड़कर 15,000/– रुपये प्रतिमाह से अधिक हों: (ii) मान्यता प्राप्त संपादक अथवा संपादक–सह–संवाद्दाता, (iii) स्वच्छंद पत्रकार, (iv) अनुबंधित पत्रकार और (v) मान्यता प्राप्त संवाद्दाता जोकि भारतीय नागरिक नहीं हैं और / अथवा जोकि भारतीय मीडिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते–शामिल नहीं होंगे।

2. पूल से आवास स्थान के आवंटन के समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उनका अपने नाम पर अथवा परिवार के सदस्य अथवा आश्रित के नाम पर मालिक अथवा मुख्तारनामा धारक के रूप में कोई मकान अथवा फ्लैट नहीं है।

<u>टिप्पणियाँ</u>

i) इस संदर्भ में "परिवार" का वही अर्थ होगा जैसाकि भारत सरकार अनुपूरक नियम 2 में परिभाषित किया गया हो।

ii) इस संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, गुडगांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और साहिबाबाद की नगर सीमाएं शामिल होंगी।

iii) आवेदन पत्र/आबंटन की तारीख से पूर्व पाँच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत पति/पत्नी/बेटों/बेटी और/अथवा तीसरी पार्टी को इसकी बिक्री के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण आवेदक को पूल आवास स्थान हेतु अयोग्य कर देगा।

1. वरिष्ठता और आय सीमा, जैसाकि नीचे दी गयी है, के अनुसार छटनी समिति (स्क्रीनिंग कमेटी जिनके गठन के बारे में पैरा 17 में दिया गया है) द्वारा आवास स्थान आवंटित किया जायेगा।

मान्यता प्राप्त पत्रकार दो श्रेणियों में विभाजित किये जायेंगे यथा : (I) वे जोकि 7,000/– रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त कर रहे हैं, और (II) वे जोकि 700/– रुपये से लेकर 15,000/– रुपये प्रतिमाह आय प्राप्त कर रहे हैं। ***परिलब्धियों की ऊपर दी गयी सीमा में श्रमजीवी पत्रकारों की श्रेणी**

1ए के वेतनमान हेतु वेतन बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर हेरफेर किया जायेगा जैसाकि बछावत पुरस्कार में परिभाषित किया गया था।

मासिक आय में वाहन भत्ते को छोड़कर सभी परिलब्धियाँ होंगी।

पत्रकारों की उपरोक्त श्रेणियों (I) और (II) की दो अलग सूचियों यथा "सूची I" और "सूची II" आवास स्थान हेतु आवेदन की तारीख के आधार पर उपरोक्त आय की कसौटी और वरिष्ठता के अनुसार तैयार की जाएगी।

2. उपलब्धता के आधार पर, वरिष्ठता के अनुसार जो सूची I में हैं, आवास स्थान पहले उन्हें दिया जाएगा। यदि सूची I में सभी पत्रकारों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के पश्चात् आवास स्थान की अधिक इकाइयाँ उपलब्ध होती हैं, तो सूची II में पत्रकारों की वरिष्ठता के अनुसार वे दी जाएगी।

3. सूची I के पत्रकार अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे दिये गये आवास स्थान पर कब्जा कर सकते हैं, परंतु इससे अधिक समय के लिए नहीं।

सूची II के पत्रकार अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए ऐसे दिये गये आवास स्थान पर कब्जा कर सकते हैं, पर इससे अधिक समय के लिए नहीं।

---

* संशोधित

पूल से आवास स्थान के आवंटन हेतु आबंटी एक बार से अधिक का पात्र नहीं होगा।

4. आवंटिती सरकार को प्रतिमाह मकान किराया भत्ता देगा जोकि ***आवंटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 180 11/3/95 पी.ओ.एल. III दिनांक 2.7.96 भारत सरकार, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली** के अंतर्गत नियत लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त अपने आवंटिती अपनी नियोजक प्राप्त करता है। प्रतिमाह 10 तारीख तक सरकार को उपरोक्त सभी प्रकार की रकम का भुगतान करना उनका दायित्व होगा। देय राशि जैसाकि ऊपर दी गयी है, का भुगतान न करने पर उन्हें तत्काल निकाला जा सकता है।

5. प्रत्येक आवंटिती प्रति वर्ष 31 मार्च तक मूल वेतन, सहित अपनी परिलब्धियों, मकान किराया भत्ता सहित सभी भत्तों और अपने परिवार के सदस्य आश्रित अथवा स्वयं मुख्तारनामा धारक द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अर्जित किये गये आवास स्थान, जैसाकि ऊपर परिभाषित किया गया था, के सभी विवरण की सूचना, संपदा निदेशालय, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को देगा।

6. आवंटिती आवंटन की अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर आवास स्थान खाली करेगा।

कब्जा बनाये रखने में असमर्थता

7. आवंटिती जोकि चाहे मुख्तारनामा धारक के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से अपने नाम पर अथवा अपने पति पत्नी

---

* संशोधित

परिवार के सदस्यों आश्रितों के नाम पर आवास स्थान प्राप्त करता है, तत्काल 30 दिनों में अथवा इससे पूर्व संपदा निदेशालय को ऐसी प्राप्ति के बारे में सूचित करेगा और आवास स्थान की प्राप्ति के दो महीनों के भीतर सरकारी आवास स्थान भी खाली करेगा।

8. आवंटिती, जोकि किन्हीं कारणों से स्वेच्छा से अथवा अनिवार्यतया मीडिया संगठन के रोजगार में नहीं रहता अथवा इसमें स्वेच्छा से परिवर्तन करता है और जिसकी मान्यता नई मीडिया यूनिट में परिवर्तित नहीं होती है, सरकारी आवास स्थान रखने का हकदार नहीं होगा और रोजगार में परिवर्तन की तारीख से छह महीनों के अन्दर इसे खाली करेगा।

9. आवंटिती, जोकि इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, पूल आवास स्थान हेतु किसी अन्य कारण से अनुपयुक्त हो जाता है, वह, इसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् सरकारी स्थान अधिनियम के अंतर्गत बेदखली के लिए उत्तरदायी होगा।

10. यदि आवंटी को आवंटित किये गये सरकारी आवास स्थान को खाली करने में वह असफल रहता है जैसाकि उपरोक्त खंड 8–11 में उल्लेख किया गया था, तो वह सरकारी स्थान अधिनियम के अंतर्गत इससे बेदखली के लिए जिम्मेदार होगा और *'**आवंटिती को हर्जाना भी देना होगा जैसाकि अन्य स्थान की अप्राधिकृत अधिभोगिता की अवधि के**

---

* संशोधित

लिए भारत सरकार, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली : कार्यालय ज्ञापन संख्या 180 11/3/92– पी.ओ.एल III दिनांक 30.5.95 में विहित था।

आवास स्थान–आवंटन हेतु प्रक्रिया

11. सरकार दिल्ली में आवासीय स्थान के केन्द्रीय पूल में से दिल्ली के मान्यता प्राप्त संवाददाताओं और समाचार कैमरामैनों के लिए मीडिया पूल का सृजन करेगी। आवंटित की जाने वाली इकाइयों की संख्या वही रहेगी जैसी समय–समय पर शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय में सरकार द्वारा नियत की जाए। इस समय मीडिया पूल में 120 इकाइयाँ हैं।

12. मीडिया पूल के अंतर्गत इकाइयों की संख्या मीडिया प्रतिनिधियों के लिए अलग से रखी जाएगी।

13. मीडिया पूल में आवास स्थान कई प्रकार के अर्थात् अधिकतम टाइप IV विशेष तक होंगे।

14. ऐसे दिल्ली के मान्यता प्राप्त पत्रकार/समाचार कैमरामैन जोकि मीडिया पूल से सरकारी आवास स्थान के इच्छुक हैं, वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान सूचना अधिकारी के सम्मुख इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ एक शपथपत्र होगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जायेगा–

(क) उनकी मासिक आय जैसाकि ऊपर खंड 3 में परिभाषित की गयी है,

(ख) अपने नियोजक से उनके द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ते की राशि,

(ग) जैसाकि खंड (2) की टिप्पणी (ii) में परिभाषित किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनका अपने नाम पर अथवा उनके पति/पत्नी/परिवार के सदस्यों/आश्रितों के नाम पर मुख्तारनामा धारक अथवा किसी अन्य प्रकार से आवास स्थान है अथवा नहीं, और

(घ) क्या उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसा कोई आवासीय स्थान मुख्तारनामों अथवा किसी अन्य तरह अपने पति/पत्नी अथवा परिवार के सदस्य अथवा आश्रित अथवा तीसरी पार्टी को हस्तांतरित किया है और यदि ऐसा किया है तो कब :

15. मीडिया पूल से आवास स्थान के आवंटन हेतु आवेदन पत्र पर सचिव, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक छटनी समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी और इसमें प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान सूचना अधिकारी और संयुक्त सचिव/अपर सचिव (संपदा) और संपदा निदेशक, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय इसके पदेन सदस्यों के रूप में तथा छह मान्यता प्राप्त पत्रकार जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित किया जायेगा—शामिल होंगे।

16. छटनी समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होंगी। आवास स्थान के आवंटन हेतु आवेदन पत्रों को समिति द्वारा इनकी प्राप्ति के दो महीनों अथवा इससे पूर्व निपटाया जायेगा।

17. मीडिया पूल से आवंटन हेतु कोई स्वेच्छाकारी कोटा नहीं होगा।

<u>**बचत प्रावधान :**</u>

18. ऐसे आवंटिती जोकि इस समय, तीन/पांच वर्षों से अधिक समय से जैसी स्थिति हो, मकानों का अधिभोग कर रहे हैं, और/अथवा किसी अन्य कारण (कारणों) से इन मार्गनिर्देशों के अनुसार असमर्थ हो गये हैं, को निम्नानुसार आवास स्थान खाली करना होगा–

i) वे जोकि नियमित रोजगार में हैं अथवा ***वे जोकि स्वच्छंद पत्रकार हैं** और अनुबंधात्मक आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं और इन मार्गनिर्देशों को लागू किये जाने वाले दिन से अधिभोग की यथानिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के कारण ही असमर्थ हो गये हैं,.. ...... इन मार्गनिर्देशों को लागू किये जाने के दिन से तीन वर्षों की अवधि में बेदखली योग्य हो जायेंगे।

ii) अनुबंधात्मक आधार पर, नियुक्त और **स्वच्छंद पत्रकार वे जो इन मार्गनिर्देशों के कारण सरकारी आवास स्थान के अधिभोग में असमर्थ हो गये, इन मार्गनिर्देशों को लागू किये जाने के दिन से दो वर्षों की अवधि के अंतर्गत बेदखली में समर्थ हो जायेंगे।–

---

* संशोधित

** सम्मिलित नहीं किया गया

iii) अन्य सभी जो अधिभोग की यथानिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति अथवा अन्यथा, के अतिरिक्त इन मार्गनिर्देशों के अनुसार किसी कारण (कारणों) से सरकारी आवास स्थान के अधिभोग के अयोग्य हो जाते हैं, वे इन मार्गनिर्देशों को लागू करने के दिन से एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत बेदखली के योग्य हो जायेंगे।

उपरोक्त उपखंड (ii) से (iii) के अनुसार सरकारी आवास स्थान के अधिभोग की अवधि के दौरान, स्वच्छंद पत्रकारों के अतिरिक्त अधिभोक्ता, खंड (6) के अनुसार मकान किराया भत्ता सहित लाइसेंस शुल्क , (12) **अथवा खंड (12) के अनुसार उपरोक्त हर्जाना देंगे।** स्वच्छंद पत्रकार ***भारत सरकार, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली, कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/3/95 पी ओ एल III** दिनांक **2.7.1996** के अनुसार, आवास स्थान के अधिभोग की अवधि के लिए स्टैंडर्ड लाइसेंस शुल्क ही देंगे।

परिषद् की दिनांक 25–9–96 की बैठक में विचार–विमर्श के पश्चात् अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् ने मार्गदर्शी सिद्धातों में निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया हैः–

1. "पात्रता कसौटी" के पैरा 3 में सरकारी आवास स्थान की पात्रता के लिये अधिकतम कुल परिलब्धियां प्रतिवर्ष 15,000/– रुपये है। इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि परिलब्धियों की उपरोक्त सीमा "बचावत पुरस्कार" की परिभाषा के अनुसार,

---

* संशोधित

श्रमजीवी पत्रकारों की श्रेणी I–क के लिए वेतनमान के वेतन बोर्डों की सिफ़ारिशों पर निर्भर करेगा।

परिषद् के कुछ सदस्यों ने निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया हैः

1. सभी पत्रकार चाहे वे नियमित रोजगार में हैं अथवा जिन्हें अनुबंध के आधार पर रोजगार दिया गया है अथवा वे मुक्त पत्रकार हैं और उस सीमा तक मार्गनिर्देश के पैरा 20 के खंड (i) और (ii) के संशोधन के अनुसार, उन्हें सरकारी परिसर खाली करने के लिए पांच वर्षों का एक समान समय दिया गया है। हालांकि, उनके द्वारा, जिनका दिल्ली में अन्य आवास स्थान है, सरकारी आवास स्थान खाली करने की अवधि वही रहेगी।

2. एक बार सरकारी आवास आवंटित किये जाने पर, इसके अधिभोग के लिये पांच वर्षों की समान अवधि सभी आवंटियों को दी जाये जैसाकि "पात्रता कसौटी" के अन्तर्गत पैरा 3 में दिया गया है।

यह रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को 10.7.1996 को भेज दी गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.7.1996 के आदेश में इसे शामिल किया गया था ।

(छ) पत्रकारों पर अनुचित अनुग्रह के संबंध में दिशा निर्देश–1998

प्रेस की शक्ति ने सार्वजनिक व्यक्तियों को, प्रकट तथा उससे भी अधिक गुप्त साधनों के माध्यम से प्रेस का अनुग्रह प्राप्त व पोषण करने तथा उसकी चापलूसी करने का प्रयास करने के लिए, युगों से प्रेरित किया है।

यदि प्रेस केवल एक प्रेक्षक, मुखबिर तथा जनता के शिक्षक के रूप में समाज के हित के एक प्रहरी के रूप में, जनता हित की सेवा करने के दायित्व को स्वीकार करता है तो केवल उसी स्थिति में वह एक जन संचारक के रूप में अपनी सच्ची भूमिका अदा कर सकता है। अंततोगत्वा, स्वयं प्रेस के नैतिक ढांचे की शक्ति व दृढ़ता यह निर्णय करेगी कि जो लोग सत्ता में हैं; उनके द्वारा दिए गए प्रलोभनों तथा उत्प्रेरणाओं से वे विचलित हों या नहीं। मीडिया के लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें जो कुछ भी अनुग्रह तथा सुविधाएं मिलती हैं, चाहे उनकी बौछार उन पर जनता द्वारा की जाए या निजी संगठनों द्वारा या सत्ता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा की जाए, पर उनका भार अंततः जनता को ही वहन करना पड़ता है। निजी संगठन, उनकी लागत खर्च को अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद तथा सेवाओं की लागत में जोड़कर वसूल करते हैं। अतएव प्रेस की परम निष्ठा जनता के प्रति होती है, तात्कालिक व प्रत्यक्ष उपकारी के प्रति नहीं।

प्रेस के सदस्यों को अपने व्यावसायिक कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं तथा उन्हें प्रभावित करने के विचार से प्रदान किए गए अनुग्रहों के बीच भेद व अंतर करना हमेशा आसान नहीं होता। तथापि सरल तथा सुबोधगम्य सीमा यह हो सकती है कि पत्रकारों को अपने व्यावसायिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में सहायता का एक समान अर्पण भलीभांति निर्धारित नीतियों के प्राचलों के

अंतर्गत, सुविधा के लिए व्यक्तियों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, किया जा सकता है परंतु जब उसे किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों या स्थापनाओं तक प्रतिबंधित व सीमित कर दिया जाता है तो वह एक अनुग्रह या पक्षपात हो जाता है।

1985 से 1995 तक के बीच की अवधि में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा पत्रकारों को प्रदान किए गए अनुग्रहों के संबंध में परिषद् द्वारा जनवरी, 1998 में दी गयी रिपोर्ट के आधार पर, परिषद् ने भविष्य में मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश तैयार किए हैं :—

1. आवास—मकान/फ्लैट/भूमि

पत्रकारों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है क्योंकि अपने कर्मचारियों को आवास प्रदान करना समाचार पत्र की स्थापनाओं का कर्त्तव्य है। जहाँ कहीं भी, पत्रकारों को अधिकारियों द्वारा ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है, उसे वहाँ धीरे—धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

समाचारपत्र स्थापनाओं/व्यक्तियों और प्रिंटिंग प्रेसों को लगाने के लिए रियायती दरों पर भूमि का आवंटन अलाटी की समृद्धि या सम्पत्तिकरण का अनुचित/अवैध समाचारपत्र स्थापनाओं/व्यक्तियों को भूमि के आवंटन संबंधी प्रस्तावों की अधिकारियों द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्वक छानबीन की जानी चाहिए। समाचारपत्र स्थापनाओं को कोई भी भूमि रियायती दरों पर आवंटित नहीं की जानी चाहिए, यदि भूमि को अलाटी द्वारा प्रेस के कार्यों हेतु उसके प्रयोग के साथ—साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी रखने का प्रस्ताव है।

2. कम्पनियों में हिस्सों शेयरों का आवंटन

विशेष मूल्य पर आवंटित या किसी कोटे के अंतर्गत प्रदत्त शेयर एक अनुग्रह/पक्षपात है।

3. बस यात्रा/रेल यात्रा/परिवहन

जहाँ तक बड़े तथा मध्यम समाचारपत्रों का संबंध है, यह एक अनुग्रह/पक्षपात है। इसके अलावा जो पत्रकार ऐसे समाचारपत्रों के साथ सम्बद्ध हैं जो लाभ में चल रहे हैं उनका निःशुल्क/मुफ्त बस/रेल/परिवहन की सुविधाओं का लाभ उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे व्यय का वहन संबंधित समाचारपत्रों द्वारा किया जाना चाहिए। तथापि लघु समाचारपत्रों के मामले में, यह एक सुविधा हो सकती है।

4. विदेशी यात्राएँ

कम्पनियों, निगमों तथा एयरलाइनों द्वारा वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा प्रदान करना, उनके उत्पादों/सेवाओं के संबंध में अनुग्रह या अनुकूल दृष्टि से लिखने के लिए एक प्रलोभन है। जहाँ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री या किसी अन्य मंत्री द्वारा सरकारी विदेशी दौरों का संबंध है, उनके साथ कवरेज के लिए, निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक बार चुने गए समाचारपत्र के पात्र/योग्य पत्रकार को ही नामित किया जाना चाहिए। समाचारपत्र के प्रबंधन कार्मिक का ऐसे दौरों की कवरेज के लिए चयन/नामांकन नहीं किया जाना चाहिए।

5. घरेलू यात्रा एयर लाइनों तथा अन्य द्वारा वायुयान के मुफ्त टिकट :

यह पत्रकारों को, ऐसे टिकट प्रदान करने वाले वाणिज्यिक उद्यमों तथा एयर लाइन्स को वाणिज्यिक रूप में बढ़ावा देने के लिए अनुकूल रिपोर्ट लिखने के लिए प्रेरित करता है।

6. मुख्यमंत्री की विवेकाधीन निधि से रोकड़/नकद राशि का भुगतान

मुख्यमंत्री की विवेकाधीन निधि से, दरिद्र तथा निस्सहाय पत्रकारों को राहत के रूप में धन देने के अलावा अन्य को धनराशि का भुगतान पत्रकारिता के मिशन के प्रति बेईमानी को बढ़ावा देना है। यह भ्रष्ट कार्यों को बढ़ावा देता है। इसे मुख्यमंत्रियों द्वारा हतोत्साहित किया जा सकता है।

7. वित्तीय सहायता नकद राशि

वित्तीय सहायता चाहे वह डाक्टरी चिकित्सा के लिए ही दी गई हो, भी अनुग्रह में शामिल है। यदि चिकित्सा सहायता एक ऐसी स्पष्ट नीति के अंतर्गत नहीं दी जा रही है जो सामान्यतः ऐसे बीमार तथा दीनहीन व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होती है, जो अपनी डाक्टरी चिकित्सा के व्यय का वहन नहीं कर सकते और कोई पत्रकार ऐसे लाभार्थियों में हो। पत्रकारों को सीजीएचएस सुविधा प्रदान करना असंगत है क्योंकि यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होती है। अपने कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना समाचारपत्र स्थापनाओं का उत्तरदायित्व है और अधिकारियों को उससे बचना चाहिए।

8–9. मीडिया केन्द्रों के लिए फंड तथा पत्रकार एसोसिएशनों के लिए अनुदान अनुग्रह है और यदि वह पत्रकारिता संबंधी कौशल के संवर्धन के लिए नहीं दिया जाता तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए।

10. गिफ्ट चैक जिनमें वे भी शामिल हैं जो विज्ञापन एजेंसियों द्वारा चैक अपने ग्राहकों से या अन्यथा, सम्बंधित सामग्री के प्रकाशन के लिए प्रदान किए जाते हैं, अनुग्रह है और पूर्णतया निन्दा के योग्य है। पत्रकारों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।

11. किसी भी रूप में भेंट का जिसका मूल्य चाहे जो हो, निंदा की जानी है।

12. यदि कोई पत्रकार निःशुल्क पार्किंग की सुविधा का प्रयोग अपने व्यावसायिक कार्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य/कार्य के लिए करता है तो वह एक अनुग्रह है।

13. अतिथि का आतिथ्य सत्कार

नियमानुसार कार्यरत/श्रमजीवी पत्रकार को राज्य का अतिथि नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, जब प्रेस की टीमों को अपने व्यावसायिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए किसी स्थान पर आमंत्रित किया जाता है तो उनके लिए उचित व्यवस्था करना, इसका अपवाद होगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा सरकारी अतिथि गृहों (गैस्ट हाउसों) में ठहरना उस स्थिति में अनुमेय है जब वह उसके व्यावसायिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए है।

14. कर मुक्त कैमरों तथा कम्प्यूटरों का आयात

अपने कार्मिकों को कैमरा/कम्प्यूटर प्रदान करना समाचारपत्र स्थापना का कर्त्तव्य है। सरकार द्वारा एक विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को कर/शुल्क मुक्त कैमरों तथा कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति देना, एक अनुग्रह/पक्षपात है। तथापि, यह सुविधा मान्यताप्राप्त स्वतंत्र पत्रकारों, लघु समाचारपत्रों को प्रदान की जा सकती हैं। बशर्ते कि इसका दुरुपयोग न किया जाए।

15. बीमा किश्त

पत्रकारों के बीमें की किश्त का भुगतान करना सरकार का दायित्व नहीं है। समाचारपत्र स्थापना या संबंधित व्यक्ति को उसका भुगतान करना चाहिए।

16. पत्रकारों के रिश्तेदारों को, लिहाज के लिए तथा योग्यता के अलावा और दूसरे लिहाज से नौकरी देना, उसे पूर्णतया

प्रलोभन देने का पूरा प्रयास है और उस पर प्रतिबंध होना चाहिए।

17. समस्त नागरिकों के लिए पहले से निर्धारित नीति की सीमा के अंतर्गत ऋणों की स्वीकृति की अनुमति दी जा सकती है। परंतु जब ऋण केवल पत्रकारों को दिया जाता है या ब्याज की घटी दरों पर दिया जाता है या जब देय ब्याज या मूलधन की राशि को समाप्त/बट्टे खाते में डाल दिया/माफ कर दिया जाता है तो ऐसा कार्य अनुचित अनुग्रह पक्षपात के बराबर है और इसे रोका जाना चाहिए।

18. समितियों में नामांकन

कुछ राज्यों में पत्रकारों को कुछ संगठनों तथा संस्थाओं जैसे लोक सेवा आयोग, में नामित किया जाता है और उन्हें राज्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की हैसियत भी प्रदान की जाती है। यह गलत चलन है। ऐसी समितियों में व्यावसायिक संगठनों द्वारा नामांकन को छोड़कर जिनमें विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोटा होता है, यह चलन एक अनुग्रह है और इसे रोका जाना चाहिए।

19. किसी पत्रकार को पी सी ओ/फैक्स/फोन बूथ या सेन्टर को आवंटित करना अनुग्रह व पक्षपात है, यह चलन बंद होना चाहिए।

20. पेंशन संबंधी लाभ

चूँकि मीडिया सरकार का अंग नहीं है, जब यह सुविधा सरकार द्वारा केवल मीडिया के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है तो यह अनुग्रह हो जाता है।

21. प्रेस क्लब निधि (फंड) का चंदा

यह प्रथा समस्त देश में प्रचलित है और मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, कम्पनियों तथा निगमों द्वारा केवल सही प्रेस क्लबों को ही नहीं बल्कि संदिग्ध प्रकृति/स्वरूप वाले कस्बों को भी चंदा खुले हाथों दिया जा रहा है। बाद वाले मामले में यह पत्रकारों को प्रलोभन देने का एक प्रयास है ताकि वे दाताओं के विषय में अनुकूल रिपोर्ट दे दें। इसे रोका जाना चाहिए।

22. पुरस्कार

अप्रामाणिक व नकली पुरस्कार देने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। धोखेबाजों व ठगों द्वारा पुरस्कारों तथा पारितोषिक की बिक्री के ऐसे उदाहरण हैं जो उससे रुपया कमाते हैं। केवल ठग (रैकेटियर) बल्कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी पुरस्कारों की निधि में प्रायः चंदा देते हैं।

23. पत्रकारों के रूप में उनकी स्थिति के कारण ऐसे लोगों को दुकानो का आवंटन एक स्पष्ट अनुग्रह है और इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

24. मान्यता व प्रत्यायन कार्डों को प्रदान करना, नियमानुसार सरकारी तथा सार्वजनिक प्राधिकरण विज्ञापन, चुनाव की बैठकों के दौरान सुविधाएं, पत्रकारिता संबंधी सम्मेलनों, संगोष्ठियों (सेमिनारों) आदि के लिए खर्च, प्रेस कक्ष प्रदान करना, प्रेस पार्टियों को आमंत्रित करना, प्रकाशन सामग्री देना, पत्रकार को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुग्रह या पक्षपात में शामिल नहीं है। वे अनिवार्य सुविधाएं हैं जो उनके व्यावसायिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए पत्रकारों को प्रदान की जाती हैं।

ज) <u>एकांतता का अधिकार–सार्वजनिक व्यक्ति तथा प्रेस–1998</u>

इस मामले पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गर्मागर्म बहस हो रही है। यह निश्चित प्रतीत होता है कि एकांतता का अधिकार निर्द्वन्द/निर्बाध नहीं हो सकता, फिर भी मीडिया को स्वयं आत्म संयम दर्शाना होता है और सार्वजनिक व्यक्ति की एकांतता का सम्मान करना पड़ता है। यदि सार्वजनिक व्यक्ति की एकांतता तथा उसके व्यक्तिगत आचरण, कार्यकलापों, गतिविधियों, आदतों तथा चरित्र की विशेषताओं के संबंध में जिनका जनहित पर अतिक्रमण या प्रभाव होता है, जानने का जनता के अधिकार के बीच संघर्ष होता है तो पहले को बाद वाले के अर्थात् जनता के अधिकार के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।

तथापि, यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक होगी कि जो चीज जनता के प्रति हित या रुचि की है वह जनहित, के साथ समानार्थी नहीं है और वह अंतिम व आधारभूत परीक्षण होना चाहिए जिसका पत्रकारों को प्रत्येक अलग–अलग मामले की परिस्थितियों में स्वयं ही प्रयोग करना चाहिए।

उपर्युक्त को चित्रित करते हुए परिषद् निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार करती है–

"एकांतता का अधिकार एक अलंघनीय (परमपावन) मानवीय अधिकार है। तथापि, एकांतता की मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक संस्था से दूसरी संस्था की अलग–अलग होती है। सार्वजनिक व्यक्ति/जन नेता जो जनता की ताक व नजर के नीचे जनता के एक दूत/प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यह आशा नहीं कर सकता कि उसे एकांतता उसी मात्रा में मिले जितनी मात्रा में एक निजी व्यक्ति

को मिलती है। उसके कार्य तथा आचरण क्योंकि जन रुचि/हित के होते हैं, ("जनरुचि/हित" "जनता के प्रति रुचि/हित" से भिन्न तथा अलग हैं।) चाहे वे एकांत में किए गए हों, परन्तु उन्हें प्रेस के माध्यम द्वारा जनता की जानकारी में लाया जा सकता है। तथापि, प्रेस का इस बात को सुनिश्चित करने का एक संगत/अनुरूप कर्त्तव्य होता है कि सार्वजनिक व्यक्ति के जनहित/रुचि से संबंधित ऐसे कार्यों तथा आचरण के संबंध में सूचना उत्तम व निष्पक्ष साधनों से प्राप्त की गई है, वह समुचित रूप में सत्यापित है और उसकी बात सही ढंग से रिपोर्ट की गई है। जनता की ताक या दृष्टि से दूर किए गए या संचालित कार्यों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए, प्रेस से यह आशा नहीं की जाती कि वह निगरानी की युक्तियों का प्रयोग करे। निजी बातचीत तथा चर्चाओं के विषय में सूचना व जानकारी प्राप्त करने के लिए, जहाँ प्रेस से यह आशा की जाती है कि वह सार्वजनिक व्यक्ति को तंग न करे वहाँ सार्वजनिक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वे अपनी कार्यप्रणाली में अधिक खुलापन लाएं और जनता को अपने प्रतिनिधियों के कार्यों के विषय में, जानकारी देने के प्रेस के अपने कर्त्तव्य का पालन करने में उसे सहयोग दें।"

यह निश्चित है कि उपर्युक्त व्यापक दिशानिर्देश जिन्हें सच्चे भाव व अभिप्राय से तैयार किया गया है, प्रेस के सूचना तक पहुँचने के अधिकार तथा सार्वजनिक व्यक्ति के एकांतता के अधिकार के बीच एक संतुलन उत्पन्न करेंगे।

(झ) उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत

उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उल्लंघन में प्रकाशित किये जा रहे विदेशी नौकरियों के विज्ञापनों को देखते हुए प्रकाशकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परिषद् से अनुरोध किया। परिषद् ने उत्प्रवास महा संरक्षक के परामर्श से निम्नलिखित आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत स्वीकार किये :-

1. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार, कोई भी नियोक्ता भारत के बाहर किसी नागरिक की रोज़गार के लिए भर्ती (क) ऐसी भर्ती करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम भर्ती एजेंट के माध्यम से, अथवा (ख) इस संबंध में जारी वैध परमिट के अनुसार के सिवाय नहीं कर सकता ।

2. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 में प्रावधान है कि कोई भी भर्ती एजेंट, श्रम मंत्रालय में पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात् उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अन्तर्गत और इसके अनुसार के अलावा विदेश में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती का कारोबार शुरू अथवा जारी नहीं रखेगा ।

3. इसी प्रकार, विदेशी नियोक्ता अथवा प्रोजेक्ट निर्यातक, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा रोज़गार वाले देश में भारतीय मिशन से परमिट प्राप्त करने के पश्चात् ही विदेश में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती कर सकता है ।

4. पंजीकृत भर्ती एजेंटों के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन देते हुए अपनी, पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या दर्शाना अनिवार्य है । इसी प्रकार, विदेशी नियोक्ताओं और प्रोजेक्ट निर्यातकों को भी विज्ञापन देते हुए परमिट संख्या भी दिखानी होगी ।

5. भर्ती एजेंटों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और विदेशी नियोक्ताओं तथा प्रोजेक्ट निर्यातकों के मामले में परमिट पत्र की प्रति को विज्ञापन प्रपत्र के साथ उनके सही व्यक्ति होने के प्रमाण के रूप में संलग्न करने के लिए कहा जा सकता है।

6. सभी विज्ञापनदाताओं को अपने विज्ञापन में निम्नलिखित का उल्लेख करने के लिए कहा जा सकता है :-

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या/परमिट संख्या

(ख) टेलीफोन नं0, पोस्ट बॉक्स नं0, ई मेल नं0 सहित पूरा पता (ये पूरे पते के साथ में दिये जा सकेंगे परंतु संचार माध्यम के रूप में नहीं)

(ग) आवेदन पत्र संबंधी कार्रवाई अथवा किसी अन्य उद्देश्य से आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(घ) पदों/नौकरियों का नाम

(ड.) प्रत्येक श्रेणी में स्थिति/रिक्तियों की संख्या, और

(च) नौकरी की प्रत्येक श्रेणी को दिया गया वेतन

7. कोई संदेह होने पर प्रकाशक माँग पत्र और मुख्तार नामे की प्रतियों, जोकि विदेशी नियोक्ता अथवा प्रयोजक द्वारा एजेंट को दी गयी होगी, की माँग भी कर सकता है, जिनके आधार पर कथित विज्ञापन जारी किया जा रहा है ।

8. उत्प्रवासी महा संरक्षक, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा उत्प्रवासियों के संरक्षक के आठ कार्यालय, जोकि दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, तिरूवनंतपुरम कोचिन, चंदीगढ़ और हैदराबाद में स्थित हैं, से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है।

9. इसके अतिरिक्त, पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय की वैबसाइट पर भी देखी जा सकती है, अर्थात् एचटीटीपी://एमओआईए.जीओवी.आईएन

(ञ) <u>अध्ययन रिपोर्ट - श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम बनाम संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति 27 जुलाई, 2007</u>

भारतीय प्रेस परिषद् की उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति के मामले पर विचार करने के पश्चात् सर्वसम्मति से परिषद् की राय है कि "श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की परिभाषा के भीतर आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारियों को अधिनियम के उपबंध का संरक्षण दिया जाना चाहिए ।"

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 बनाम संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा दिनांक 9.2.2006 को पुणे में हुई बैठक के दौरान एक उप समिति गठित की गई । उप समिति ने अधिसूचित एसोसिएशनों के विचार और टिप्पणियाँ माँगी । भेजे गए 15 नोटिसों में से केवल दो अर्थात् इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और इंडिया न्यूज़पेपर सोसायटी ने जवाब दिया और भारत से बाहर प्रेस परिषदो और समान निकायों से कुछ जवाब प्राप्त हुए यद्यपि अधिकतर निकायों ने सूचित किया कि उनका संबंध प्रकाशित सामग्री के विरूद्ध विशिष्ट शिकायतों से ही है।

दिल्ली में उप समिति द्वारा की गई लगभग छह बैठकों में ज़बरदस्त विचार सामने आये कि संविदात्मक रोज़गार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत कवर होना चाहिए और नियुक्ति-निबंधन पत्रकारों बनाम अधिनियम में विहित न्यूनतम मज़दूरी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए । उप समिति का विचार यह भी था कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम औपचारिक रूप से लागू होना चाहिए ।

उप समिति को सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से चर्चा करने और वे चाहे समाचारपत्र संपादकों/स्वामियों के हों या पत्रकारों के, उनपर अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में विस्तार से छानबीन करने का लाभ हुआ। उप समिति अपनी राय में एकमत थी कि व्यापक रूप से 5-6 सुझाव दिये जा सकते हैं।

1. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए हाल ही में गठित वेतन बोर्ड के विचारार्थ विषय में संदर्भ जोड़ा जा सकता है।

2. संविदा के अंतर्गत नियुक्त पत्रकारों के कार्यकाल की सुरक्षा श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के तहत सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3. संविदा नियुक्ति "आकर्षण अथवा प्रलोभन" नहीं होना चाहिए।

4. रखने - निकालने के साथ तुरंत उत्तराधिकार में रोज़गार में परिवर्तन की प्रवृत्ति हतोत्साहित की जानी चाहिए और संविदा रोज़गार किसी भी पक्ष की इच्छा पर नहीं होना चाहिए।

5. संविदा पर दिया जा रहा वेतन श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत कुल वेतन से कम नहीं होना चाहिए।

   इसकी चर्चा में भी उप समिति ने मीडिया जगत में तेजी से बदलती स्थिति पर विस्तार से विचार किया जहाँ संविदात्मक रोज़गार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत पत्रकारों की नियमित नियुक्ति की जगह ले रहा है। कठोर वास्तविकता यह है कि अधिनियम के अंतर्गत उन पत्रकारों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है जिन्हें संविदात्मक प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त

किया गया है । इस संबंध में कई वर्गों द्वारा समय-समय पर चिंता व्यक्त की गई ।

संविदात्मक रोज़गार के कारण धीरे-धीरे पत्रकारों का एक अलग वर्ग बन रहा था, एक वर्ग जिसे अधिनियम के अंतर्गत कोई लाभ नहीं हुआ था । यद्यपि संविदात्मक रोज़गार के अंतर्गत पत्रकार अक्सर भारी वेतन (पे पैकेट) लेते है और उनके वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी भी होती है, जैसे ही उनकी संविदा में नवीनीकरण का समय पास आता है, वैसे ही उनकी स्वतंत्रता पर अनिश्चितता के बादल मँडराने लगते है । अक्सर यह देखा गया है कि जैसे ही संविदात्मक अवधि समाप्त होने वाली होती है पत्रकार 'परिणाम' दर्शाने के दबाव में होता है और संविदा के नवीनीकरण तक की शेष अवधि स्वतंत्रता के चयन अथवा कोई विकल्प दिये बिना 'आकस्मिक तबादले' के डर और अनिश्चितता से बँधी होती है । उप-समिति के सम्मुख कई उदाहरण उद्धृत किये गये जिन्होंने रोज़गार की संविदात्मक प्रणाली के अंतर्गत पत्रकारों के शोषण को दर्शाया क्योंकि संगठन की अत्यावश्यकताओं का कोई कारण दिये बिना उन्हें या ता प्रतिमाह नगण्य रकम दी जाती थी या उन्हें हटा दिया जाता था या उनका तबादला कर दिया जाता था ।

यद्यपि संविदा की शर्ते अनिवार्य रूप से नियोक्ता और पत्रकार के बीच अनुबंध रहता है, यह अक्सर देखा जाता है कि समाचार एकत्रित करने, रिपोर्टिंग, प्रचार-प्रसार अथवा विश्लेषण के व्यवसाय में लगे लोगों के पास मुश्किल से ही कोई विकल्प अथवा चयन की स्वतंत्रता रहती है । ऐसी स्थिति ने पत्रकारों की

कार्य स्थिति और प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में संगीन प्रश्न भी उठाये है । क्या पत्रकारों के साथ उद्योग के किसी खंड में किसी अन्य कर्मचारी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या समाचारपत्र किसी अन्य बिजनेस अथवा उद्योग की तरह बिजनेस प्रकाशित कर रहा है ?

उप समिति ने 22 सितंबर, 2003 की भारतीय प्रेस परिषद् की पुणे में हुई बैठक का स्मरण किया जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति के जयचन्द्र रेड्डी द्वारा की गयी थी और जिसमें देश में कुछ समाचारपत्रों द्वारा पत्रकारों की नियुक्ति की संविदात्मक प्रणाली के मामले पर विचार किया गया था ।

उस बैठक में भी परिषद् ने अनुभव किया था कि यद्यपि मीडिया के बदलते रूप को कटु सत्य के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत पत्रकारों की नियमित नियुक्ति के स्थान पर संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति उन दबावों पर जोकि विभिन्न वर्गों से आ सकते थे, ध्यान दिये बिना स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं को अभिव्यक्त करने के उनके अधिकार को प्रभावित कर सकती थी । अतः यह आवश्यक था कि प्रेस की स्वतंत्रता को गोपनीय के साथ-साथ खुल्लम खुल्ला मिलने वाली धमकियों पर लगातार नज़र रखी जाये । सर्वसम्मति से परिषद् का विचार था कि जब तक कानून विद्यमान था, रोज़गार का तरीका नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध का मामला था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्रेस की स्वतंत्रता ऐसी संविदात्मक प्रणाली में खतरे में पड़ सकती थी जहाँ सेवा को जारी रखना नियोक्ता की इच्छा पर हो सकता था ।

इन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए सार्क संपादक सम्मेलन में विदेश मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी की टिप्पणियों को उद्धृत किया अर्थात् ''कई तरह से मीडिया, लोगों से संपर्क का बेहतर पथ प्रदर्शक है ।आप लोगों में से किसी एक के एक वाक्य में करोड़ों तक पहुँचने की क्षमता है । यह गलत को सही कर सकता है ''यह छवि बना सकता है' यह समझ का बीज बो सकता है ।'' श्री मुखर्जी ने सम्मेलन में बताया ''यदि लिखित शब्द की शक्ति को बार-बार सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वे हाथ जोकि कलम चलाते हैं, इस कार्य को स्वतंत्रता, दायित्व और बिना किसी डर के करें ।''

मीडिया में ऐसी कार्य स्थितियाँ ही नियोक्ता और कर्मचारी के बीच बेहतर और स्वस्थ संबंध आगे बढ़ा सकती है ।

उप समिति ने यह निर्धारण पूर्ण प्रेस परिषद् की सामूहिक इच्छा पर छोड़ दिया कि क्या स्थिति इस समय कुछ अलग है अथवा गत तीन या चार वर्षों में इसमें कैसे विकास हुआ ।

रिपोर्ट को संपूर्ण करते हुए इसकी अंतिम सिफारिश इस प्रकार पठनीय है ''श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की परिभाषा के भीतर आने वाले एक समाचारपत्र प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारियों को अधिनियम के उपबंध का संरक्षण दिया जाना चाहिए ।''

दिनांक 27.7.2007 को हुई बैठक में विस्तार से इस मुद्दे पर वाद-विवाद करते हुए परिषद् ने अंतिम सिफारिश को स्वीकार कर लिया ।

भाग - ग प्रेस से संबंधित कानून

1. भारतीय संविधान

i) अनुच्छेद. 19(2) के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद. 19 (1) (क)

ii) अनुच्छेद 361-क (संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण)

iii) अनुच्छेद 105 और 104 (संसद और विधान मंडलीय विशेषाधिकार)

iv) अनुच्छेद 21 (व्यक्ति का भारत के नागरिकों को प्रत्याभूत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से निर्गमित एकांतता का अधिकार)

2. प्रेस कानून/ अधिनियम

i) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

ii) पंजाब विशेष शक्तियां (प्रेस) अधिनियम, 1956

iii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

iv) नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876

v) भारतीय तार अधिनियम, 1898

vi) (भारतीय) डाक घर अधिनियम, 1898

vii) पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922

viii) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19)

ix) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950

x) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

xi) पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954

xii) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21)

xiii) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

xiv) पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 42)

xv) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

xvi) अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956

xvii) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957

xviii) बालक अधिनियम, 1960

xix) दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1961, 1990 को संशोधित

xx) परमाणु ऊर्जा अधिनियम , 1962

xxi) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

xxii) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

xxiii) नागरिक सुरक्षा अधिनियम , 1968

xxiv) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971

xxv) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978

xxvi) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978

xxvii) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

xxviii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

xxix) मानहानि अधिनियम, 1952

xxx) लोक आदेश अधिनियम, 1972 की धारा 33 (ख)

xxxi) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

3. <u>भारतीय दंड संहिता, 1860 के तत्संबंधी उपबंध</u>

क) धारा 124 - किसी विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने या रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रपति, राज्य पाल आदि पर हमला करना।

ख) धारा 153 क - धर्म, जाति जन्म स्थान, आवास भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करना और सद्भाव बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्य करना।

ग) धारा 153 ख - राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यारोपण तथा प्रख्यान।

घ) धारा 171 छ - किसी चुनाव के संबंध में झूठा बयान।

ड़) धारा 228 - न्यायिक कार्यवाही में रत सरकारी कर्मचारी का जान बूझकर अपमान करना या बाधा डालना। 228 (क) धारा

376, 376 क, 376 ख, 376 ग या 376 घ के अंतर्गत अपराधों के पीड़ित की पहचान को प्रकट करना।

च) धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री आदि।

छ) धारा 293 अल्पवय व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं की बिक्री आदि।

ज) धारा 294 क - लाटरी कार्यालय रखना।

झ) धारा 295 क - किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझ कर किए गए दुर्भावपूर्ण कृत्य।

ञ) धारा 299 आपराधिक मानव वध

ट) धारा 499 मानहानि

ठ) धारा 500 मानहानि के लिए दंड

ड) धारा 501 ऐसी सामग्री का मुद्रण या उत्कीर्णन जिसके मानहानिकारक होने का पता हो।

ढ) धारा 502 मानहानि कारक तत्व वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ की बिक्री।

ण) धारा 505 :-

(i) सार्वजनिक अनिष्ट के लिए प्रेरक वक्तव्य।

(ii) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले या फैलाने वाले वक्तव्य।

(iii) पूजा स्थल पर उप धारा (2)के अंतर्गत किया गया अपराध।

त) भा.दं.सं.की धारा 52 सद्भावना से सम्बद्ध तथ्यों और कार्यों के संबंध में ।

4. **<u>दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का अधिनियम सं. 2) के तत्संबंधी उपबंध</u>**

क) धारा 91-पेश होने के लिए बंध पत्र लेने का अधिकार।

ख) धारा 93-सम्मन तथा गिरफ्तारी के वारंट।

ग) धारा 95-पत्रों तथा तारों के बारे में प्रक्रिया।

घ) धारा 96-तलाशी वारंट कब जारी किए जाएं।

ड़) धारा 108 राजद्रोहात्मक बातों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए जमानत।

च) धारा 144 उपद्रव या आशंकित खतरे के अनिवार्य मामलों में तत्काल अबाधित आदेश जारी करने का अधिकार।

छ) धारा 177 से 187 पूछताछ या मुकदमें का स्थान।

ज) धारा 195 कर्मचारियों के विधिसम्मत प्राधिकार के अवमान के लिए मुकदमा चलाना।

झ) धारा 199 व्यभिचार या किसी विवाहित महिला को फुसलाने के लिए मुकदमा चलाना।

ञ) धारा 327 जूरी सदस्यों का एक अन्य सैट बुलाने का अधिकार।

ट) धारा 340 जिस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहीं चल रही हो उसे बचाव का अधिकार और साक्षी बनने के लिए उसकी क्षमता।

ठ) **धारा 345 अपराधों का शमन करना।**

ड) धारा 349 यदि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड न दे सके तो प्रक्रिया।

ढ) धारा 350-अंशतः एक मजिस्ट्रेट तथा अंशतः दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड किए गए साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी।

ण) धारा 351 अदालत में पेश हो रहे अपराधियों का निरोध।

भाग–घ : प्रेस परिषद् के अधिकार, व्यवहार तथा प्रक्रियाएँ

भारत में प्रेस के स्तरों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने एवं प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर संसद द्वारा 1966 में भारतीय प्रेस प्ररिषद् का पहली बार गठन किया गया। वर्तमान परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 के अन्तर्गत कार्य करती है। यह सांविधिक अर्द्ध न्यायिक निकाय है जोकि प्रेस के हित प्रहरी के रूप में कार्य करती है। यह क्रमशः प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन और नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरुद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद् के एक अध्यक्ष होते हैं जोकि परिपाटी के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद् में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाचारपत्रों के प्रबंधकों, मालिकों, श्रमजीवी पत्रकारों और सम्पादकों जैसी श्रेणियों के अखिल भारतीय निकायों के रूप में परिषद् द्वारा अधिसूचित और मान्यता प्राप्त प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों से नामित किये जाते हैं। 5 सदस्य संसद के दोनों सदनों से नामित किये जाते हैं और 3 साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार कांसिल ऑफ इंडिया से नामित व्यक्तियों के रूप में सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक परिषद् का कार्य करते हैं। एक सेवानिवृत्त हो रहा सदस्य एक अवधि से अधिक के लिए पुनः नामित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।

देश में पंजीकृत समाचारपत्रों पर उनके परिचालन के आधार पर लगाए गए शुल्क के रूप में परिषद् द्वारा एकत्रित किया गया राजस्व परिषद् का फंड होता है। 5000 प्रतियों से कम परिचालन करने वाले समाचारपत्रों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता। केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के जरिये घाटे की पूर्ति की जाती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

1. प्रेस के विरुद्ध शिकायतें

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचार पत्र के विरुद्ध पत्रकारिता आचरण और रुचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद् में शिकायत दर्ज़ कर सकता है। शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उस समाचार से स्वयं पीड़ित अथवा सीधे सम्बद्ध हो। यह उल्लंघन समाचारपत्र में किसी समाचार अथवा वक्तव्य के प्रकाशन, अप्रकाशन या अन्य सामग्री जैसे व्यंग्यचित्र फोटो, मनोरंजन सामग्री अथवा विज्ञापनों के रुप में हो सकते हैं। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वच्छंद पत्रकारिता में लगे हुए व्यक्ति के व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध भी शिकायत कर सकता है। एक समाचार एजेंसी द्वारा किसी भी तरीके से दिये गये किसी भी मामले के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है।

प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद् के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक, समाचार एजेंसियाँ और साप्ताहिक – दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में – चार माह के भीतर

बशर्ते पूर्व तिथि के सम्बद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले सम्पादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रुचि के विरुद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र के सम्पादक का ध्यान आकृष्ट करते हुए जाँच विनियमों के अन्तर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना जरुरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से सम्पादक को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद् को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है यह नियम जरूरी है क्योंकि इससे सम्पादक उनपर आरोप लगाने वाले से परिचित हो जाता है और उन्हें शिकायत के विवरण का पता चल जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में, शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे सम्पादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो। यदि शिकायत करने वाला संतुष्ट हो जाये तो मामला वहीं समाप्त हो सकता है जहां समाचारपत्र का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे सम्पादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियाँ भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि सम्पादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उस समाचारपत्र के सम्पादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरुद्ध

शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेजी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए।

किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की, शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद् किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि अपनी सम्पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद् के सामने सभी सम्बद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। एक अन्य घोषणा करना भी जरुरी है कि – ''परिषद् द्वारा जाँच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्रवाई का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना परिषद् को देंगे।''

2. प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित

उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए जिसपर परिषद् ऊपर दी गई जाँच प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी।

परिषद् द्वारा व्यक्त किये गये विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (1) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे, और (2) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए यानि ऐसे लेख जो कि स्वयं में से गठित परिषद् जैसी निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्यता प्राप्त मानकों से निम्न स्तर के माने गए हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कटौती होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :

सचिव,

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,

लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

ई–मेल : पीसीआईबीपीपी@जीमेल.कॉम

फोन : 91 (011) 24366403 / 24366745 (एक्सटैं. 319 एवं 320)

फैक्स : 91 (011) 24366405 / 24366745 (एक्सटैं. 224)

ई–मेल : पीसीआईबीपीपीशिकायत@जीमेल.कॉम

वेबसाइट : एचटीटीपीः / /प्रेसकाउंसिल.निक.इन

प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 13, 14 और 15 तथा प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम 1979 के विनियम 3, 5, 6, 9, 10, 13 और 14 के सम्बद्ध अंश यथा संशोधित राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 दिसंबर, 2006 के जरिये, निम्नानुसार वर्णित हैं :–

प्रेस परिषद् अधिनियम 1978

परिषद् के उद्देश्य और कृत्य

13. (1) परिषद् का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर बनाए रखना तथा उनमें सुधार करना होगा।

परिषद् अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात्–

(क) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंन्सियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना;

(ख) समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च वृत्तिक स्तर के अनुसार एक आचार– संहिता बनाना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समाचारपत्रों, समाचार एजेन्सियों और पत्रकारों की ओर से लोक–रुचि के उच्च स्तर बनाए रखे जायें और नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों दोनों की सम्यक् भावना का पोषण करना;

(घ) उन सब व्यक्तियों में जो पत्रकारिता की वृत्ति में लगे हुए हैं उत्तरदायित्व और लोकसेवा की भावना प्रोत्साहित करना;

(ङ) ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक–महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बन्धन सम्भाव्य हो विचार करते रहना;

(च) भारत में किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों द्वारा किसी विदेशी स्त्रोत से प्राप्त सहायता के मामलों का जिनके अन्तर्गत वे मामले भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे

निर्देशित किए जायें या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाए जाएं, पुनर्विलोकन करते रहना; परन्तु इस खंड की कोई बात भारत के किसी भी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी द्वारा किसी विदेशी स्त्रोत से प्राप्त सहायता के किसी मामले में किसी अन्य ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, कार्रवाई करने से केन्द्रीय सरकार को प्रतिबाधित नहीं;

(छ) विदेशी समाचारपत्रों के जिनके अन्तर्गत किसी राजदूतावास द्वारा या भारत में विदेशी राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं भी हैं, अध्ययन का भार अपने ऊपर लेना, उनका परिचलन और प्रभाव;

1908 का 5

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए, "विदेशी राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 87(क) में है;

(ज) समाचारपत्र निकालने या उनके प्रकाशन में या समाचार एजेन्सियों में लगे हुए व्यक्तियों के सभी वर्गों में उचित कृत्यिक सम्बन्ध की अभिवृद्धि करना;

1947 का 14

परन्तु इस खंड की कोई बात परिषद् उन विवादों की बाबत कोई कृत्य सौंपने वाली नहीं समझी जाएगी जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू है;

(झ) समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेंद्रण या उनके अन्य पहलुओं से सम्बन्धित ऐसी घटना पर निगाह

रखना जिनका प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रभाव पड़ सकता हो;

(ञ) ऐसे अध्ययन कार्य हाथ में लेना जो परिषद् को सौंपे जायें और किसी ऐसे विषय के बारे में अपनी राय प्रकट करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाये;

(ट) ऐसे अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त कृत्यों के निर्वहन के आनुषंगिक या साधक हों।

परिनिंदा करने की शक्ति

14. (1) जहाँ परिषद् को, उससे किए गए परिवाद के प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिक सदाचार या लोक–रुचि के स्तर का अतिलंघन किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक अवचार किया है, वहाँ परिषद् सम्बद्ध समाचारपत्र या समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस रीति से जाँच कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित हो और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, यथास्थिति उस समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकेगी, उनकी भर्त्सना कर सकेगी या उसकी परिनिन्दा कर सकेगी या उन संपादक या पत्रकार के आचरण का अनअनुमोदन कर सकेगी;

परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में जाँच करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो परिषद् किसी परिवाद का संज्ञान नहीं कर सकेगी।

(2) यदि परिषद् की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह किसी समाचारपत्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह समाचारपत्र या समाचार एजेंसी, संपादक या उसमें कार्य करने वाले पत्रकार के विरुद्ध इस धारा के अधीन किसी जाँच से सम्बन्धित किन्हीं विशिष्टियों को, जिनके अन्तर्गत उन समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार का नाम भी है उसमें ऐसी रीति से जैसी परिषद् ठीक समझे प्रकाशित करे।

(3) उपधारा (1) की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह परिषद् को किसी ऐसे मामले में जाँच करने की शक्ति प्रदान करती है जिसके बारे में कोई कार्रवाई किसी न्यायालय में विचाराधीन हो।

(4) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

परिषद् की साधारण शक्तियाँ (1908 का 5)

15. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन या कोई जाँच करने के प्रयोजन के लिए परिषद् को निम्नलिखित बातों के बारे में सम्पूर्ण भारत में वे ही शक्तियाँ होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निहित है, अर्थात्–

(क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर करना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण;

(ग) साक्ष्य का शपथ कर लिया जाना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी जन अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को उस समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित या उस समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार द्वारा प्राप्त या रिपोर्ट किए गए किसी समाचार या सूचना का स्त्रोत प्रकट करने के लिए विवश करने वाली नहीं समझी जाएगी।

<u>1860 का 45</u>

(3) परिषद् द्वारा की गई प्रत्येक जाँच भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) यदि परिषद् अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करना आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, आचरण के सम्बन्ध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझें।

प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम 1979 *

विनियम

3. अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन किसी समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के सम्बन्ध में परिवाद् की अन्तर्वस्तु–

(1) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन किसी समाचारपत्र या समाचार अभिकरण में किसी विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन के सम्बन्ध में परिषद् को कोई परिवाद करता है तो,

(क) वह उस समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार का नाम और पता देगा जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है और यदि परिवाद किसी समाचारपत्र में किसी विषय के प्रकाशन से सम्बन्धित है या किसी अभिकरण द्वारा पारेषण से संबंधित है तो परिवाद के साथ उस विषय की मूल कटिंग भी प्रस्तुत करेगा जिसकी बाबत परिवाद किया गया है। साथ ही ऐसी विशिष्टियाँ भी देगा जो परिवाद की विषयवस्तु से सुसंगत है; और यदि परिवाद किसी विषय के अप्रकाशन से सम्बन्धित है तो उस विषय को मूल रूप में या उसकी प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसके अप्रकाशन की बाबत परिवाद किया गया है।

(ख) इस बात का कथन करेगा कि किस रीति में परिवादित विषय का प्रकाशन या अप्रकाशन, अधिनियम की धारा 14(1) के अर्थ में आपत्तिजनक है;

---

* राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 14.12.2006 के जरिये यथा संशोधित

(ग) परिषद् के समक्ष परिवाद फाइल करने से पूर्व, सम्बन्धित समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार का ध्यान समाचारपत्र आदि में प्रकाशित विषय की ओर या ऐसे विषय के अप्रकाशन की ओर आकर्षित करेगा जो परिवादी की राय में आपत्तिजनक है और वह यथास्थिति समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को ऐसी राय के आधार पर प्रस्तुत करेगा। परिवादी अपने परिवाद के साथ ही उस पत्र की, जो उसने समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, संपादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार को लिखा है, एक प्रति और यदि उसका उसे कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो उसकी एक प्रति भी संलग्न करेगा परन्तु अध्यक्ष इस शर्त का स्वविवेकानुसार अधित्यजन कर सकेंगे।

(घ) यदि परिवाद यह है कि किसी सम्पादक ने या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने किसी समाचारपत्र में किसी विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन से भिन्न कोई वृत्तिक अवचार किया है तो, परिवादी उन तथ्यों के बारे में जो उसके मतानुसार, परिवाद को न्यायोचित ठहराते हैं, स्पष्ट ब्यौरे उपवर्णित करेगा और ऐसे परिवाद को उक्त खण्ड (ग) के उपबन्ध भी लागू होंगे।

(ङ) प्रत्येक दशा में, परिषद् के समक्ष सभी अन्य सुसंगत तथ्य रखेगा; और

(च)(i) किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी के सम्बन्ध में किसी विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन से सम्बन्धित किसी परिवाद के मामले में, परिवाद संबंधित विषय के प्रकाशन या अप्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के भीतर परिषद् के

सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा, अर्थात्–

- दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियों और साप्ताहिक–दो मास के भीतर।
- अन्य सभी मामलों में–चार मास के भीतर :

परन्तु किसी पूर्वतर तारीख के सुसंगत प्रकाशन का परिवादों में संदर्भ दिया जा सकेगा।

(ii) उक्त खण्ड (घ) के अधीन किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार के विरुद्ध किसी परिवाद के मामले में परिवादित अवचार के चार मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु यदि परिषद् का इस बाबत, समाधान हो जाता है कि परिवादी ने तत्काल कार्रवाई की है, किन्तु विनियम 3(1)(च) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) के अधीन विहित अवधि के भीतर परिवाद निवेशित करने में विलम्ब, उक्त उपखण्ड (ग) में अधिकथित शर्त के अनुपालन में लगे समय के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण हुआ है तो वह विलंब माफ कर देगी और परिवाद ग्रहण कर सकेगी। माफ करने की शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष, परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, करेंगे।

(2) परिवादी, परिवाद प्रस्तुत करते समय उनमें सबसे नीचे निम्नलिखित प्रभाव की उद्घोषणा करेगा।

(i) यह कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसने परिषद् के समक्ष सभी सुसंगत तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं और परिवाद में अभिकथित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लम्बित नहीं है;

(ii) यह कि यदि परिषद् के समक्ष जाँच लम्बित रहने के दौरान परिवाद में अभिकथित कोई विषय किसी न्यायालय में चल रही किसी कार्रवाई की विषयवस्तु हो जाता है तो वह उसकी सूचना परिषद् को तुरन्त देगा।

5. **नोटिस जारी करना**—(1) यथासाध्य शीघ्र और परिवाद की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के पश्चात् अध्यक्ष के निर्देश के अधीन परिवाद की एक प्रति उस समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को भेजी जाएगी जिसके विरुद्ध विनियम 3 के अधीन परिवाद किया गया है। ऐसी प्रति के साथ ही एक नोटिस देकर तथा स्थिति, समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार से इस बाबत कारण बताने की अध्यपेक्षा की जाएगी कि अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई क्यों न की जाए। परन्तु समुचित मामलों में अध्यक्ष, ऐसे नोटिस के जारी किए जाने के लिए समय में वृद्धि, स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष की यह राय है कि जाँच करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो वह ऐसे समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को कारण बताने का नोटिस जारी न करने का विनिश्चय कर सकता है। अध्यक्ष परिषद् के अगले अधिवेशन में "कारण बताओ" नोटिस जारी न करने में विनिश्चय करने के कारण बताएंगे और परिषद् ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

(2) उक्त उप–विनियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना सम्बन्धित समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार को रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा, परिवाद में बताए गए पते पर, भेजी जाएगी।

6. **लिखित कथन फाइल करना**–(1) जिस समाचारपत्र, समाचार अभिकरण, सम्पादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के विरुद्ध परिवाद किया गया है, वह विनियम 5 के अधीन परिवाद की प्रति या नोटिस तामील होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो अध्यक्ष इस बाबत अनुज्ञात करें, परिवाद के उत्तर में कोई लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) लिखित कथन प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति परिवादी को, उसकी जानकारी के लिए अग्रेषित की जाएगी।

(3) परिवाद या लिखित कथन प्राप्त होने के पश्चात् , अध्यक्ष यदि वह आवश्यक समझते हैं तो, ऐसे किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए जो किसी परिवाद या लिखित कथन से प्रकट हुआ है, यथास्थिति, परिवादी से प्रत्यार्थी समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार से कोई अतिरिक्त जानकारी मांग सकेंगे और ऐसा करते समय वह ऐसे दस्तावेज या अन्य कथन भी मांग सकेंगे जैसे वह आवश्यक समझें। उनके द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज और कथन अभिलेख के भाग रूप होंगे और वे जाँच के समय समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

9. **समिति द्वारा जाँच**–सुनवाई का समय, तारीख तथा स्थान की सूचना, परिवादी तथा यथास्थिति, समाचारपत्र, समाचार

एजेंसी, सम्पादक तथा श्रमजीवी पत्रकार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। समिति के समक्ष जाँच के दौरान पक्षकार अपने विषय के समर्थन में, सुसंगत साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेज, प्रस्तुत कर सकेंगे और अपनी बात कह सकेंगे।

जाँच की समाप्ति पर, सीमित परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों पर कारणों सहित अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देगी और मामले का अभिलेख परिषद् को भेजेगी।

10. **परिषद् का विनिश्चय**—(1) परिषद् मामले का अभिलेख देखने के बाद अपना विनिश्चय देते हुए आदेश पारित करेगी या समिति की ओर आगे ऐसी जाँच जैसी परिषद् आवश्यक समझे, करने के लिए मामला वापस भेज सकेगी तथा उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला निपटा सकेगी।

(2) प्रत्येक मामला उपस्थित तथा परिषद् के मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से अवधारित किया जायेगा और मत बराबर होने पर, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा और वह उनका प्रयोग करेगा।

(3) परिषद् के आदेश की लिखित संसूचना मामले से सम्बद्ध सभी पक्षों को दी जाएगी ।

13. **स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने की शक्ति**—अध्यक्ष, किसी भी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जो अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत आता है या अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले से सम्बन्धित है या उसके बारे में हैं, स्वप्रेरणा से, यथास्थिति नोटिस जारी कर सकेंगे या कार्रवाई कर सकेंगे और तब विनियम 5 के आगे इन विनियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण उसी प्रकार किया

जाये जिस प्रकार कि विनियम 3 के अधीन परिवाद में किया जाता है।

14. **धारा 13 के अधीन परिवादों के बारे में प्रक्रिया**–अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन परिवादों के बारे में इन नियमों द्वारा विहित प्रक्रिया, जहाँ तक हो, उन परिवादों तथा अभ्यावेदनों पर भी लागू होगी जो धारा 13 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में परिषद् प्राप्त करे।

बशर्ते कि ऐसी शिकायत करने वाला व्यक्ति शिकायत की दो प्रतियाँ और सूची में शामिल प्रतिवादियों के लिए पर्याप्त अनुलिपियाँ दाखिल करेगा और :

(क) प्रतिवादी (प्रतिवादियों) का पूरा विवरण देगा, अर्थात् नाम, पता, पदनाम और पूरा पता ।

(ख) बताएगा कि प्रतिवादी प्राधिकारियों का कार्य/अकार्य प्रेस की स्वतंत्रता को कैसे बाधित करता है। प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों के कार्य/अकार्य के लिए संभावित कारणों का उल्लेख करेगा, लिखित प्रमाण के साथ ।

यदि प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों की कार्रवाई समाचारपत्र में प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की आलोचना के लेख के लिए प्रतिशोध की भावना से हो तो ऐसी रिपोर्टों की कतरनें मूल रूप में या स्वतः प्रमाणित प्रतियों के रूप में उपलब्ध कराई जाएँ (यदि समाचार मद (मदें) देशी भाषा में हों तो अंग्रेजी अनुवाद)।

(ग) प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों का ध्यान शिकायत की ओर दिलाएगा और प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा ।

प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों से कोई उत्तर आया हो तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा। परंतु, अध्यक्ष अपने विवेक से इस अपेक्षा को छोड़ सकता है।

(घ) समिति के सामने सभी संबंधित तथ्य रखेगा, समर्थक प्रलेखों सहित।

(ङ.) (i) शिकायत दाखिल करने के लिए समयः कार्रवाई के कारण की तिथि से चार महीने ।

(ii) परंतु, अध्यक्ष विलंब को माफ़ कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि माफ़ी के लिए पर्याप्त कारण है ।

(च) ऊपर विनियम 3 (2) में निर्धारित घोषणा लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा ।

हर दृष्टि से पूर्ण ऐसी शिकायत मिलने पर, अध्यक्ष के निर्देश से, उसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है, उत्तर में वक्तव्य के लिए नोटिस के साथ भेज दी जाएगी कि मामले पर अधिनियम की धारा 15 (4) के अंतर्गत विचार क्यों न किया जाए। उसके बाद उपर्युक्त विनियम 7-12 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।